पंचम माला, खंड 38, अंक 34, बुधवार, 10 अप्रैल, 1974/20 चैत्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXVIII, No. 34, Wednesday, April 10, 1974/Chaitra 20, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मू. : दो रुपये

Price : Two Rupees

(यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.

विषय सूची/CONTENTS

अंक 34, बुधवार, 10 अप्रैल, 1974/20 चैत्र, 1896 (शक)

No. 34, Wednesday, April 10, 1974/Chaitra 20, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
627.	दिल्ली में दर्ज किए गए सड़क दुर्घटनाओं के मामले	Registration of cases of Road of accidents in Delhi . . .	1—3
628.	विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in India by Indians Living Abroad	3—6
630.	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन	Industrial production in U.P. .	6—9
631.	ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे कारखाने	Factories run by Britannia Biscuit Company . . .	9—12
632.	पांचवीं योजना में उर्वरकों के मूल्य निर्धारण उत्पादन और वितरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for Pricing, Production and Distribution of Fertilisers in Fifth Plan . . .	13—16
633.	योजना आयोग के गठन का संवैधानिक आधार	Constitutional Sanctions behind Composition of Planning Commission	17—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

629.	राव तुलाराम की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamp on Rao Tula Ram.	18
634.	मोकोकचुंग जिले में इम्पूर के समीप विद्रोही नागाओं द्वारा गोली चलाने से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाहियों की मृत्यु	Death of C.R.P. men due to Firings by Rebel Nagas near Impur in Mokokchung District.	19

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+ marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
635.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारण-सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Boadcasting facilities in rural areas	19
636.	'पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार परियोजना' के अन्तर्गत राज्यों में रोजगार योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Employment Schemes in States under Half-a-million jobs programme . .	19
637.	चमड़ा कमाने वाले छोटे उद्योगों को सहायता	Assistance to Small Tanners .	20
638.	सशस्त्र सेना के विकलांगों के रोजगार के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण	Reservation of vacancies for Employment of Physically Handicapped men from Armed Forces in Public and Private Sectors .	20
639.	नए टायर कारखानों को मूल्य-नियंत्रण से छूट	Exemption of new tyre units from price control	20
640.	केरल में हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के लिए रिहायशी मकान	Residential Houses for Harijans Tribals and Backward Classes in Kerala	21
641.	प्रौद्योगिकीय अपर्याप्तता के कारण उद्योगों में क्षमता का कम उपयोग	Under utilisation in Industries due to Technological Inadequacy	21
642.	भारत रूस उपग्रह परियोजना	Indo Soviet Satellite Project .	21—22
643.	अल्प संख्यकों की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठित किया जाना जैसा कि अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस मुशावरात के सम्मेलन द्वारा सुझाया गया है	Setting up of a Commission to Study the problem of Minorities as suggested in All India Muslim Majlis Muswarat Conference .	22
644.	गुजरात खादी बोर्ड के कार्यकरण के बारे में जांच	Enquiry into Affairs of Gujarat Khadi Board	22—23
645.	नागा समस्या को संघ के भीतर ही सुलझाने के बारे में नागालैंड के मुख्य मंत्री का सुझाव	Proporsal from the Chief Minister of Nagaland to Settle Naga issue within the Union . .	23
646.	इलैक्ट्रोनिक्स के विकास में इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक	Meeting of National Advisory Committee on Electronics for Development of Electronics . .	23—24
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
6229.	संसद् की कार्यवाही का आकाशवाणी से प्रसारण	Publicity of Proceedings of Parliament over AIR . . .	25
6230.	कोयले से कृत्रिम पैट्रोल के निर्माण के लिए धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए परीक्षण	Tests carried out by CFRI Dhanbad to Manufacture Synthetic Petrol from Coal . . .	25

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6231.	मध्य प्रदेश में आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए आशुलिपिकीय प्रशिक्षण	Stenographers Training for Adivasi Candidates in M.P. . .	25
6232.	एक प्रोफेसर द्वारा पेट्रोल में सादा जल मिलाने से अधिक शक्तिशाली बन जाने वाले ईंधन का निर्माण	Engine Development by a Professor which can increase Power if Plain Water is added with Petrol .	26
6233.	केरल सर्किल कर्मचारियों का कल्याण	Welfare of Employees in Kerala Circle	26
6234.	खाद्य और कृषि संगठन के अन्तर्गत केरल में नारियल जटा अनुसंधान केन्द्र	Coir Research Centres in Kerala under FAO	26—27
6235.	मध्य प्रदेश म उत्पादन में कमी	Short Fall in Production in Madhya Pradesh	27
6236.	मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र से चीनी प्रचार साहित्य तथा उपकरणों का बरामद होना	Recovery of Chinese Publicity Material and Equipment from Chhatisgarh Area of Madhya Pradesh.	27
6237.	मध्य प्रदेश में टेलीफोन सेवाएं	Functioning of Telephones in M.P.	27
6238.	मध्य प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन प्रणाली	Automatic Telephone System in M.P.	27—28
6239.	बड़े शहरों में वायु-प्रदूषण	Air Pollution in Big Cities .	28
6240.	दिल्ली में नए टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी	Sanction of new Telephone Connections in Delhi . . .	28
6241.	पश्चिम बंगाल में संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों में 'कन्ट्रोलर्स' की नियुक्ति	Appointment of Controllers in Sick Textiles Mills, West Bengal .	28—29
6242.	बेरोजगार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा डाक्टरों की संख्या का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey Conducted by CSIR for Ascertaining Number of Unemployed Scientists, Engineers and Doctors	29
6243.	उद्योगों को दुर्लभ कच्ची सामग्री के वितरण सम्बन्धी नीति	Policy for Distribution of Scare Raw Material to Industries .	29—31
6244.	परमाणु ऊर्जा संसाधनों का विकास	Development of Atomic Power Resources	31
6245.	बिजली की कटौती के कारण इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी	Set back in Out Put of Engineering Products due to Power Cut .	31
6246.	दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में डाक व तार सुविधाएं	Postal Facilities in various Colonies of Delhi	32
6247.	डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के बाद उनकी वरिष्ठता	Seniority of Employees in P & T Department on Transfer from one Station to Another . . .	32

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6248.	रूस में भारतीय इंजीनियर	Indian Engineers in USSR .	32—33
6249.	प्रयोक्ताओं को कागज की सप्लाई	Supply of Paper to Consumers .	33—34
6250.	पोस्ट कार्डों तथा अन्तर्देशीय पत्रों की कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध जनसंघ के स्वयं सेवकों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Jan Sangh Volunteers against Increase in prices of Post Cards and Inland Letters	34
6251.	स्वर्गीय प्रो० एस० एन० बोस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कमरे का परिरक्षण	Preservation of Room used by Late Prof. S.N. Bose . . .	34
6252.	जम्मू व काश्मीर में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का षडयंत्र	Plot to create Communal Tension in Jammu and Kashmir . .	34
6253.	फुंके हुए पेट्रोलियम कोक का उत्पादन	Manufacture of Calcined Petroleum Coke	35
6254.	दंड प्रक्रिया संहिता में और आगे संशोधन के लिए सुझाव	Suggestion for further Amendment in the Newly Enacted Criminal Procedure Code . . .	35—36
6255.	पांचवीं योजना में उद्योगों के लिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य	Power Generation Target for Industries in Fifth Plan . . .	36—37
6256.	केन्द्रीय मंत्रियों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Union Ministers	37—38
6257.	कलकत्ता में जर्मन लोक तांत्रिक गणतंत्र के उप-वाणिज्य दूत की मृत्यु के बारे में जांच	Investigation into the Death of GDR Vice Consul in Calcutta .	38
6258.	टायरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Tyres .	38—39
6259.	भारत में विदेशी सिगरेटों के कारण भारतीय सिगरेटों की मांग कम होना	Loss of Market for Indian Made Cigarettes due to Foreign Made Cigarettes in India . . .	39
6260.	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Administrative Reforms Commission	39—40
6261.	संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलों में उत्पादन	Production in Sick Textile Mills .	40
6262.	राष्ट्रीय आयात प्रतिष्ठान परिषद् की स्थापना	Setting up of a National Import Substitution Council . .	40
6263.	बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को धन का नियतन	Allocation of Funds to States to deal with Unemployment . .	40—42
6264.	हरिजनों में साक्षरता की प्रतिशता	Percentage of Literacy among the Harijans	43
6265.	राष्ट्रपति की अनुमति के लिए गुजरात अधिकतम भूमि सीमा विधेयक	Gujarat Land Ceiling Bill for Assent of President . . .	43
6267.	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा	Education of Girls belonging to S.C. and S.T. in Orissa . .	44
6268	जनजातीय संस्कृति का परिरक्षण	Preservation of Tribal Culture .	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6269.	बिहार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को गृह निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था	Provision of land for Houses to SC/ST in Bihar	45
6270.	पानी निकालने वाली पवन चक्कियों का डिजाइन बनाना और स्थापित करना	Designing and Installation of Water Pumping Windmills	45—46
6272.	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण उद्योगों का विकास	Development of Rural Industries in West Bengal	46
6273.	महाराष्ट्र में प्रिंटिंग प्रेसों का बंद होना	Closure of Printing Presses in Maharashtra	46
6275.	दौरों पर खर्च हुई धन राशि	Expenditure incurred on Tours	47
6276.	प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा	Visit of Prime Minister to States and Union Territories	47—48
6277.	विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Foreign Companies	49
6278.	महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension of Freedom Fighters from Maharashtra.	49—50
6279.	रेडियो और टेलीविजन के बारे में भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच समझौता	Indo-West Germany Pact on Radio and Television	51
6280.	कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरे की संभावना के प्रति जागरूक रहने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के अनुदेश	Instructions from Central Governments to State Governments for keeping a Vigilance on the Possibility of threat in the Law and Order Situation	51
6281.	आसाम में लघु उद्योगों को सहायता	Assistance to Small Scale Industries in Assam	51—52
6282.	योजना आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Planning Commission	52
6283.	पेंशन के लिए आवेदन न कर सकने वाले विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to renowned Freedom Fighters who do not apply for freedom fighters' pension	52
6284.	टीस्टा बांध परियोजना (पश्चिम बंगाल)	Teesta barrage projects (West Bengal)	53
6285.	उत्तर-बंगाल में जूट स्टिक से कागज बनाया जाना	Manufacture of Paper from Jute sticks in North Bengal	53—54
6286.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	54—55
6287.	आयोजना के बारे में विचार-गोष्ठी	Seminar on Planning	55—56

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6288.	तमिलनाडु में डाक खानों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Tamil Nadu	56
6289.	'सिद्धार्थ' फिल्म के प्रदर्शन पर रोक	Ban on screening of the film Siddhartha	56
6290.	केरल में क्षेत्र प्रचार एकक	Field Publicity units in Kerala .	57
6291.	सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिज्ञों और व्यापार गृहों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन पड़े अनिर्णीत मामले	Cases against Government Officials Politicians and Business Houses etc. pending before CBI .	57
6292.	केरल में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्वनियोजन योजनाएं	Self Employment Schemes to provide jobs to Educated Unemployed in Kerala . . .	57—58
6293.	केरल के लिए अधिक बड़ी वार्षिक योजना	Larger Annual Plan for Kerala.	58
6294.	ट्रंक टेलीफोन प्रणाली	Trunk Telephone System . .	58—59
6295.	पूना स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्था के प्रबंध के लिए स्वायत्त निकाय की स्थापना	Setting up of an Autonomous Body to Manage the Affairs of Film and Television Institute in Poona	59
6296.	भारत-जर्मन सहयोग	Indo-German Collaboration . .	59
6297.	गुजरात के लिए पांचवीं योजना में नियतन का पुनरीक्षण	Revision in Allocations for Fifth Plan for Gujarat . . .	60
6298.	पोषाहार कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्रीय समन्वय समिति	Central Coordination Committee on Nutrition Programme . .	60
6299.	पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बेरोजगार इंजीनियरों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Unemployed Engineers in West Bengal and Maharashtra	60—61
6300.	पश्चिम बंगाल में सुन्दर बन का विकास	Development of Sundarbans in West Bengal	61—64
6301.	भद्रक जिला बालासोर में ग्रामीण औद्योगिक समूह की स्थापना करने के लिए ज्ञापन	Memorandum for setting up of Rural Industrial Complex in Bhadrak, Distt. Balasore . .	65
6302.	पांचवीं योजना में सम्मिलित की गई उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation projects in Orissa included in Fifth Plan . . .	65
6303.	उड़ीसा को ट्रकों के टायरों की सप्लाई	Supply of Truck Tyres to Orissa .	65
6304.	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र	Applications for Telephone connections in Delhi . . .	66
6305.	टेलीफोन लाइनों के लिए बढ़ती हुई मांग	Growing demand of Telephone Lines	66—67

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6306.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ट्राम्बे में चिकित्सीय उत्पादों को जीवाणु-रहित बनाने के लिए किरणीयन (इर्रेडियेशन) संयंत्र को चालू करना	Commissioning of Irradiation Plant for Sterilisation of Medical Products at Bhabha Atomic Research Centre Trombay	67
6307.	भारत में विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries in India	67—68
6308.	प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय	Per capita Gross National Product and National Income	68—69
6309.	क्रास बार स्विच गीयर प्रणाली के के लिए उपकरण	Equipment for Cross Bar Switch Gear System	69
6310.	महाराष्ट्र में टायरों की कमी	Shortage of Tyres in Maharashtra	69—70
6311.	बंगलौर स्थित इंडिया टोबेको कम्पनी में लीफ थरेसिंग संयंत्र का लगाया जाना	Establishment of leaf threshing plant in India Tobacco Company at Bangalore	70
6312.	श्री अमृत भूषण गुप्ता को मृत्यु दंड	Death sentence to Shri Amrit Bhushan Gupta	70
6313.	रेडियो उद्योग में मंदी	Recession in Radio Industry	71
6314.	राज्य बिजली बोर्ड को केबलों की सप्लाई	Supply of Cables to State Electricity Boards	71—72
6315.	भारत द्वारा अन्य देशों को तकनीकी सहायता प्रस्ताव	Offer by India of Technical Assistance to other Countries	72—73
6316.	आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Development of Backward Areas in Andhra Pradesh	73
6317.	बम्बई में जिप फास्नर उद्योग का बंद होना	Closure of Zip fastener Industry in Bombay	73
6318.	गुजरात में उपद्रवों के दौरान घायल हुए, मारे गए तथा एम० आई० एस० ए० तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	Number of Persons injured, died and arrested under MISA and DIR during disturbances in Gujarat State.	73—74
6319.	प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के विभिन्न क्षेत्रीय दौरो का विवरण रखना	Coverage of the Ministers visits to the various regions by PIB Officials	74
6320.	पश्चिम बंगाल, बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए विकास छूट	Development rebate for setting up Industries in West Bengal, Bihar	74—75
6321.	स्माल स्केल सर्विस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	Small Scale Service, Institute, Calcutta	75
6322.	डाक-तार विभाग में प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenses in P & T Department	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6323.	गांव चंडावल में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना	Installation of a PCO in Village Chandaval	76
6324.	दिल्ली के क्लबों में जुआ	Gambling in Delhi Clubs .	76
6325.	राजधानी में क्रास-बार टेलीफोन केन्द्र	Cross Bar Exchanges in the Capital	76—77
6326.	देश में गुजरात जैसी घटनाओं की पुनरावृति का पूर्वानुमान लगाने के लिए जनता को शिक्षित करना	Proposal to educate Public in order to forestall recurrence of Gujarat Type of happenings in the country	77—78
6327.	गुजरात सर्किल में हिंसात्मक आन्दोलन में डाक-तार विभाग को हानि	Loss to P & T Department in violent agitation in Gujarat Circle. .	78
6328.	दिल्ली में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र	Applications for Telephone Connections in Delhi in General Category	78
6329.	इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्र के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना	Earning of Foreign Exchange through export of Electronics .	79
6330.	लघु उद्योगों के लिए मदों का आरक्षण	Reservation of items for Small Scale Industries . . .	79—80
6332.	नेशनल न्यूजप्रिंट पेपर मिल्स लिमिटेड के पूंजी ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of Capital structure of National Newsprint Paper Mills Ltd.	80
6333.	दिल्ली नगर निगम और म्युनिसिपल कमिश्नर के बीच मतभेद	Controversy between Delhi Municipal Corporation and Municipal Commissioner .	80—81
6334.	चौथी योजना में लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए परिव्यय का उपयोग	Utilisation of outlay for Small Scale Industries in Fourth Plan	81
6335.	स्वर्गीय रास बिहारी बोस की अस्थियों का टोकियों से वापिस लाना	Bringing Back Ashes of late Rashbehari Bose from Tokyo . .	81—82
6336.	पांचवीं योजना में परमाणु ऊर्जा का विकास	Development of Atomic Energy in Fifth Plan	82—83
6337.	स्वर्गीय प्रोफेसर एस० एन० बोस का स्मृति समारोह	Commemoration of Late Professor S. N. Bose	83
6338.	खाद्य पदार्थों, सब्जियों और फलों के बीजों के परिरक्षण के लिए टैक्नोलाजी	Technology for Preservation of Food article and vegetable and fruit seeds	83—84
6339.	बड़े उद्योगपतियों को चर्म उद्योग के लाइसेंस देने से छोटे कारखानों पर बुरा प्रभाव	Adverse effect of issue of Licence to Large Industrial Houses in Leather Industry on Small Units .	84
6340.	ग्रेड तीन के स्टनोग्राफरो की पदोन्नति	Promotion of Grade_ III Stenographers	84—85
6341.	मिथिला (दरभंगा) के लिए स्टूडियो और ट्रांसमीटर की इमारतों के पूरा होने की समय-सीमा	Time limit for completion of Studios Transmitter Building for Mithila (Darbhanga) . .	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6342.	चौथी योजना में उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी लक्ष्य	Target for setting up Industries in Orissa during Fourth Plan .	86
6343.	यमुना नदी, दिल्ली के पन्टून पुल में फंसे शव का निकाला जाना	Extraction of a Dead Body stuck up in Pontoon Bridge of Yamuna River Delhi	86
6344.	एक बोगस संस्था द्वारा जाली डिग्रियों का वितरण	Distribution of Fake Degrees by a Bogus Institution	86—87
6345.	बस-चेसिस, टायर, ट्यूब और अन्य कल पुर्जों के आवंटन के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Maharashtra State Road Transport Workers Federation for allotment of Bus Chasis, Tyres, Tubes and other parts	87
6346.	आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना	Opening of Automatic Telephone Exchanges	88—89
6347.	रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को काम दिलाना	Absorption of Educated Unemployed Registered with Employment Exchanges	89—90
6348.	उड़ीसा में उद्योग	Industries in Orissa	91
6349.	बिहार तथा गुजरात के विद्यार्थी झगड़ों में सी० आई० ए० का हाथ	Role of CIA in Student trouble in Bihar and Gujarat . . .	91
6350.	इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में रोजगार	Jobs in the Field of Electronics .	91—92
6351.	उत्तर प्रदेश तथा मणीपुर में चुनावों में काम पर लगाए जाने पर सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर व्यय	Expenditure of BSF and C. R. P. whose services were requisitioned for elections in U.P. and Manipur	92
6352.	नई दिल्ली में विदेशी पिस्तौल तथा कारतूस बरामद करना	Seizure of foreign made revolvers and cartridges in New Delhi .	92
6353.	अधिकारियों द्वारा विविधीकरण के उपबंधों का उल्लंघन	Violation of Provisions of Diversification by Officials	92—93
6354.	गृह मंत्रालय के पश्चिम बंगाल सम्बन्धी 'सैल" का दिल्ली में कार्यकरण	Functioning of cell of the Ministry in Delhi for West Bengal . .	93
6355.	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती	Posting of CRP in West Bengal .	93
6356.	कलकत्ता तथा अन्य नगरों में सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधा	STD Link between Calcutta and other cities	94
6357.	संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को सम्मिलित करना	Inclusion of Nepali Language in Eighth Schedule of Constitution .	94—95
6358.	राज्यों में योजना बोर्ड	Planning Boards in States . .	95
6359.	पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सुन्दर बन और झारगराम का विकास	Development of Darjeeling, Sunderbans and Jhargram in West Bengal	95—96

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6360.	राज्यों में जिला-वार योजनाएं बनाना	Formulation of District Plans in States	97
6361.	चौथी पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में रेडियो स्टेशन स्थापित करने सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति	Achievement of Target of Fourth Five Year Plan for setting up Radio Stations in Andhra Pradesh	97
6362.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम का अध्यक्ष	Chairman of NTC	97—98
6363.	आसाम में नमक की कमी	Scarcity of Salt in Assam	98
6364.	सोवियत संघ के सहयोग से 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों' का विकास	Development of Fast Breeder Reactor in Collaboration with USSR	98—99
6365.	हस्त-लेख एवं अंगुलियों के चिह्नों के विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए संस्थान	Institution for training in Science of Handwriting and Finger Prints	99—100
6366.	पांचवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप देना	Finalisation of Programme for use of Science and Technology in fifth Plan	100
6367.	रेडियो लाइसेंस फीस समाप्त करना	Abolition of Radio Licence Fee	100
6368.	गियाना में भारतीय सहायता के साथ सीमेंट कारखाने की स्थापना	Setting up of Cement Factory in Guyana with Indian help	100
6369.	आल इंडिया रेडियो स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन की मांग	Demand from All India Radio Station Artists Union.	101
6370.	उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय लिंग अनुपात	Sex Ratio at Birth in Rural Areas of North India	101—102
6372.	प्रथम श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Class I Posts	102
6373.	पटना में दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र	Telecommunication Training Centre at Patna	103
6374.	गोलमुडी, जमशेदपुर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to P & T Empl oyees at Golumri, Jamshedpur	103
6375.	गया डिवीजन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के भुगतान में विलम्ब	Delay in Payment of overtime allowance to staff of Gaya Division.	103—104
6376.	भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत पकड़े गए व्यक्ति	Persons arrested under DIR	104
6377.	वीरभूम (पश्चिम बंगाल) का विकास	Development of Birbhum (West Bengal)	104
6378.	वर्ष 1974-75 में इलेक्ट्रोनिक्स में नए सरकारी उपक्रमों की स्थापना करना	Setting up of New Public Sector Undertakings in Electronics in 1974-75	104—105
6379.	ऊर्जा के आधार को बदलना	Restructuring Energy Base	105
6380.	उद्योगों में कच्चे माल का संकट	Difficult Raw Material Situation in Industries	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6381.	औद्योगिक उत्पादन में ऊर्जा का उपयोग	Utilisation of Energy in Industrial Production	106
6382.	स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री में उत्पादन को हानि	Loss of production in Storage Battery Industry . . .	107
6383.	अलीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र	Applications for Telephone Connections in Aligarh . . .	107
6384.	अलीगढ़ में नया टेलीफोन एक्सचेंज	New Telephone Exchange at Aligarh	107
6385.	लिग्नाइट पैलट का उत्पादन करके लिग्नाइट के निक्षेपों का प्रयोग	Use of desposits of lignite by producing Lignite Pellets . .	108
6386.	टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन लाइनों का बहुत अधिक बोझ	Congestion at Telephone Exchanges	108—109
6387.	सीमेंट संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी नीति में परिवर्तन	Changes in the Policy of setting up of Cement Plants . . .	109
6388.	भारत के राजधानी नगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र	Applications for Telephone connections in Capital Cities of India .	109—110
6389.	देश में आकाशवाणी केन्द्रों तथा टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति	Achievement of Fourth Five Year Plan Target for setting up Radio Stations and T. V. Centres in the country	110
6390.	आकाशवाणी, कलकत्ता द्वारा जमाखोरों के खिलाफ युवक छात्र रैली के समाचार को प्रसारित न किए जाने के कारण	Reasons for not covering the news of Students' Youth Rally against hoarders by A.I.R.	110
6391.	संगीत तथा नाटक प्रभाग में काम करने वाले अस्थायी, स्थायी तथा नैमित्तिक आधार वाले आर्टिस्ट	Number of Temporary, Permanent and on Casual Basis Artists working in Songs and Drama Division	110—111
6392.	झांसी जिला (उ० प्र०) में 'राक फार्मेशनों' में यूरेनियम का पता लगाना	Uranium discovered in Rock formations in Jhansi District (U.P.) .	111
6393.	आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए लेपिडोलाइट की उपलब्धता की आवश्यकता	Availability of Lepidolite needed for Generating Atomic Energy .	111—112
6394.	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा 'विरोध दिवस' का मनाया जाना	Protest Day observed by Central Government Officers . . .	112

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6395.	बिहार के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा तारघरों का खोलना	Opening of P. C. Os. and Telegraph Offices in various Districts of Bihar	112—113
6396.	दिल्ली प्रशासन में वेतनमानों का संशोधन	Revision of Pay Scales in Delhi Administration . . .	113
	27 फरवरी 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement Correcting Answer to U.S.Q. No. 1015 dt 27-2-74	113—114
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	114
	अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों द्वारा भारतीय हवाई अड्डों पर नए माल की बुकिंग बंद किए जाने का समाचार	Reported Stoppage of Booking fresh cargo at Indian Airports by International Airlines . .	114—115
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	115
	श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	116—119
	बिहार विधान सभा के सत्रावसान के बारे में	Re. propogation of Legislative Assembly of Bihar . .	119
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege .	119
	पाण्डिचेरी के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश के बारे में अध्यक्ष द्वारा की गई बैठक की कार्यवाही का समाचार-पत्रों में प्रकाशन	Publication in the Press about the Deliberations of the Meeting held by the Speaker on Presidential Order in respect of Pondicherry	119—123
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table.	124—125
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee. . .	126
	106वां तथा 107वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Hundered and Sixth and Hundred and Seventh Reports—Presented .	126
	लक्खी सराय रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा संगीनों से कथित हमले के बारे में वक्तव्य	Statement Re Alleged Bayonet Charge by RPF Personnel at Lakhisarai Railway Station .	126—127
	श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	Shri Mohd. Shaff Qureshi	127
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	127
	कतिपय औषधियों की कमी	Shortage of certain drugs . .	127
	अनुदानों की मांगें, 1974-75	Demands for Grants, 1974-75 .	128
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग	Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture . . .	128
	श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	Shri K. C. Pandey .	128
	श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini.	128
	श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri .	129
	श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	130

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo	130—131
श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadav	131—132
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh	133
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	133—134
श्री ए० एस० कस्तुरे	Shri A. S. Kasture	134—135
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	136—137
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik	137—139
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande .	139
श्री रामसूरत प्रसाद	Shri Ram Surat Prasad	139—140
श्री वी० मायावन	Shri V. Mayavan .	140
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hadaoo	140—141
श्री अमर नाथ विद्यालंकार	Shri Amar Nath Vidyalanakar	141—142
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	142
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta .	142
श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव	Shri N. P. Yadav	142
श्री नूरुल हूडा	Shri Noorul Huda	142—143
प्रो० एस० नुरूल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	143—144
बंगलादेश-भारत-पाकिस्तान समझौते के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Bangladesh-India-Pakistan Agreement. . .	145—146
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	146
न्यू फ्रैन्डस कोग्रोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के बारे में वक्तव्य	Statement Re. New Friends Co-operative House Building Society.	146—148
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	149—150

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार 10 अप्रैल, 1974/20 चैत्र, 1896 (शक)

Wednesday, April 10, 1974/Chaitra 20, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**

MR. SPEAKER *in the Chair*.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में दर्ज किये गये सड़क दुर्घटनाओं के मामले

*627. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्†**
श्री वयालार रवि }: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई और उनमें कुल कितने व्यक्ति मारे गए हैं ; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के कितने मामले दर्ज किए गए और न्यायालयों द्वारा कितने व्यक्तियों को सजा दी गई और इनसे सम्बन्धित कुल कितने मामले न्यायालयों में अभी तक विचाराधीन पड़े हैं ?

गृहमंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) 1971, 1972 तथा 1973 वर्षों में दिल्ली में 16,870 दुर्घटनाओं की सूचना दी गई थी और इन दुर्घटनाओं में 1,395 व्यक्ति मारे गये।

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल० टी० 6667/74]**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : दिल्ली में सड़कों के सम्बन्ध में कोई निश्चित कानून नहीं है और दिल्ली में किसी भी मोटरचालक के लिए गाड़ी चलाना अथवा पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करना या किसी भी मोटर गाड़ी को व्यवस्थित ढंग से चलाना असम्भव हो गया है।

क्या दिल्ली तथा अन्य महानगरों की यातायात नियन्त्रण प्रणालियों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इसमें परिवर्तन करेंगे ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : दिल्ली की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि तथा शहर की विचित्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में दुर्घटनाओं की स्थिति में गिरावट नहीं आई है। तथ्य तो यह है कि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

एक कठिनाई, तो हमारे लिए चिन्ता का विषय बनी हुई थी, यह थी कि मामलों के निपटान की गति बहुत कम थी। अब उच्च न्यायालय ने 25 और न्यायाधीशों की नियुक्ति करना स्वीकार कर लिया है और मुझे आशा है कि निपटान की दर में संतोषजनक वृद्धि होगी।

प्रत्येक महानगर की स्थिति दूसरे महानगर से भिन्न होती है और इसलिए एक महानगर के यातायात नियन्त्रण के तरीकों को दूसरे महानगर के लिए अपनाना सम्भव नहीं है। लेकिन अब स्थिति में सुधार हो गया है, क्योंकि कठिनाइयों तथा सड़क यातायात की अन्य अड़चनें धीरे-धीरे दूर कर दी गई हैं।

मामले की जांच पड़ताल के लिए योजना आयोग ने एक दल की नियुक्ति की थी और 20 दिसम्बर, 1973 को विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। मैं सम्बन्धित अंश पढ़कर सुनाता हूं :—

> "योजना आयोग के महानगरीय परिवहन दल ने केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से दिल्ली की यातायात और परिवहन समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके हल के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए कहा था। इसके परिणाम-स्वरूप, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने महानगर दिल्ली के यातायात और परिवहन का व्यापक अध्ययन किया और सर्वेक्षण और जांच के बाद 15 खंडों में अपना प्रतिवेदन तैयार किया तथा प्रस्तुत किया"

यह 28 दिसम्बर 1973 की बात है। महानगर परिवहन प्राधिकरण के एक उप-दल ने केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विचार किया और योजना आयोग का महानगरीय परिवहन दल जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था सम्बन्धी परियोजना तैयार कर रहा है। दो मुख्य प्रश्न विचाराधीन हैं: उपनगरीय रेल परिवहन प्रणाली तथा भूमिगत ट्यूब प्रणाली। इस समय निश्चित वक्तव्य देना सम्भव नहीं है, लेकिन जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस प्रशासन ने गृह मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के ध्यान में बार-बार यह बात लाई है कि यातायात को नियन्त्रित करने में बहुत-सी बाधायें हैं और इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं, यदि हां, तो गृह मंत्रालय द्वारा क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : स्थिति विचित्र है। नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में समन्वय में समय लगता है और यदि समन्वय हो भी जाए तो वित्तीय कठिनाईयाँ सामाने आ जाती हैं। इन नियंत्रणों के अधीन हम प्रयत्न कर रहे हैं और दिल्ली प्रशासन स्थितियों के अन्तर्गत हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है।

श्री वयालार रवि : यह कहना प्रशंसाजनक नहीं है कि दुर्घटनाएं कम हो रही हैं और जनसंख्या भी बढ़ रही है। प्रश्न आदमी की जान का है। तीन वर्षों में दुर्घटनाओं में 1395 व्यक्ति मरे। यह बहुत भयंकर बात है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहरा रहा लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम यातायात प्रणाली में सुधार करें और यातायात पर कड़ा नियंत्रण रखें और चालकों के विरुद्ध कार्यवाहीं करें। यह कार्य यातायात विभाग अथवा पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है। केवल छोटे मामलों का निपटान किया जाता है। जिन दुर्घटनाओं के कारणों का पता नहीं चल सका, उनकी संख्या 2155 है। दोषसिद्ध मामलों की संख्या 1370 है। मामलों के न निपटाने के बारे में हमारी चिंता

में मंत्री महोदय भी शरीक हुए थे। क्या मंत्री महोदय पुलिस विभाग को यह अनुदेश देंगे कि यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि लोगों, पैदल सड़क पार करने वालों और मोटर चालकों की जानें बचाई जा सकें।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गये विचारों से सामान्य रूप से सहमत हूं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मरने वालों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। दिल्ली में इसका अनुपात बहुत अधिक है। अन्य महानगरों की तुलना में यह संख्या तीन गुनी है। नई दिल्ली एक सुनियोजित और महंगा शहर है। यदि जल्दबाजी को रोका जाए तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। बहुत अधिक दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं? क्या दिल्ली में दुर्घटनाओं की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, कोई सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था ताकि मौतें कम हों?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह बात सही नहीं है। स्थिति को या तो बनाए रखा गया है या उसमें सुधार हुआ है। मौतों की संख्या के मामले में भी मैंने अन्य महानगरों से आंकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। लेकिन केवल बम्बई से आंकड़े प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1973 में दिल्ली में मोटर गाड़ियों की संख्या 2,75,000 थी। इस अवधि में 4,834 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 474 व्यक्ति मरे जबकि बम्बई में 7,569 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 663 व्यक्ति मरे। बम्बई में मोटरगाड़ियों की संख्या 2,76,102 है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि स्थिति बिगड़ी है। वस्तुतः सतत प्रयत्नों के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है। यह कहना ठीक नहीं है कि हम इस बारे में इत्मीनान से बैठे रहे हैं। मामले पर समय-समय पर चर्चा की जाती रही है। हमने यातायात विभाग में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए हम और न्यायिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। और अधिक कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला बहुत जटिल मामला है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इस वर्ष सुरक्षा सप्ताह क्यों नहीं मानाया गया जबकि गत वर्ष इसे मनाया गया था। शहर में स्थिति बहुत अधिक शोचनीय है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has said in the statement that roads have been improved. I would like to know the expenditure incurred on the improvement of roads? Is it a fact that most of the accidents occur in old Delhi, viz. Sadar Bazar, Chandni Chowk and Jama Masjid. I would like to know the immediate arrangements being made to avoid the accidents in these areas.

Shri Uma Shankar Dikshit : It is not a question of expenditure. The question is as to what is the position regarding road accidents and what improvements are to be affected. The problem is that the number of slow moving vehicles viz. Rickshaw, Tanga, Cart, etc. is very large. I do not want to take more time of the House.

दिल्ली जैसे बड़े शहर में धीमे चलने वाले वाहनो की संख्या बहुत अधिक है। दिल्ली में 12,000 तांगे, साइकिल रिक्शा, बैलगाड़ियां, हाथगाड़ियां तथा 7 लाख साईकिलें हैं। सदर बाजार और पुरानी दिल्ली के क्षेत्रों में आम तौर पर हाथगाड़ियों, बैलगाड़ियों या छोटी गाड़ियों की वजह से आम यातायात रुक जाता है। यातायात को सुगम तभी बनाया जा सकता है जब सड़कें चौड़ी हों और हमें सड़कों के मार्ग में आने वाली रुकावटों को हटाना होगा और ऐसे उपाय करने होंगे जो व्यावहारिक नहीं हैं। यह मानवीयता के लिहाज से सम्भव नहीं है क्योंकि यह कार्य बहुत दुखःदायी

है। यह बहुत कठिन स्थिति है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस कार्य को करने का कोई और सरल या सीधा तरीका नहीं है।

श्री एस० ए० कादर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होती हैं, क्या सरकार शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के लाइसेंस वापिस लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मेरे विचार में माननीय सदस्य का सुझाव विचार करने योग्य है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में लघु उद्योगों की स्थापना

*628. **श्री धामनकर†** / **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रह रहे अनेक भारतीयों ने मशीनें और कच्चा माल भारत से लाने की अनुमति की योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों की स्थापना में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिए कितने आवेदन-पत्र मिले हैं, और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात द्वारा मशीनरी और कच्चे माल इत्यादि का आयात करने के लिए लाइसेंस देने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या और उन आवेदनों पर दिए गए आयात लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(30-3-1974 तक)

प्राप्त आवेदनों की संख्या	मशीनरी	कच्चा माल
प्राप्त आवेदनों की संख्या . . .	282	110
जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	191	20

श्री धामनकर : उन प्रार्थनापत्रों के अतिरिक्त जो बाहर से ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका तथा कुछ अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों से प्राप्त हुए हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों से कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिन्हें केन्या, उगांडा तथा अन्य देशों को छोड़ने पर विवश किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके आवेदनों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हमारे पास जो सूचना है बह यह है कि मशीनों के लिये लगभग 2,382 आवेदन पत्र तथा कच्चे माल के लिये शायद लगभग 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से 191 लाइसेंस मशीनरी के आयात के लिये और 20 लाइसेंस कच्चे माल के आयात के लिये जारी किये जा चुके हैं।

श्री धामनकर : मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्या, उगांडा तथा अन्य देशों से निकलने पर मजबूर किय गये भारत मूलक व्यक्तियों से आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जी हां, भारत म उद्योगों की स्थापना के संबंध में केन्या में रहने वाले भारतमूलक लोगों द्वारा कुछ पूछताछ की गयी है। मैं कुछ दिन पूर्व ही वहां गया हुआ था। वे लोग इस संबंध में रुचि दिखा रहे थें । यदि वे ऐसे आवेदन पत्र देंगे तो उन्हें सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी।

श्री धामनकर : उन्हें मशीनरी और कच्चे माल का आयात करने की अनुमति दी जायेगी। क्या उन्हें भारत में उद्योगों की स्थापना करने तथा इस देश में उन्हें बसाने के लिये पूंजी के रूप में सहायता भी दी जायेगी।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे यहां किस प्रकार के उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं और इसके साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे केन्या तथा अन्य स्थानों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में समर्थ हैं ?

डाक्टर रानेन सेन : जैसाकि मैंने इस उत्तर से समझा है, सरकार के पास ऐसी कोई निश्चित प्रोत्साहन योजना नहीं है जिससे भारतमूलक इन लोगों को आकर्षित किया जा सके जिनका संसार के अन्य भागों में पुनर्वास नहीं किया जा सका। वास्तव में उनमें से कुछ लोगों के पास काफी विदेशी मुद्रा है, चाहें वह पौंड अथवा डालर के रूप में हो। क्या सरकार के पास कोई एसी प्रोत्साहन देने वाली योजना है ताकि उन्हें भारत की ओर आकर्षित किया जा सके और वे यहां आकर उन छोटे या मध्यम पैमाने के उद्योगों में जिनकी यहां बड़ी आवश्यकता है, पूंजी लगा सकें।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : आकर्षण केवल लगायी गयी पूंजी पर लाभ की दर से ही हो सकता है। यह बात निश्चित है कि हम विदेशों से आने वालों को पक्षपातपूर्ण लाभ की दर नहीं दे सकते और यहां स्थापित किये गये अन्य उद्योगों के लिये लाभ की दर को सीमित नहीं कर सकते। जहां तक दूसरे प्रोत्साहनों का संबंध है, बिना नियत प्रक्रिया में जाने के, उन्हें मशीनरी तथा कच्चे माल का आयात करने की अनुमति दी जाती है। हम अपनी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उन्हें निर्धारित पूंजी तथा कार्यकर पूंजी के रूप में सहायता देने का भी प्रयास कर रहे हैं।

श्री राम सहाय पांडे : चूंकि भारत मूलक कई लोगों ने इस देश में आने और छोटे, मध्यम तथा बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिये अपनी रुचि दिखायी है, इस बात को देखते हुए क्या सरकार का विचार इसे शीघ्रता से निपटाने के लिए एक कक्ष की स्थापना करने का है ? वे विदेशों से आते हैं, यहां ठहरते हैं और यह पाते हैं कि उनका काम नहीं हुआ है। क्या सरकार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा इन लोगों के मन में अधिक रुचि पैदा करने के लिये एक कक्ष की स्थापना करेगी ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : भारत मूल के गैर-आवासीय व्यक्तियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये, इंडियन इनवैस्टमैंट सेंटर ने दिल्ली, बम्बई, न्यूयार्क, लंदन तथा डेसेलदोर्फ में कार्यालय खोले हैं। इसने एक प्रकाशन जारी किया है जिसमें उन भारत मूल के गैर-आवासीय राष्ट्रिकों के लिये सुविधाओं का विवरण दिया गया है जो अपनी विदेशी मुद्रा की अर्जित पूंजी में से भारत में उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं।

श्री के० लकप्पा : माननीय मंत्री द्वारा अब तक दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। क्या यहां आने तथा देश के विभिन्न भागों में उद्योगों की स्थापना करने के उत्सुक उद्योगपतियों को प्रोत्साहित

देने के लिये कोई विशेष नीति बनायी गयी है? यदि हां, तो औद्योगिक विकास के लिये प्रक्रियाओं को सुधारने तथा कुछ प्रक्रियायों को सरल बनाने की नीति का ब्यौरा क्या है? यहां इस स्थिति की कठिनाइयों तथा आकस्मिकताओं की जांच नहीं की गयी है, क्योंकि इन में कई लोग भूमि, जल तथा कच्चे माल आदि को प्राप्त करने के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबन्ध में कोई विशेष नीति बनायी गयी है?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : भारत सरकार ने भारत मूल के गैर-आवासीय लोगों को आकर्षित करने के लिये एक विशेष नीति अपनायी हुई है और इस नीति के अन्तर्गत ही हमने भारत में औद्योगिक एककों की स्थापना करने हेतु, भारत मूल के गैर-आवासीय व्यक्तियों के लिये कुछ सुविधाओं की घोषणा की है और उन्हें मशीनरी, कच्चा माल तथा अन्य कल पुर्जों का आयात करने के लिये कुछ सुविधायें प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त, इन सुविधाओं के कारण ही अनेक व्यक्ति पूछ-ताछ कर रहे हैं। 1973 के दौरान विदेशों में रहने वाले भारत मूल के गैर-आवासीय व्यक्तियों द्वारा 1,620 मामलों में पूछ-ताछ की गयी है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या विदेशियों के लिये भारत में आने तथा पूंजी लगाने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है या, क्या यह पेशकश हमेशा के लिये की गयी है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह पेशकश विदेशियों के लिये नहीं है। यह पेशकश उन भारतीयों के लिये की गयी है जो विदेशों में हैं और भारत वापस आना चाहते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know from the Hon'ble Minister whether the Government propose to give any special relief and also some exemption in excise-duty, on the belongings of those persons of Indian origin residing abroad who have been forced out from there?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि यह बिल्कुल ही असंगत प्रश्न है।

Shri Hukam Chand Kachwai : If persons of Indian origin residing abroad come back to India, because they have been forced out by the concerned foreign Government, do the Government propose to exempt the belonging of such persons from excise-duty?

Mr. Speaker : The question was this :—

"......इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों की स्थापना करने में रुचि"...

and you want to get them exemption in excise duty.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether the persons who are eager to set up their own industries by bringing all their belongings, would be given exemption on their belongings from excise duty?

Mr. Speaker : You are again asking the same question. Please ask relevant questions.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन

*630. **श्री सरजू पांडे**
मौलाना इसहाक सम्भली } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विद्युत् संकट गम्भीर हो जाने से औद्योगिक उत्पादन को क्षति पहुंची है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में कपड़ा, कलाई, चीनी मिलें, इंजीनियरिंग कारखाने, पटसन कारखाने विद्युत् संकट के कारण बन्द हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) से (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) : सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के औद्योगिक उत्पादन पर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कुछ उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इस स्थिति से पूर्णतया अवगत है तथा उसने स्थिति को सुधारने के लिये विभिन्न प्रकार के अभ्युपाय किये हैं । उत्तर-प्रदेश में किए गए अभ्युपायों में अन्य स्रोतों/राज्यों जैसे बदरपुर/मध्य प्रदेश/बिहार आदि से कुछ बिजली प्राप्त करना सम्मिलित है ।

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, sir, it has been asked in the question as to whether Jute factories and other Mills have been closed down due to power crisis and it has affected badly the production of Yarn. I want to know from the Hon'ble Minister as to what steps are proposed to be taken by the Government to meet this crisis?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, sir, please see the statement first. I does not contain the answer to part (b). The part (b) of the question is as follows :

"whether in Uttar Pradesh Industries such as textile spinning, sugar mills, engineering units, Jute factories are closed due to power crisis." This has not been answered in the statement whether there have been closed or they are still working and if they have been closed, what is their number.

Mr. Speaker : Please let him ask the question. When your turn comes, then ask your question. The statement contains the answer in regard to part (b), but you want the answer to part (b) separately.

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is no answer to part (b).

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : हमने इस में यह बताया है:—

> "सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में औद्योगिक उत्पादन पर राज्य सरकारों/विद्युत बोर्डों द्वारा कुछ उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक सामान्य विवरण है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : बेशक, यह एक सामान्य विवरण है । किन्तु यह एक सामान्य कटौती है । अतः सभी उद्योगों में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है और उनके बन्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता । उनमें एक दिन में कुछ घंटे अथवा सप्ताह में कुछ दिन काम होता है । अतः, जहां तक हम जानते हैं, बिजली की कमी के कारण किसी एकक के पूर्ण रूप से बन्द हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, sir, everything has been explained in the statement but there is no mention of the steps being taken to meet this crisis. We have come to know just now that the factory of 'Hindalco' has been closed and the fertilizer factory is going to be closed and the tenants in urban as well as rural areas are not getting power. Please explain the steps being taken to get rid of this crisis at the earliest?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान् जी, तथ्य यह है कि हाल ही में बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिये कार्यवाही करने के संबंध में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से प्रश्न पूछा गया था और एक बहुत ही विस्तृत उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : श्रीमान् जी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन कम हो कर 73 प्रतिशत रह गया है, जैसा कि दो दिन पूर्व "फाइनैंशियल एक्सप्रैस" तथा "इकनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ? बिजली की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि बिजली की कटौती के अतिरिक्त, कच्चा माल भी इसका एक कारण है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमान् जी, सामान्यता इन विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिये बिजली या कोयले की उपलब्धता एक समस्या है । जहां तक आयातित कच्चे माल का संबंध है, स्वाभाविक रूप से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के संबंध में कुछ कठिनाई है । किन्तु मुख्य कठिनाई बिजली और कोयले की है और इस के साथ ही परिवहन समस्यायें भी हैं । जब तक इन तीन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक मेरे विचार में हम औद्योगिक उत्पादन में किसी प्रकार की प्रगति करने में समर्थ नहीं हो पायेंगे, चाहे यह उत्तर प्रदेश में हो अथवा देश के किसी अन्य भाग में ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैं यह जानना चाहता हूं कि बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने विवरण को देखा है । इस विवरण में इस बारे में बताया गया है ।

श्री त्रिदिब चौधरी : श्रीमान् जी, उत्तर प्रदेश के संबंध में, जिसकी विकास की आवश्यकताओं की वर्षों से बुरी तरह उपेक्षा की गयी है, तथा अन्य राज्यों में औद्योगिक उत्पादन के संबंध में, विभिन्न संबंधित मंत्रालयों की प्रकृति एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की रही है । दिए गये उत्तर और विवरण के संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि औद्योगिक विकास मंत्रालय जो इस मामले में मुख्य मंत्रालय होना चाहिये, विद्युत मंत्रालय, योजना आयोग और अन्य संबंधित आर्थिक मंत्रालयों में समन्वय किस प्रकार का है ? किस प्रकार की शीघ्रता की भावना है ताकि देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त न हो जाये ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इन त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से उपाय करने के लिये समूचे रूप से सरकार जिम्मेदार है । मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस स्थिति की गम्भीरता को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं और हम इन विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों को समन्वित करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं । उस अभिप्राय से हमारे यहां आर्थिक समन्वय समिति और उद्योग और व्यापार संबंधी समिति नामक दो समितियां बनी हुई हैं और हम इन विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय लाने के लिये संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं ।

Shri Ram Surat Prasad : Is the restriction imposed by the Electiricity Board on industries is meant to close them down completely or partially and what is the minimum horse power in respect of which restriction has been imposed?

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question.

श्री सी० सुब्रह्मणयम : यह प्रश्न सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को सम्बोधित किया जाना चाहिये।

श्री वसन्त साठे : विवरण छोटा और अपूर्ण है। इसमें आरम्भ में ही दोष राज्य सरकारों पर मढ़ा गया है :

"सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के औद्योगिक उत्पादन पर राज्य सरकारों और विद्युत बोर्डों द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ... सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इस स्थिति से पूर्णतः अवगत है और हम इसकी जांच कर रहे हैं।"

प्रश्न यह था कि इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलें, चीनी मिलें, इंजीनियरिंग एकक, पटसन कारखाने आदि बन्द हो गये हैं? अतः सरकार इस बारे में क्या ठोस उपाय कर रही है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न मुख्यतः अधिक बिजली उपलब्ध करने के बारे में है। यह मान लिया गया है कि बिजली की कमी है। कुछ सप्ताह पूर्व ही स्थिति में सुधार के बारे में एक प्रश्न सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से पूछा गया था, और उन्होंने किए विभिन्न उपायों के बारे में उत्तर दिया था। उदाहरणार्थ, हम वर्तमान संयंत्रों के बेहतर रखरखाव और कार्यकरण हेतु प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका उचित उपयोग हो सके। हम कोयला संसाधनों को बिजली पर विशेष से परिवहन में सुधार करके सम्बद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं जो संयंत्र काफी सीमा तक पूरे हो चुके हैं उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अधिक बिजली मिल सके। हमने कुछ उद्योगों को उचित डीजल सेट लगाने की भी अनुमति दे दी है, परन्तु तेल संकट के कारण यह भी कठिन हो गया है। अतः अनेक क़दम उठाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को स्थिति का पता नहीं है और वह सो रही है।

ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे कारखाने

*631. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा क्षमता के कथित विस्तार के बारे में 6 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2033 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड द्वारा राज्य-वार कितने कारखाने चलाए रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1965-66 और 1972-73 में कम्पनी के प्रत्येक उत्पाद की कुल लाइसेंस-शुदा तथा अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) मै० ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी प्रा० लि० का तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रत्येक जगह एक-एक कारखाना है।

(ख) कम्पनी को मद्रास स्थित एकक की एक पाली के आधार पर बिस्कुट बनाने की वार्षिक लाइसेंस प्राप्त क्षमता 1200 मी० टन है।

बिस्कुट बनाने वाले कम्पनी के कलकत्ता तथा बम्बई स्थित एकक में पंजीकरण प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत चलाये जाते हैं जिनमें क्षमता नहीं दी जाती है।

बिस्कुट बनाने की अधिष्ठापित क्षमता निम्न प्रकार बताई गई है :—

कलकत्ता	15,144 मी० टन
बम्बई	9,312 मी० टन

वर्ष 1965-66 और 1972-73 में क्षमता यही बताई गई है।

मद्रास एकक को जनवरी, 1965 में लाइसेंस दिया गया था और इसकी बिस्कुट बनाने की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 9080 मी० टन बताई गई है।

डबलरोटी, बनाने की पंजीकृत क्षमता निम्न प्रकार है :—

बम्बई . . .	11,664 मी० टन
कलकत्ता	11,664 मी० टन
मद्रास	1,944 मी० टन
दिल्ली	23,328 मी० टन

बिस्कुट बनाना अनुसूचित उद्योग है जबकि कम्पनी द्वारा बनाये जाने वाली अन्य वस्तुए जसे डबलरोटी, केक और रस्क गैर-अनुसूचित वस्तुएं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विवरणानुसार, ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी के मद्रास एकक को 1200 टन वार्षिक का लायसेंस प्राप्त है परन्तु लगता है कि उनका उत्पादन 8000 टन वार्षिक है। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम की धारा 16 में स्पष्ट उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार, यदि चाहे तो, कार्यवाही कर सकती है। तो सरकार को यह कब पता चला कि यह ब्रिटिश एकाधिकारवादी बिस्कुट कम्पनी अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन कर रही है और पता लगने पर क्या कार्यवाही की गई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : यह सच है कि इस कम्पनी के मद्रास एकक में लाइसेंस से कहीं अधिक उत्पादन हुआ है। एक पाली की उनकी लाइसेंस-प्राप्त उत्पादन क्षमता 1200 टन और यदि वे तीन पालियों में भी उत्पादन करें, जिनका कि उन्हें अधिकार है, तो भी कुल क्षमता लगभग 3000 टन बैठती है जबकि इस समय वे लगभग 9000 टन का उत्पादन कर रही हैं। कम्पनी ने इस एकक की अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी देने का अनुरोध किया था, जिसे अस्वीकार किया जा चुका है। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अधीन उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नोटिस दिया जा चुका है। उनका उत्तर हाल में ही प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पूछा था कि सरकार को इस अतिरिक्त उत्पादन का कब पता चला--- इसका उत्तर नहीं दिया गया है। जैसे ही उन्हें यह पता चला, उन्होंने कम्पनी के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन क्या कार्यवाही की ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : खेद है कि मैं ठीक तारीख न बता सकूंगा। एक या दो वर्ष पूर्व हमें इसका पता लगा था जब उन्होंने अतिरिक्त उत्पादन के विनियमन का अनुरोध हमारे पास भेजा था, जिसे हमने अस्वीकार कर दिया है। उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने हेतु ही हमने उन्हे नोटिस दिया हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह नोटिस कब दिया गया ? इससे, बिस्कुट उद्योग की देश में कुल उत्पादन क्षमता सरकार के अनुसार लगभग 33,536 टन है। इसमें से ब्रिटेनिया कम्पनी की प्रतिशतता कितनी है ? उन्हें आटे जैसा दुर्लभ कच्चा माल 50 पैसे प्रति किलो की दर पर कैसे मिल जाता है जिससे बिस्कुट बना कर वे 10 रुपये प्रतिकिलो की दर पर बेचते हैं जिस की अनुमति आप कई वर्षों से देते आ रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : संगठित क्षेत्र में कुल उत्पादन और ब्रिटेनिया बिस्कुट कंपनी में इसका अंश इस प्रकार है :

वर्ष	कुल उत्पादन	ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी का अंश (शेयर)
1970	62,000	25,000
1971	64,000	26,000
1972	69,000	29,000

श्री ज्योतिर्मय बसु : अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से तिगुना उत्पादन करने के लिए उन्हें आटा कहां से मिलता है ? क्या यह सच नहीं है कि भारतीय कारखानों को काफी घाटा हो रहा है और उनकी उत्पादन क्षमता अप्रयुक्त पड़ी रहती है और इसका कारण यही है कि इस ब्रिटिश एकाधिकारवादी कम्पनी को अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन करने दिया जा रहा है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं मानता हूं कि यह विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनी है और इसीलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं कि वह अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन न करे जिसका भारतीय कम्पनियों पर प्रभाव पड़ता है। परन्तु, जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय कंपनियां भी लगभग 40,000 टन वार्षिक का उत्पादन कर रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि वे कोई उत्पादन ही न कर रही हों।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हे आटे की सप्लाई के बारे में क्या कहना है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : वे उसे खुले बाजार से खरीदते हैं ?।

श्री धामनकर : मंत्री महोदय के अनुसार यह स्पष्ट है कि ब्रिटेनिया कंपनी ने अनियमित विस्तार किया है और सरकार ने उसे नोटिस दे रखा है। तो अंतिम कार्यवाही होने तक क्या सरकार उस पर प्रतिबन्ध लगाएगी और उसे अपने उत्पादन कम और उचित मूल्य पर बेचने को बाध्य करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यदि हम इस पर भी नियंत्रण रखें तो हमें एक विपणन संगठन भी बनाना होगा। हमने नोटिस दिया हुआ है और उनका उत्तर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। अभी निःसंदेह अभ्यावेदन आएगा कि इतने श्रमिक बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उत्पादन कम किया जा रहा है-- यह बात माननीय सदस्यगण ही कहेंगे। फिर भी, मैं आश्वासन देता हूं कि उनके विरुद्ध वर्तमान विधि अनुसार कार्यवाही अवश्य की जाएगी।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या ब्रिटेनिया बिस्किट कम्पनी को लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनुसार ही कच्चा माल सरकार देगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : वह तो उन्हें खुले बाजार से मिल जाता है। सरकार द्वारा सप्लाई करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has not told us as to when notice was served on Britannia Biscuit Company and when their reply was received. I would like to know whether they have stated any reasons for going in for production for in excess of their licensed capacity? (*interruptions*)

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैं बता चुका हूं, कम्पनी ने अपने अतिरिक्त उत्पादन के नियमन के लिए आवेदन 1972 में किया.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतर्मय बसु, आप मंत्री महोदय का उत्तर मुझे सुनने नहीं दे रहे हैं। आप हर बार में ऐसे ही व्यवधान डाला करते हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हमने देखते ही उनकी अर्जी नामंजूर कर दी है और 2-3-1974 को उन्हें नोटिस दे दिया है कि उन्होंने गैर-कानूनी कार्य किया है। उनका उत्तर अभी हाल में प्राप्त हुआ है जिस पर विचार हो रहा है। इसके बाद वर्तमान विधि अनुसार हर संभव कार्यवाही की जाएगी **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं फिर भी आप बार बार खड़े हो जाते हैं। मैं हर बार इसे सहन नहीं करूंगा। आप अनुशासन नहीं रखते। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

डा० रानेन सेन : विवरण में बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली की डबल रोटी की पंजीकृत क्षमता का उल्लेख है। तो क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय ने इन केन्द्रों में कभी यह पता लगाया है कि क्या ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा वास्तव में डबलरोटी बनाई जाती है या नहीं और यदि हां, तो कितनी --मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। कलकत्ता के बारे में मुझे ठीक पता है कि यह कंपनी वहां एक दिन भी डबलरोटी नहीं बनाती अपितु इसके नाम पर मिलने वाला गेहूं और आटा सम्भवतया बिस्कुट बनाने के काम में लाया जाता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वे बंबई में लगभग 11,000 टन, कलकत्ता में 11,000 टन और दिल्ली में 23,000 टन डबलरोटी बना रहे हैं। मद्रास में भी थोड़ी सी मात्रा में वे डबलरोटी बनाते हैं। इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह अनुसूचित उद्योगों में से नहीं हैं, अतः वे केवल रजिस्टर ही कराते हैं।

पांचवीं योजना में उर्वरकों के मूल्य निर्धारण, उत्पादन और वितरण के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

*632. **श्री वसन्त साठे : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में आगामी मौसम के लिये उर्वरकों के मूल्य-निर्धारण, उत्पादन और वितरण के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं ; और

(ग) पांचवीं योजना में कितनी कमी रहने का अनुमान है और इससे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जहां तक उर्वरको के मूल्य निर्धारण और वितरण का सम्बन्ध है, सरकार की पहले से ही सुस्पष्ट नीतियां हैं जिनका कि पिछले वर्षों में विकास हुआ है। यूरिया, कैलिशयम एमोनियम नाइट्रेट और सल्फेट एमोनिया तीन महत्वपूर्ण उर्वरकों की कीमतों पर कानूनी नियंत्रण है और किसानों को अधिक कीमत पर इनकी बिक्री कानून के अन्तर्गत एक अपराध है। पोटाश सारी आयात होती है और इसकी कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सुपर-फास्फेट की कीमत भारत की फर्टिलाइजर एसोसिएशन, सरकार द्वारा अनुमोदित एक सूत्र के अनुसार निश्चित करती है। ऐसे सभी आयात किए गए उर्वरकों, जिनकी कृषि मंत्रालय द्वारा परिचालित केन्द्रीय उर्वरक पूल व्यवस्था करता है, की कीमतें पूल निर्धारित करता है और गैर-नियंत्रित उर्वरकों की कीमतों पर प्रभावी रोक का काम भी करता है।

आयात किए हुए उर्वरकों के वितरण के लिए आबंटन (निर्यात-उन्मुक्त कुछ वस्तुओं से सम्बन्धित खास कामोडिटि बोर्डों की छोटी-छोटी मात्राओं के अलावा) राज्य सरकारों को किया जाता है। राज्य 'सरकारों को निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार उनको आबंटित सभी उर्वरकों का वितरण वे सहकारी समितियों और दूसरी सार्वजनिक संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से करें।

जहां तक देशी तरीके से उर्वरकों के उत्पादन का प्रश्न है निर्माताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे खास राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को निर्दिष्ट मात्राएं बेंचे। राज्य में आन्तरिक वितरण घरेलू निर्माताओं पर छोड़ दिया गया। वैसे भी, उपलब्ध उर्वरकों जिसमें आयातित उर्वरक सम्मिलित हैं, के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय खरीफ तथा रबी मौसमों से पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलनों में सम्पूर्ण देश के लिए समन्वित संभरण योजनाएं तैयार करता है।

योजना में उर्वरकों के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। विभिन्न निवेशों की व्यवस्था द्वारा वर्तमान क्षमता से अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति के उपायों के अतिरिक्त,

योजना में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों में अतिरिक्त क्षमता के सृजन की व्यवस्था है। इन कार्यक्रमों की वार्षिक योजनाओं के तैयार किये जाने की अवधि वर्ष-प्रतिवर्ष आधार पर समीक्षा की जाती है।

1974-75 के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार किए गए उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार नाइट्रोजिनियस उर्वरक का उत्पादन बढ़कर 15 लाख टन नाइट्रोजन तथा फास्फेटिक उर्वरक का उत्पादन 4 लाख टन पी$_2$ ओ$_5$ हो जाने की आशा है जबकि 1973-74 में नाइट्रोजिन 10.78 लाख टन तथा पी$_2$ ओ$_5$ 3.23 लाख टन था।

वर्तमान अनुमानों के अनुसार उत्पादन तथा खपत के अन्तर को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात निम्नांकित है :—

(टन लाख में)

वर्ष	खपत के अनुमान			उत्पादन के अनुमान		अन्तर		
	एन०	पी०	के०	एन०	पी०	एन०	पी०	के०
1974-75	29.70	9.40	5.16	15.00	4.00	14.70	5.40	5.16
1975-76	34.00	10.35	6.50	20.00	7.30	14.00	3.05	6.50
1976-77	39.10	12.40	7.50	27.00	8.60	12.10	3.80	7.50
1977-78	45.00	14.95	8.60	30.00	10.20	15.00	4.75	8.60
1978-79 .	52.00	18.00	10.00	40.00	12.00	12.00	6.00	10.00

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, खपत और उत्पादन के बीच अन्तर को यथा-संभव बहुत हद तक आयात से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, पांचवीं योजना में स्थानीय खाद संबंधी संसाधनों के विकास के लिए विशेष स्कीम स्वीकृत की गई है। स्कीम के अन्तर्गत तीन लाख से अधिक की आबादी के चुने हुए 45 नगरों में यांत्रिक खाद के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। विशेष स्कीम के अन्तर्गत गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना किए जाने तथा उसके साथ ही मल और गन्दे पानी के उपयोग के कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए जाएंगे।

श्री वसन्त साठे : क्या यह सच नहीं है कि चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में काफी कमी हुई थी, जो कि मुख्य रूप से स्थानीय निर्माताओं द्वारा उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब, निर्माण सामग्री की कमी और सिन्दरी राउरकेला, ट्राम्बे, नैवेली और "फैक्ट" आदि वर्तमान एककों के अदक्षतापूर्ण रख-रखाव जैसे मानवी कारणों से थी? क्या यह सच नहीं है कि चौथी योजनावधि में नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्यों से 50 प्रतिशत कम और पी$_2$ ओ$_5$ जैसे अन्य उर्वरकों के मामले में 60.5 प्रतिशत के लगभग कम हुआ? क्या यह सच नहीं है कि इस कमी के कारण हमें चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में लगभग 429.52 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरकों का आयात करना पड़ा?

श्री मोहन धारिया : यह सच है कि उर्वरकों का उत्पादन चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में बहुत ही कम हुआ। हमने इसको गंभीरता से लिया है। परंतु इस सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि उर्वरक उत्पादन के प्रत्येक एकक के अध्ययन के लिए अनेक ग्रुपों की नियुक्ति की गई थी और 1974-75 के दौरान अर्थात् चालू वर्ष में आशा है कि उत्पादन 19 लाख टन से लगभग 26—27 लाख टन तक बढ़ जायेगा। जहां तक हमारी आवश्यकताओं और उत्पादन का सम्बन्ध है, पांचवीं योजना के शेष वर्षों के सम्बन्ध में, मैंने विवरण में उल्लेख कर दिया है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि इस के अनेक कारण हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है और हम इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही मैं सदन के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि हाल ही के तेल संकट ने हमारे रास्ते में बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी कर दी है। हम इसका समाधान करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : माननीय मंत्री ने अभी अभी तेल संकट का उल्लेख किया है। परन्तु क्या वे जानते हैं कि यद्यपि हमने उर्वरकों एवं पेट्रो-रसायनों के लिए अधिक नैप्था प्राप्त करने के विचार से पेट्रोल का मूल्य बढ़ा दिया है परन्तु हम वर्तमान क्षमता का समुचित अथवा पर्याप्त उपयोग नहीं कर रहे हैं? अब हमें बताया गया है कि हमारे पास नैप्था आवश्यकता से फालतू है और हम उसका निर्यात करने पर विचार कर रहे हैं, क्या आप को इस की जानकारी है? यह आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या विचार है? क्या वह नैप्था का उर्वरकों के उत्पादन के लिए, जिसकी देश को बहुत अधिक आवश्यकता है, उपयोग करेंगे अथवा क्या वह नैप्था का निर्यात करने की बात सोच रहे हैं?

श्री मोहन धारिया : जब तक कि हम नैप्था के उपयोग की क्षमता को बढ़ा न लें...

एक माननीय सदस्य : आपने कहा था कि आप उसे इस वर्ष बढ़ा रहे हैं।

श्री मोहन धारिया : मैंने कहा है कि इस वर्ष के दौरान हम उत्पादन में लगभग सात लाख टन की वृद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम अपनी क्षमता बढ़ायें तो निश्चित रूप से हम इसका उपयोग करेंगे। परन्तु विदेशी मुद्रा के संकट को देखते हुए इसे निर्यात करने के स्थान पर अन्य कोई विकल्प नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : रासायनिक उर्वरकों की कमी को देखते हुए, क्या सरकार "गोबर-गैस" संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है और यदि हां तो क्या सरकार उक्त प्रकार के संयंत्रों की स्थापना करने वालों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता जैसी विभिन्न सुविधाएं देने के प्रश्न पर विचार करेगी?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : इसमें कोई शक नहीं कि हमें 1974-75 में उर्वरक संकट का सामना करना पड़ेगा और यदि आज की विश्व की प्रवृत्तियां बनी रहीं तो मुझे डर है कि यह कमी बनी रहेगी और आने वाले कुछ समय तक चलती रहेगी।

हमने अपने उत्तर में कृषि में उत्पादन स्तर पर उर्वरकों की कमी के कारणों, विभिन्न पहलुओं का सामना करने के लिए वैकल्पिक नीति बनाने की आवश्यकता का संकेत दिया

है। इस बारे में गोबर गैस संयंत्रों और उनकी अधिक संख्या में स्थापना आदि के कुछ उपाय हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त, हमने सिफारिश की है कि कम्पोस्ट .... (व्यवधान)। मेरे पीछे की ओर से भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है । मुझे प्रसन्नता है कि मेरे कुछ सहयोगी कृषि में भी रुचि रखते हैं।

परन्तु हम भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कम्पोस्ट, हरी खाद और अन्य स्वदेशी तरीकों के उपयोग पर भी बल दे रहे हैं। इन कुछ उपायों पर हमें समन्वित ढंग से और व्यापक रूप से काम करना है।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : There is a mention in the statement about the gap in demand and supply position during the coming years. This gap is very wide. Certain measures have also been suggested to meet this gap. Importance has been attached to imports in this regard. There is plenty of raw material and new plants are also being set up in the country. Will it not be possible to set up any Fertilizer Plant in the country during the coming five years, so that our needs could be fulfilled? There is no mention in this regard in the statement. In addition, is it not possible to increase the production capacity of the present plants to meet this shortage? Hon. Minister may please explain this.

श्री डी० पी० धर : जहां तक आयात का प्रश्न है, इसमें सन्देह नहीं कि हमें कुछ उर्वरकों का आयात करना है। परन्तु उसके साथ ही, हमने कुछ वर्तमान संयंत्रों की क्षमता का विस्तार करने के साथ साथ सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

जब माननीय सदस्य ने सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के कार्यनिष्पादन का उल्लेख करते हुए उनकी समीक्षा की तो मैं यह अवश्य कहूंगा कि काफी संख्या में उर्वरक कारखानों की स्थिति में सुधार हुआ है। सिन्दरी एवं "फैक्ट" जैसे कुछ ऐसे कारखाने एवं एकक हैं, जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, जिनका पूरी तरह पुनरोद्धार किया गया है। उदाहरण के रूप में, नांगल में हमारा बहुत ही सुन्दर कारखाना है परन्तु बिजली की कमी के कारण उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हम नहीं कर पाये हैं। यह कारखाना 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर चल रहा था। यह सब कारण उर्वरक उद्योग के सरकारी क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावट डाल रहे थे। परन्तु यह स्थिति का वास्तविक चित्र नहीं है। यदि माननीय सदस्य की इस बात में रुचि हो तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र में 5 एकक स्थापित किए जा रहे हैं और सहकारिता एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 7 नये एककों की स्थापना अथवा विस्तार किया जाना है।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या विवरण में अन्तर के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिए गए हैं उनके बारे में फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया और योजना आयोग में कोई मतभेद है? दूसरे क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय और योजना आयोग को पता है कि हरी खाद के बीज देश में उपलब्ध नहीं हैं? क्या यह बहुत ही आवश्यक वस्तु है परन्तु देश में उपलब्ध नहीं है?

श्री डी० पी० धर : मुझे फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा व्यक्त विचारों का आधार मालूम नहीं, परन्तु मुझे इतना पता है कि हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में उर्वरक की कमी होगी। जहां तक खाद के बीजों का संबंध है, मैं इस बात की ओर माननीय कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा।

Constitutional Sanctions behind composition of planning commission

***633. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the status and composition of the Planning Commission have no constitutional sanctions;

(b) if so, whether for this reason, various Central Ministries and State Governments do not attach much importance to the suggestions of the Commission; and

(c) if so, whether there is slow pace of progress in the implementation of the Gandak Project, Dumaria bridge and other projects sanctioned by the Centre?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) . एक विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना आयोग का गठन भारत सरकार के दिनांक 15 मार्च, 1950 के संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न है) के अनुसार किया गया था । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6668/74] जैसा कि संकल्प के पैरा 6 में बताया गया है, योजना आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों से निकट से जानकारी प्राप्त कर तथा उनसे परामर्श कर तैयार की जाती हैं, उन पर निर्णय लेने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की है। अतः उल्लिखित या अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति से योजना आयोग के दर्जे और गठन का कोई संगत सम्बन्ध नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, I seek your protection. You may go through the question and the answer. You just see whether the question has been answered in the statement? You go through both of them and let us know whether the statement contains the answer to the question.

Mr. Speaker : It is a very lengthy reply.

Shri Bibhuti Mishra : You just go through it and see whether the statement contains the reply to the question or not ? If it does not contain the reply, my question may be held over for some other day. The Hon. Minister may reply to it on some other day.

Mr. Speaker : A part of your question has been replied to.

Shri Bibhuti Mishra : No part of the question has been replied to. You may please go through it. My question is whether Planning Commission is a constitutional body or not? He should give a categorical reply in 'yes' or 'No'. My second question is 'If so,' whether for this reason, various central Ministries and State Governments do not attach much importance to the suggestions of the Commission. My third question is, whether there is slow pace of progress in the implementation of the Gandak Project, Dumaria Bridge and other Projects sanctioned by the Centre. These questions have not been replied to.

योजना मंत्री श्री डी० पी० धर : मैं क्षमा चाहता हूं कि उत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया कि गन्डक और डूमरिया पुल, दोनों परियोजनाओं के पूरा करने के क्या कारण थे। दुर्भाग्य से इन दोनों परियोजनाओं का दुःखभरा इतिहास है।

मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि विभिन्न कारणों से, कुछ परिहार्य और कुछ अपरिहार्य, इन परियोजनाओं को पूरा करने में पर्याप्त विलम्ब हुआ है।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, the Hon. Minister has stated in para 6; to evaluate from time to time the progress achieved in the execution of each stage of the Plan and recommend the adjustments of policy and measures that such evaluation may show to be necessary and make such interim

or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate either for facilitating the discharge of the duties assigned to it, or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes, or on an examination of such specific problems as may be referred to it for advices by Central or State Governments. In addition some other things are also mentioned. May I know whether Panning Commission which was created through a Resolution and when some work was entrusted to it, it has consulted the Bihar Government about these Projects? If it did, what was the reply given by the Bihar Government about the delay in the matter and the reasons given about the delay? Or they did not give money? If the money was given did they not implement the scheme? What is the reply of the Minister in this regard?

Shri D. P. Dhar : Sir, it is a fact that there has been much delay in the completion of both the projects and when we made assessments with regard to different proposals, we asked the Government of Bihar the reasons for the delays in the projects. I know Shri Bibhuti Mishra is more familiar than myself with the reasons for the delay and, therefore, I do not want to repeat these things. But it is a misforturne that both these projects could not be completed in time and for this I have already expressed regrets in the House.

Shri Bibhuti Mishra : The thing is that I may be knowing these things but I have no powers. The powers rest in their hands or in the hands of the Government of Bihar. We have only powers to put questions in the House. It is being said in the country that Democracy is failing in the country. May I know from the Minister when these two projects would be taken over. About one scheme, the Minister had stated that the Gandak Project would be taken over in March. It is now 10th April. By what time it would now be taken over? The Minister had told me that as this scheme was also connected with Nepal, and U.P. and Bihar Governments, it would be taken over by the Central Government during March. May I know when the assurance would be fulfilled?

Shri D. P. Dhar : I think that the rest of failure of democracy in this regard is baseless. But this is a fact that there has been some delay in the completion of these two projects. I want to submit for his information that a Development Board has been constituted few days ago with regard to Gandak and a physical programme has been prepared so that the project could be completed according to that programme.

Shri Bibhuti Mishra : Are they taking over it or not?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

राव तुलाराम की स्मृति में डाक टिकट

*629. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1857 के एक महान स्वतन्त्रता सेनानी, राव तुलाराम की स्मृति में वर्ष 1974 में उनके जन्म दिन पर डाक टिकट जारी किए जाने की सम्भावना है, और

(ख) सरकार का विचार राव तुलाराम की स्मृति में डाक-टिकट कब जारी करने का है?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) राव तुलाराम की स्मृति में डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

मोकोकचुंग जिले में इम्पूर के समीप विद्रोही नागाओं द्वारा गोली चलाने से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाहियों की मृत्यु

*634. **श्री तरुण गोगोई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मार्च, 1974 को मोको कचुंग जिले में इम्पूर के निकट विद्रोही नागाओं ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के तीन सिपाहियों की हत्या कर दी; और

(ख) क्या सरकार ने विद्रोही नागाओं से बातचीत करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कब तक बातचीत किये जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। परन्तु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के तीन कर्मचारी घायल हुए थे और अस्पताल में उनकी हालत में संतोषजनक सुधार हो रहा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारण-सुविधाओं की व्यवस्था

*635. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की है अथवा कुछ उपायों पर विचार किया है, ताकि कृषि की उत्तम विधि, परिवार नियोजन और योजना की परियोजनाओं तथा अन्य सरकारी नीतियों की कार्यान्विति में जनता के सहयोग संबंधी सरकारी नीतियों का प्रचार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण जनता के लिए मुख्य कार्यक्रम 'देहाती' और 'कृषि और गृह' कार्यक्रम हैं। देहाती कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं और 'कृषि और गृह' कार्यक्रम 31 केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम और बातों के साथ-साथ सरकार की नीतियां प्रचारित करने के अतिरिक्त उन्नत खेती, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा, अल्प बचत, आदि के क्षेत्रों में सूचना देते हैं तथा योजना की विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्विति में जनता का सहयोग मांगते हैं।

Implementation on Employment Scheme in State under half-a-million Jobs' Programme

*636. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the progress made so far, State-wise, in the implementation of the half-a-million Jobs' scheme; and

(b) the percentage of permanent employment to the total employment apportunities provided under this scheme?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). A statement s laid on the Table of the House. [Placed in Library Sec. No. L.T. 6669/74].

चमड़ा कमानेवाले छोटे उद्योगों को सहायता

*637. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़ा कमाने वाले छोटे उद्योगों को तकनीकी वित्तीय और प्रबन्धात्मक सहायता देने का प्रस्ताव किया है ताकि वे पूरी तरह न कमाए हुए चमड़े की अधिक मात्रा पूरी तरह कमाकर निर्यात के लिए तैयार कर सकें;

(ख) क्या चमड़ा कमाने वाले छोटे उद्योग इस प्रस्ताव से सहमत हैं; और

(ग) यह सहायता कब तक दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि इस प्रस्ताव पर चमड़ा कमाने वाले छोटे उद्योगों में लगे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया अनुकूल ही होगी।

(ग) चमड़ा कमाने के लघु एककों को सभी प्रकार की अपेक्षित सहायता लघु उद्योग विकास संगठन के लघु उद्योग सेवा संस्थान के विस्तार कर्मचारियों तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा की जाती है।

सशस्त्र सेना के विकलांगों के रोजगार के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण

*638. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार सदन के समक्ष एक ऐसा विधेयक लाने का है जिसके द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों के लिए, अपने यहां कुछ प्रतिशत स्थानों को सशस्त्र सेना के विकलांगों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख): सरकार, सामान्यतया शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पदों का आरक्षण किए जाने के सम्बन्ध में उपयुक्त विधान अधि-नियमित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

नये टायर कारखानों को मूल्य-नियन्त्रण से छूट

*639. **श्री निहार लास्कर : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर उद्योग तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की हाल ही में बुलाई गई बैठक में नये टायर कारखानों के मूल्य-नियन्त्रण से छूट देने के लिए तर्क दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) और (ख). उद्योगों के प्रतिनिधियों से पांचवीं योजना के टायर तथा ट्यूब सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने हेतु 13 मार्च, 1974 को योजना आयोग में एक बैठक हुई थी जिसमें नये टायर कारखानों को मूल्य नियन्त्रण से छूट देने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया था। सुझाव पर कोई एक मत नहीं था।

केरल में हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के लिये रिहायशी मकान

640. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के लिए कितने रिहायशी मकान बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या चौथी योजना में इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त हो गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). चौथी योजना में अनुसूचित जातियों के लिए 663 मकानों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 314 मकानों का निर्माण हुआ जबकि लक्ष्य क्रमशः 1000 मकानों और 533 मकानों का था। चौथी योजना में कमी के कारण और पांचवीं योजना में निर्माण के लिए लक्ष्य राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं।

प्रौद्योगिकीय अपर्याप्तता के कारण उद्योगों में क्षमता का कम उपयोग

*641. **श्री रानेन सेन**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी एवं सरकारी—दोनों क्षेत्रों के इंजीनियरिंग उद्योगों में क्षमता के कम उपयोग का मुख्य कारण प्रौद्योगिकी आधार की अपर्याप्तता है; और

(ख) प्रौद्योगिकीय आधार का सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). भारत में इंजीनियरिंग उद्योगों का प्रौद्योगिकीय आधार सामान्यतया पर्याप्त ही है। जब कभी-कभी दृष्टिगोचर होती है तो उद्यमियों तथा इंजीनियरों एककों को अन्य बातों के साथ-साथ विदेशों के विख्यात फर्मों से सहयोग करने की अनुमति प्रदान करके उन्हें उपयुक्त रीति से अनुसन्धान, डिजाइन तथा विकास परियोजनाओं में सहायता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है।

भारत-रूस उपग्रह परियोजना

642. **श्री पी० गंगादेव**
श्री एम० शिवप्पा } : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस की उपग्रह परियोजना के कार्य के समन्वय के लिए एक रूसी दल ने जनवरी 1974 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उपग्रह से आधार सामग्री एकत्र करने के लिए दो स्टेशन स्थापित किये जाने हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : **(क) और (ख).** जी हां।

(ग) भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह से आंकड़े प्राप्त करने के लिए दो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक श्रीहरिकोटा में और दूसरा मास्को के निकट होगा। श्रीहरिकोटा के स्टेशन में उपकरण और कर्मचारी पूर्णतया भारतीय होंगे। मास्को के निकट के स्टेशन की स्थापना सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी द्वारा की जा रही है, परन्तु इस स्टेशन के लिए टेप-रिकार्डर की व्यवस्था भारत द्वारा की जाएगी, ताकि आंकड़े रिकार्ड करने के लिए बिल्कुल वही फार्मेट हो, जैसा कि श्रीहरिकोटा में है। इन दोनों स्टेशनों में टेलीकमांड-सुविधाओं का निर्माण भारत करेगा और सारा नियंत्रण भारतीय अधिकारियों का होगा।

अल्प संख्यकों की समस्या का अध्ययन करने के लिये एक आयोग का गठित किया जाना जैसा कि अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस मुशावरात के सम्मेलन द्वारा सुझाया गया है

*643. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस मुशावरात के सम्मेलन में सुझाव दिया गया है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनकी शिकायतों को दूर करने हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिये एक आयोग गठित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने मार्च 1974 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस मुशावरात के सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकृत प्रस्ताव के बारे में समाचार देखा है।

(ख) संविधान के अधीन भाषाई अल्प संख्यकों के लिए किए गये संरक्षणों के संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 350-ख के अन्तर्गत एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोई अन्य सांविधिक प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। सभी लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कानूनी तथा अन्य उपायों के अतिरिक्त सभी अल्पसंख्यकों की समस्याओं से विशेष रूप से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में एकक प्रभाग बनाया गया है।

गुजरात खादी बोर्ड के कार्यकारण के बारे में जांच

*644. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की अपराध निवारक सोसायटी (क्राइम प्रीवेंशन सोसायटी आफ गुजरात) ने केन्द्रीय सरकार से गुजरात खादी बोर्ड के कार्यकरण के बारे में जांच करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें गुजरात खादी बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। कुछ अभियोगों का एक आवेदन भारत सरकार को प्राप्त हुआ है।

(ख) इस प्रकार के किसी ज्ञापन के गुजरात सरकार को प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ग) भारत सरकार को प्राप्त आवेदन जिसे कि गुजरात सरकार के पास जांच के लिए भेजा गया है राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखकर इस संबंध में कार्यवाही का निर्णय किया जाएगा ।

नागा समस्या को संघ के भीतर ही सुलझाने के बारे में नागालैंड के मुख्य मंत्री का सुझाव

***645. श्री अरबिन्द एम० पटेल**
श्री बेकारिया } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नागा सामस्या का समाधान संघ के भीतर ही खोजा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य मंत्री द्वारा किए गए ठोस प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग) सरकार ने नागालैण्ड के मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में व्यक्त किए गए विचारों की प्रैस रिपोर्ट देखी है। इन रिपोर्टों के अनुसार मुख्य मंत्री ने कहा है कि उन्हें भारत सरकार की घोषित नीति की परिधि में समझौते के होने की आशा है। 5 अप्रैल, को जब नागालैण्ड के मुख्यमंत्री मुझ से मिले थे तो उन्होंने राज्य में शांति बनाए रखने और हिंसक गतिविधियों की रोकथाम करने की आवश्यकता और महत्व पर सहमति प्रकट की थी।

इलैक्ट्रोनिक्स के विकास में इलैक्ट्रोनिक्स संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक

***646. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या इलैक्ट्रानिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक मार्च, 1974 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने देश में इलैक्ट्रोनिक्स विकास के सभी पहलुओं का पुनरीक्षण किया था; और

(ग) क्या इस बैठक में इलैक्ट्रोनिक्स के सामानों के निर्यात में तेजी लाने के लिए नीति के बारे में भी चर्चा हुई और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इलैक्ट्रोनिक्स संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति ने, जिसकी बैठक 11 व 12 मार्च, 1974 को नई दिल्ली में हुई, देश में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग के विकास एवं प्रगति से संबंध कतिपय पहलुओं की समीक्षा की। विशेषतया इन बातों पर विचार हुआ :—

(1) इलैक्ट्रोनिक्स एवं दूर संचार के लिए पांचवीं योजना प्रस्ताव;

(2) इलैक्ट्रोनिकी उद्योग की प्रगति के समक्ष समस्याएं;

(3) निर्यात हेतु नीति;

(4) इलैक्ट्रोनिकी उद्योग हेतु जनशक्ति।

देश में इलैक्ट्रोनिकी विकास के सभी पहलुओं की समीक्षा पहली बैठक में ही करना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

(ग) इलैक्ट्रोनिकी सामान के निर्यातों में तेजी लाने की नीति के संबंध में बैठक के मध्य अनेक सुझाव दिए गए, जिनमें से कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव निम्नांकित हैं :—

(1) कार्य की बहुत सी शिफ्टों का संचालन करके विद्यमान प्लाटों की क्षमताओं का अधिक पूर्ण उपयोग किया जा सकता है।

(2) प्रतिष्ठापित क्षमताओं के आधार पर कच्चे माल के लाइसेंस एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाएं; और, नीति के अनुसार, खपत का प्रमाण मिलने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए और पुर्नस्थापन लाइसेंस दिए जांए। कच्चे माल और घटकों की कमी निर्यात प्रयास में गंभीर बाधा सिद्ध हो रही है।

(3) वापसी प्रक्रमों को सहज और एकसार बनाया जाए।

(4) सारणीबद्ध मद्दों को प्राप्त करने में सम्प्रति भारी विलंब होता है। जब इन मद्दों की आवश्यकताएं अत्यल्प हों, तब ऐसे आयातों की इन मामलों में अनुमति दे दी जाए :

1. प्लास्टिक सामग्री,
2. एपोक्सी रिजिन्स,
3. एल्यूमिनियम,
4. टिन,
5. जिंक,
6. कोपर वायर।

(5) इलैक्ट्रोनिक्स उपस्कर के विषय में अप्रचलन की ऊंची दर के कारण मूल्यह्रास अधिक ऊंची दर पर अनुमत किया जाए; और

(6) निर्यात संवर्धन प्रयोजनों के लिए यात्रा हेतु उदार विदेशी मुद्रा की अनुमति दी जानी चाहिए।

सरकार इन बातों की सम्पत्ति परीक्षा कर रही है।

Publicity of Proceedings of Parliament over AIR.

6229. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the things said or raised by opposition Members during day-to-day proceedings of **Parliament** are given prominence in the broadcaste;

(b) whether Congress Members do not get such a treatment;

(c) whether Government's attention has been invited to the broadcast that began with a prominent reference to the speech of Shri Atal Bihari Vajpayee on his private resolution, discussion on which was concluded on Friday, the 15th March, 1974; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to ensure equal justice for all in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b). The proceedings of the two Houses of Parliament are covered in the news bulletins of **A.I.R.** strictly according to their news value and with a view to providing listeners a balanced account of the statements and speeches by Government spokesmen, Members of the Congress Party and Opposition Parties. It is not correct that views of the Opposition Members are given prominence in preference to those of the Congress Members of *vice-versa*.

(c) On Friday March 15, 1974, the main evening bulletin began with a statement made by the Minister of State for Law and Justice in the Lok Sabha that Government were considering a proposal to reduce the voting age to eighteen years.

(d) Does not arise.

कोयले के कृत्रिम पट्रोल के निर्माण के लिये धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये परीक्षण

6230. **श्री एस० एन० सिंह देव / श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कोयले से कृत्रिम पैट्रोल के निर्माण की सम्भाव्यता के संबंध में प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो किए गए इन परीक्षणों की मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ओद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) हाईड्रोजनीकरण के सीधे प्रयोग द्वारा आसाम कोयले को तेल में परिवर्तित करने के लिए संस्थान में आयोजित किए गए प्रयोगशाला परीक्षणों से उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं। प्रविधि को विकसित करने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

मध्य प्रदेश में आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए आशुलिपिकीय प्रशिक्षण

6231. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में बेरोजगार शिक्षित आदिवासी अभ्यार्थियों को आशुलिपिकीय प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एस० मोहसिन) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एक प्रोफेसर द्वारा पेट्रोल में सादा जल मिलाने से अधिक शक्तिशाली बन जाने वाले इंधन का निर्माण

6232. **श्री लम्बोदर बलियार :** क्या विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि कोटामंगलम में मार एथनासलस कालेज के एक प्रोफेसर ने एक ऐसे इंजन का निर्माण किया है जो कि पेट्रोल तथा ईंधन के साथ सादा पानी प्राप्त करके 40 प्रतिशत अधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या सरकार ऐसी परियोजना को प्रोत्साहन देगी?

ओद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने, अपेक्षाकृत अच्छी ईंधन-क्षमता के लिए तेल-पानी के मिश्रण के प्रयोग को व्यवहार्यता के संबंध में, विशेषज्ञों को अपनी राय देने के लिए कहा है। सरकार इन विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के परिप्रेक्षय में अगली कार्यवाही के करने के संबंध में निर्णय करेगी?

केरल सर्किल में कर्मचारियों का कल्याण

6233. **श्री वयालार रवि :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के केरल सर्किल में उस सर्किल के कर्मचारियों को आवास सुविधाएं देने के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ख) उक्त सर्किल में इस हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी राशि व्यय की गई और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह जल्दी ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य और कृषि संगठन के अन्तर्गत केरल में नारियल जटा अनुसंधान केन्द्र

6234. **श्री वयालार रवि :** क्या ओद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अंतर्गत केरल राज्य में कुछ नारियल जटा अनुसंधान केन्द्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) फिलहाल केरल में कोई अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार नहीं है। किन्तु हाईपावर संबंधी अन्तर सरकारी दल ने अस्थाई रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक कैयर अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की है। अनुसंधान केन्द्र की स्थापना-स्थल के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Short Fall in Production in Madhya Pradesh

6235. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the shortfall in production in Madhya Pradesh due to power shortage during the last six months.

(b) whether Government have conducted a survey in this regared; and

(c) if so, the salient factures thereof?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (*a*) to (*c*). The power supply position in Madhya Pradesh is generally satisfactory and there have been no Reports of any major short falls in supplies to industrial units.

Recovery of Chinese Publicity Material and Equipment from Chhatisgarh Area of Madhya Pradesh

6236. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Chinese publicity material and equipment have been discovered recently in Chhatisgarh area of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the action taken against the guilty persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) & (*b*). Facts are being ascertained.

Functioning of telephone in M.P.

6237. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether telephone services have deteriorated considerbly in Madhya Pradesh and particularly in Indore Division and the complaints of the subscribers have increased; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (*a*) & (*b*). No, Sir. The quality of local telephone service in Madhya Pradesh has by and large been of the same order in 1973 as it was in 1972. In Indore particularly the incedence of faults and complaints during 1973 was marginally less than what it was in 1972.

There has been a slight decrease in the percentage of effective trunk calls during the 1973 compared to 1972. This was mainly due to some deterioration in the performance of the long distance trunk circuits caused by copper wire thefts etc. Action is already in progress for replacing the copper wire trunks with aluminium covered steel reinforced (ACSR) wires or copper clad steel wires which are less prone to such thefts.

Automatic Telephone System in M.P.

6238. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4746 on 27th March, 1974 regarding automatic telephone system

in M.P. and state the time by which automatic telephone system will be introduced in the remaining Districts of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : Small automatic exchanges are existing even now in all the districts of Madhya Pradesh except two districts, *viz.*, Sidhi and Tikamgarh. An automatic exchange at Vaidan in Distt. Sidhi, is likely to be opened in 74-75 and one at Niwan in Tikamgarh Distt. is likely to be opened in 1975-76.

As far as 45 District Headquarters are concerned Auto exchanges are existng at 14 Districts Headquarter. During the Fifth Plan automatic exchanges are proposed to be installed in 14 more Districts Headquarters. The remaining district headquarters will be coverd in the early part of the sixth plan, when automatic equipment production is augmented.

Air Pollution in Big Cities

6239. Shri Lambodar Baliyar : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of the big cities in the country where air-pollution is more rampant;

(b) the schemes proposed to be drawn up by the Government to check the same; and

(c) the names of the big cities proposed to be covered under the said scheme and the expenditure proposed to be incurred in each of these cities?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) Bombay, Calcutta, Delhi and Kanpur.

(b) Although no specific scheme is being drawn up by Government, draft legislation on control of air pollution is under process. The Indian Standards Institution is engaged in working out standards for levels of air pollutants.

(c) Question does not arise.

दिल्ली में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी

6240. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान दिल्ली में बिना बारी के कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए, और

(ख) ऐसे आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है जो इस समय विचाराधीन हैं और टेलीफोन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). दिल्ली में वर्ष 1973-74 के दौरान बिना बारी के जो नए टलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए उनकी संख्या 880 है। इनमें से 32 कनेक्शन, केबिल युग्मों के उपलब्ध न होने के कारण अभी तक नहीं दिए जा सके।

Appointment of Controllers in Sick Textile Mills, West Bengal

6241. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number and the names of sick textile mills in West Bengal at present in respect of which Government have appointed Controllers; and

(b) the loss sustained or profit earned by these mills during 1973-74.

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (*a*) & (*b*). At present, there are 14 textile undertakings in West Bengal, whose management has been taken over by Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972. The names of these undertakings and the profit/loss (provisional figures) made by them during the period April to December, 1973 are as follows :—

Sl. No.	Name of the undertaking	Net profit/loss (Rs. in lakhs)
	Under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 :	
1.	Bengal Fine Spg. & Wvg. Mills Ltd., No. 1, Konnagar.	7·41
2.	Bengal Textile Mills Ltd., Cossimbazar,	1·05
3.	Manindra Mills Ltd., Cossimbazar.	1·77
4.	Central Cotton Mills Ltd., Calcutta.	0·78
5.	Bengal Luxmi Cotton Mills Ltd., Serampore.	8·53
6.	Sri Mahalaxmi Cotton Mills Ltd., Palta.	1·76
7.	Rampooria Cotton Mills Ltd., Serampore.	(—)2·54
8.	Laxminarayan Cotton Mills Ltd., Rishra.	10·57 (Upto November, 1973).
	Under Sick Textile Undertaking (Taking Over of Management) Act, 1972 :	
9.	Arati Cotton Mills, Dassnagar, Howrah.	(—)4·85*
10.	Bangasri Cotton Mills, Sodepore.	(—)5·23
11.	Bengal Fine Spg. & Wvg. Mills, Mill No. 2, Kataganj.	1·43
12.	Jyoti Wvg. Factory, Calcutta.	(—)8·01
13.	Kanoria Industries (Cotton Mills Section).	(—)2·38**
14.	Sodepur Cotton Mills, Sodepur, Konnagar.	(—)1·55

*The mill started normal production in May, 1973. The figures of loss relate to the period May to December, 1973.

**The mill started normal production in June, 1973. The figures of loss relate to the period June to December, 1973

Survey conducted by C.S.I.R. for ascertaining number of unemployed Scientists, Engineers and Doctors

6242. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Man Power Department of the Council of Scientific and Industrial Research has conducted a survey to ascertain the approximate number of unemployed scientists, engineers and doctors in the country at present;

(b) if so, the result of the survey; and

(c) the effective steps proposed to be taken by Government to provide employment to them?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) did not undertake any special survey of unemployed scientists. engineers and doctors in the country at present. The CSIR however carried out a study of unemployed technical personnel and other graduates in the country on the basis of the data collected in the 1971 census.

(b) According to this study it has been estimated that 199,689 persons of the categories, scientists, engineers and doctors were unemployed in April, 1971. Their category-wise distribution is as under :—

1. General Scinece (Post Grad.)	—	18,881
2. General Science (Grad.)	—	1,05.486
3. Agricultural Sc. (Post. Grad.)	—	1,180
4. Agricultural Sc. (Grad.)	—	7,073
5. Engineering & Tech. (Degree)	—	21,294
6. Engineering Tech. (Diploma)	—	40.506
7. Medicine (Degree)	—	5,269

(c) Government are concerned about the unemployment amongst educated persons and are continually considering measures for improving employment opportunities. Some of the measures already taken in this direction are given in the attached statement . [*Placed in Library*. See No. L.T. 6670/74].

उद्योगों को दुर्लभ कच्ची सामग्री के वितरण सम्बन्धी नीति

6243. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ही उपलब्ध दुर्गम कच्ची सामग्री के वितरण संबंधी अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). इस्पात तथा अलौह धातुएं सबसे महत्वपूर्ण दुर्लभ कच्चा माल होता है। जहां तक इसपात का संबंध हैं उस पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है प्रत्युत वर्तमान वितरण नीति के अधीन मुख्य इस्पात संयंत्र से इस्पात की सप्लाई को त्रैमासिक उपलब्धता इस्पात के उपयोग के लक्ष्य तथा प्रतियोगी मांगों के आधार पर इस्पात मंत्रालय की इस्पात प्राथमिकता समिति के द्वारा विनियमित की जाती हैं। जहा तक अलौह धातुओं का संबंध है जस्ते के देशी उत्पादन का नियतन पहले प्रतिरक्षा रेलवे डाक व तार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा सम्भरण व निपटान महानिदेशालय के द्वारा पूरे किए जाने वाली सुविधाओं के लिए किया जाता है जो शेष रह जाए उसे तकनीकी विकास महानिदेशालय/विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कारखानों में बांटा जाने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय/विकास आयुक्त (लघु उद्योग) को सौंप दिया जाता है। ये नियतन छमाही आधार पर किया जाता है देश में सीसे का उत्पादन कुल आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है तथा देश कोई सम्पूर्ण उत्पादन का नियतन प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। जहां तक तांबे का सम्बन्ध है देश के उत्पादन को पहले सम्भरण व निपटान महानिदेशालय की संविदाओं को पूरा करने के निमित नियत किया जाता है बाकी को तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में दर्ज कारखानों को उनकी सिफारिश के आधार पर दिया

जाता है। उनकी बाकी की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते आयात नियतन करते समय तकनीकी विकास महानिदेशालय में दर्ज कारखानों को किए गए नियतन को ध्यान में रखा जाता है। अल्यमिनियम के सम्बन्ध में वैद्युत चालक ग्रेड धातु का वितरण अनौपचारिक वितरण नियतंत्र के अधीन है तथा इसका नियतन तकनीकी विकास महानिदेशालय/लघु उद्योग के अन्तर्गत आने वाले कारखानों निर्यातकर्ता एककों तथा सम्मरण व निपटान महानिदेशालय को किया जाता है। वाणिज्यिक किस्म के अल्युमिनियम पर कोई वितरण नियंत्रण नहीं है।

परमाणु ऊर्जा संसाधनों का विकास

6244. श्री सी० के० जाफ़र शरीफ : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विद्युत् विकास योजना में परमाणु ऊर्जा संसाधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता नही दी जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग को एक बड़े आकार संयंत्र के लिए चालू कलण्डर वर्ष में डिजाइन कार्य आरम्भ करने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम को आर्थिक तथा अन्य प्रकार के साधनों के अनुरूप हर तरह से प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) 235 मेगावाट शक्ति के रिऐक्टर का डिजायन फिर से तैयार किया जा रहा है। यह प्रस्तावित डिजाइन इस प्रकार का होगा कि उसे मापदण्ड मानकर एवं उसके सिद्धान्तों का प्रयोग करके भविष्य में लगाए जाने वाले 500 मेगावाट शक्ति के रिऐक्टरों का डिजायन तैयार किया जा सकेगा। 500 मेगावाट शक्ति की रिऐक्टर प्रणाली के परिकल्पनात्मक डिजाइन पर काम शुरू किया जा चुका है तथा 235 मेगावाट शक्ति के रिऐक्टर के उपरोक्त प्रस्तावित डिजाइन के पूरा हो जाने के बाद इस पर और आगे काम शुरू किया जाएगा।

बिजली की कटौती के कारण इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी

6245. श्री मर्तण्ड सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1973 के दौरान बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप देश में राज्यवार इंजीनियरी वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन में हुए ह्रास के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1974 की शेष अवधि में इस अन्तर को पूरा करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). यद्यपि अधिकतर राज्यों ने समय-समय पर बिजली की कमी बताई है, किन्तु केवल बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होने का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। फिर भी कुछ इंजीनियरी उद्योगों में प्रमुखत: बिजली की कमी के कारण हुई हानि की सरकार के पास उपलब्ध जानकारी को लोक सभा में 25 जुलाई, 1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर में दे दिया गया है। बाद की अवधि में उत्पादन की हानि का पता नहीं लगाया गया है।

Postal Facilities in Various Colonies of Delhi

6246. **Shri Purshottam Kakodkar :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the dak intended for Madan Park, Manohar Park, Chhanna Mal Park, Jaidev Park and Ashoka Park Extension is being delivered by the Delhi-110035 zone instead of New Delhi-110026 while these colonies are near and attached to zone-110026;

(b) whether for this reason the Postal service in these colonies is generally irregular; and

(c) if so, the time by which Government propose to remove this difficulty?

The Miniser of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) Yes Sir;
(b) No Sir;

(c) As a result of there demarcation of the boundaries between Delhi Postal Division and New Delhi Central Postal Division, these areas are being transferred to delivery zone New Delhi-110026.

डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के बाद उनकी वरिष्ठता

6247. **श्री झारखण्डे राय** ; क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के स्थानान्तरण संबंधी नियम 38 के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की मांग करने वाले कर्मचारी अपनी वरिष्ठता खो बैठते हैं;

(ख) क्या कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां, जिस कर्मचारी को नियम 38 के अंतर्गत किसी दूसरे यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है, उसको नये डिवीजन में उस काडर के सभी कर्मचारियों के नीचे, जिनमें उस काडर में नियुक्ति के लिए अनुमोदित सूची के व्यक्ति भी शामिल हैं, रखा जाता है। अगर किसी कर्मचारी को नियम 38 के अंतर्गत किसी दूसरे कर्मचारी के साथ पारस्परिक सहमति से स्थानांतरित किया जाता है, तो नए यूनिट में उसे पुराने डिवीजन में उसकी वरीयता के आधार पर या जिस कर्मचारी के साथ उसने पारस्परिक सहमति से तबादले के लिए अर्जी दी है उस कर्मचारी की वरीयता के आधार पर, इनमें से जो भी नीचे हो, स्थान मिलेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Indian Engineers In U.S.S.R.

6248. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Science and Technology be pleased to state whether Government propose to ascertain through the Indian Embassy in Soviet Russia the present number of Indian engineers in that country?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) maintains an Indians Abroad Section of the National Register for registration of Indian Scientists, Engineers, Technologists, Medical Personnel etc. in overseas countries (including U.S.S.R.). Forms for registration are available with Indian Missions abroad. Registration is voluntary.

205 Indian Engineers in U.S.S.R. were registered from 1-1-65 to 31-12-73. Of them 23 Engineers were reported to be in U.S.S.R. as on 31-12-1973.

प्रयोक्ताओं को कागज की सप्लाई

6249. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पेपर मिल्स ऐसोशियेशन ने अपनी वार्षिक बैठक में मूल्य ढांचा स्वयं तैयार करने हेतु इस उद्योग के लिए स्वतन्त्रता की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कागज की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि तथा कागज की अत्याधिक कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार कागज की सप्लाई तथा उसकी कीमत को नियमित करने की आवश्यकता को अधिक महत्व देती है; और

(ग) वास्तविक प्रयोक्ताओं को उचित कीमतों पर कागज की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या निर्णय किए गए हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) भारतीय कागज मिल संघ की वार्षिक सामान्य बैठक में संघ के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षी भाषण में इस प्रकार का सुझाव दिया था।

(ख) और (ग) कागज, लुग्दी तथा सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद की दिनांक 16-1-74 को हुई बैठक में कागज मिलों, कागज व्यापारियों तथा कागज संपरिवर्तकों इत्यादि ने एक स्वैच्छिक आचार संहिता अपनाई थी। इस आचार संहिता को लागू करने के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई गई है। औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो द्वारा कागज की लागत ढांचे की जांच की जा रही है। इस अध्ययन से उद्योग की युक्तिसंगत मूल्य नीति निर्धारित करने में सरकार को सहायता मिलेगी। इस बीच कागज उद्योग ने उपभोक्ताओं के निर्बल वर्गों को कम मूल्य पर लेखन व मुद्रण के कागज की सप्लाई करने का आश्वासन दिया है।

पोस्टकार्डों तथा अन्तर्देशीय पत्रों की कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध जनसंघ के स्वयंसेवकों द्वारा प्रदर्शन

6250. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंघ के स्वयं सेवकों ने 19 मार्च, 1974 को राजधानी में 35 डाकघरों के बाहर पोस्ट कार्डों तथा अन्तर्देशीय पत्रों की कीमतों में की जाने वाली प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का है।

4—256LSS/74

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

स्वर्गीय प्रो० एस० एन० बोस द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले कमरे का परिरक्षण

6251. **श्री समर गुह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय प्रो० एस० एन० बोस द्वारा कलकत्ता स्थित अपने निवास में अपने प्रयोग में लाये जाने वाले कमरे को परिरक्षित रखने का है, और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये प्रोफेसर के परिवार के सदस्यों के विचार जाने जायेंगे?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) श्रीमन, राष्ट्रीय आयोजना समिति की, जिसकी स्थापना 'बोस सांख्यिकी' की 50वीं वर्षगांठ मनाने के संबंध में गत वर्ष की गयी थी, लेकिन जिसे अब दिवंगत प्रो० एस० एन० बोस की यादगार के परिरक्षण के लिए उपायों को सुझाने का काम भी सौंपा गया है, सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। जब भी आवश्यक होगा प्रो० बोस के परिवार के सदस्यों से परामर्श किया जायेगा।

जम्मू व काश्मीर में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का षड़यंत्र

6252. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में, जम्मू व काश्मीर में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिये प्रयत्नशील तथा एक गुप्त पाकिस्तानी एजेन्सी से धन पाने वाला एक 12 सदस्यीय पाक-समर्थक गिरोह पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह की कार्य-प्रणाली क्या थी; और

(ग) क्या इस गिरोह की गिरफ्तारी के फलस्वरूप राज्य में ऐसे भड़काऊ एजेन्टों की सक्रियता का भेद खुला है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि श्रीनगर पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक शान्ति तथा सद्भाव भंग करने के प्रयत्न करने के कारण एक मामला दर्ज किया गया है। पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक की गई जांच-पड़ताल से इन व्यक्तियों का किसी विदेशी एजेंसी के साथ सम्बन्ध होने का संकेत नहीं मिलता है। फिर भी, जांच पड़ताल जारी है।

फुंके हुए पेट्रोलियम कोक का उत्पादन

6253. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फुंके हुए पेट्रोलियम कोक के उत्पादन के लिए कुछ योजनाओं को मन्जूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो किस फर्म को ये योजनायें आवंटित की गयी हैं; और

(ग) उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फैंके हुए (कैलसिन्ड) पेट्रोलियम कोक के उत्पादन के लिए पंजीकृत योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

फर्म का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता
1. मै० कार्बन प्रोडक्ट्स	हल्दिया (पं० बंगाल)	50,000 मी० टन
2. मै० तमिलनाडू इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	मद्रास, तमिलनाडू	50,000 मी० टन
3. श्री एम० के० मोहता	विशाखापतनम (आ० प्र०)	50,000 मी० टन
4. मै० गोआ कार्बन लि०	गोआ	50,000 मी० टन
5. मै० सूगनेरिया कर्माशियल	विशाखापतनम (आ० प्र०)	50,000 मी० टन अभी क्रियान्वित किए जाने की संभावना नहीं है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में और आगे संशोधन के लिये सुझाव

6254. **श्री शंकर राव सामन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार तथा बम्बई बार एसोसियेशन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में और आगे संशोधन के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संशोधनों का स्वरूप क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावित संशोधनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता को महाराष्ट्र में लागू करने के लिए उसमें संशोधन करने का

प्रस्ताव किया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि (1) प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट के निर्णयों की अपील सत्र न्यायालयों में करने की अपेक्षा जैसी कि नई संहिता में व्यवस्था की है सीधे उच्च न्यायालय में की जाय, (2) "आनरेरी मजिस्ट्रेटों" तथा जस्टिसेज आफ पीस प्रणाली जैसी पुरानी संहिता में है बनी रहे (3) ऐसे मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को दिया जाय तथा (4) राज्य सरकार द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त करते समय सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने की आवश्यकता समाप्त की जाय। बम्बई बार एशोसिएशन ने उपरोक्त (1) के अतिरिक्त उन मामलों में जहां अभियुक्त व्यक्ति को दी गई जेल की सजा तीन महीने से अधिक न हो अपील करने की रोक को समाप्त करने के लिए नई संहिता में संशोधन करने के लिए सुझाव दिये हैं।

(ग) प्रस्तावित संशोधनों में समाहित प्रस्तावों पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा पहले ही विचार किया गया था। विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में विस्तार-पूर्वक विचार किया गया था और उसको 25 जनवरी, 1974 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। अतः सरकार महाराष्ट्र सरकार तथा बम्बई बार एशोसिएशन द्वारा संशोधन करने के लिए दिए गये सुझावों से सहमत नहीं थी, क्योंकि सरकार उन निर्णयों में बिना उनके कार्यकरण को देखे संशोधन करना उचित नहीं समझती जो ऐसे दीर्घकाल से सुविचारित तथा सावधानी से विचार करने के बाद किए गये हैं।

पांचवीं योजना में उद्योगों के लिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य

6255. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान दर से भारत में बिजली के उत्पादन से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक लक्ष्य पूरे हो जायेंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बिजली के उत्पादन दर में काफी बढ़ोत्तरी करने की परिकल्पना की गई है। 1978-79 के लिए निर्धारित बिजली के लक्ष्यों में औद्योगिक कार्यक्रमों की बिजली आवश्यकताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा गया है।

(ख) बिजली उत्पादन की वर्तमान कमी को पूरी करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। जो महत्वपूर्ण कदम उठाय गये, वे इस प्रकार हैं :—

(1) अधिकांशतः थर्मल बिजलीघरों का असंतोषप्रद गति से काम करने के कारण हैं, घटिया रख-रखाव, फालतू पुर्जों का उपलब्ध न होना और सम्भरित कोयले की किस्म घटिया होना। बिजलीघरों के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जे या तो प्राप्त किए जा चुके हैं अथवा उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की जा चुकी है। कतिपय बिजलीघरों खासकर पूर्वी क्षेत्र में फालतू पुर्जे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए गए थे। बिजलीघरों के रख-रखाव और फालतू पुर्जों के निर्माण और सम्भरण के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स ने फालतू पुर्जे और सेवा संगठन

स्थापित कर दिया है। थर्मल स्टशनों को खास कोयला क्षेत्रों से सम्बद्ध कर दिया गया है। हर रोज थर्मल बिजलीघरों को कोयले का सम्भरण सुनिश्चित रूप से होता रहे यह सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक प्रबोधन कक्ष स्थापित किया गया है ।

(2) प्रत्येक क्षेत्र में समन्वित आधार पर संयंत्र रख रखाव की समय सारणी तैयार की जा रही है। केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित अन्तःराज्य लाइनों द्वारा बैशी राज्यों से बिजली कमी वाले राज्यों को दी जा रही है। इस समन्वित संचालन द्वारा अधिकतम उपयोग के समय से अतिरिक्त जो बिजली है उसका उपयोग किया जा रहा है।

(3) धन आवंटित करते समय विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। जिन परियोजनाओं पर काफी निर्माण कार्य किया जा चुका है उनमें से कुछ को शीघ्रता से पूरा करने के लिए योजनाओं में दिए गए व्ययों से अधिक धन दिया गया। खास-खास परियोजनाओं के लिए 1972–73 में लगभग 41.5 करोड़ रुपये तथा 1973-74 में लगभग 42 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त परिव्यय दिए गए।

(4) विद्युतघरों के दैनन्दिन संचालन पर नजर रखने तथा निर्माण में प्रबोधन करने तथा समयसारिणी के अनुसार लक्षित तिथियों पर परियोजनानों को चालू करने के लिए योजना आयोग, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय जल व विद्युत आयोग में प्रबोधन कक्षों की स्थापना की जा रही है।

(5) परियोजनाओं को इस्पात, सीमेंट, विस्फोटक जैसे दुर्लभ सामग्री उपलब्ध करने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

Expenditure Incurred on Union Ministers

6256. Shri Jagannath Rao Joshi, Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the total expenditure incurred on the Union Ministers towards salaries, allowances and all other items during the years 1948-49 and 1968-69 respectively;

(b) the expenditure incurred on them during 1972-73; and

(c) whether Government have any constructive proposal to reduce this expenditure; and if so, the extent to which this expenditure will be brought down during the next year?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) A statement is attached.

(c) Salaries, Allowances and perquisites of the Ministers are already regulated by an Act of Parliament and the Statutory Rules. There is no proposal to impose ceiling on them to reduce expenditure on Ministers.

Statement

The expenditure incurred on salaries, sumptuary allowance and tour expenses of the Ministers during the year 1948-49, 1968-69 and 1972-73 is indicated below :

Year	Salaries	Sumptuary	Tour expenses
1948-49	5·69	1·02	2·01
1968-69	12·98	0·99	18·08
1972-73	12·38	0·98	28·37

2- The perquisites to which a Minister is entitled are free furnished residence and free supply of water and electricity. In respect of the latter, since 1st April, 1963 the Ministers have imposed a voluntary ceiling of Rs, 200 per mensum. The details of the total amount of expenditure incurred on maintenance of the residences and furnishings as also supply of water and electricity during the years 1968-69 and 1972-73 are being collected and will be laid on the Table of the House. Similar information in respect of the year 1948-49 is not available,

कलकत्ता में जर्मन लोकतांत्रिक गणतन्त्र के उप-वाणिज्य दूत की मृत्यु के बारे में जांच

6257. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 फरवरी, 1974 के एक कलकत्ता दैनिक पत्र में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार क्या यह सच है कि विधि चिकित्सा विशेषज्ञों ने पुलिस अधिकारियों पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने "जर्मन लोकतांत्रिक गणतन्त्र के उप-वाणिज्य दूत श्री एच० डी० जिम्मर की कलकत्ता में मृत्य सम्बन्धी जांच में पर्याप्त सहयोग नहीं दिया ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त आरोपों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टायरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

6258. **श्री जगन्नाथ मिश्र**
श्री रामावतार शास्त्री : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में टायरों की बढ़ती हुई कमी को ध्यान में रखते हुए टायरों के निर्यात पर, यदि पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध नहीं, तो कोई रोक लगाने का है ;

(ख) क्या इस कमी का कारण आवश्यक कच्चे माल का बहुत कम उपलब्ध होना और श्रमिकों की हड़ताल के कारण उत्पादन में कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने और विदेशों द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, नहीं।

(ख) बिजली की कटौती कारखानों में हड़ताल कच्चे माल आदि को अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उत्पादन की कमी से टायरों की कमी हुई है।

(ग) सरकार ने इस बारे में किसी दूसरे देश की सहायता के लिए पहल नहीं की है।

भारत में विदेशी सिगरेटों के कारण भारतीय सिगरेटों की मांग कम होना

6259. श्री के० मालन्ना : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक प्रकार की उत्कृष्ट विदेशी सिगरेटें देश के सभी शहरों में सरलता से उपलब्ध हैं जिसके फलस्वरूप भारत में निर्मित सिगरेटें या तो बाजार में रही ही नहीं या गत कुछ वर्षों में उनकी बिक्री बहुत ही कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) सिगरेटों का आयात करने की अनुमति नहीं है। सरकार के पास अनधिकृत तौर पर लाई गई विदेशों में बनी सिगरेटों की उपलब्धता के सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। सरकार भारत में बनी सिगरटों की बिक्री के भी कोई आंकड़े नहीं रखती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Implementation of Recommendations of Administrative Reforms Commission

6260. Shri Phool Chand Verma : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have implemented all the recommendations of the Administrative Reforms Commission; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of the Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) In 20 reports presented to the Government, the Administrative Reforms Commission have made 578 recommendations, out of which 527 (including 5 partly) recommendations concern the Centre and the remaining 56 (including 5 partly) concern the State governments.

Out of 527 (including 5 partly) recommendations concerning the Centre, decisions have been taken on 408 (including 23 partly) and of these :

(i) 351 (including 47 partly) recommendations have been accepted with or without modifications; and

(ii) 87 (including 36 partly) recommendations have not been accepted.

The remaining 137 (including 18 partly) recommendations are still under the consideration of the Govt.

Of the 351 (including 47 partly) recommendations which have been accepted with or without modifications, 277 (including 49 partly) recommendations have already been implemented and the remaining recommendations are in various stages of implementation.

Four comprehensive statements showing the decisions taken and the implementation of these decisions, from time to time, were laid on the Table of the house on 31st July, 1970, 17th November, 1971, 20th December, 1972 and 22nd August, 1973.

Some of the recommendations of the Administrative Reforms Commission are of far-reaching importance and cannot be implemented wihtout proper consideration of their various implications and without making adequate preperation for the changeover. Moreover, a great deal of inter-departmental consultation and in some cases consultation with the state governments which requires a lot of time is also involved. However, the highest priority is being given to these matters.

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में उत्पादन

6261. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अपने नियन्त्रण में लिए जाने से एक वर्ष पूर्व और एक वर्ष बाद, मिल वार कितना उत्पादन हुआ ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीय आयात प्रतिष्ठान परिषद् की स्थापना

6262. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय आयात प्रतिस्थापन परिषद बनाने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परिषद आयात प्रतिस्थापन के प्रयास तेज करने के लिए संस्थागत प्रबन्ध जुटाएगी; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) यद्यपि सरकार एक आयात प्रतिस्थापन परिषद् स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी किन्तु अब यह निश्चय किया गया है कि इस सम्बन्ध में विद्यमान समितियां इस कार्य को देखेंगी । इस प्रकार देश में अलग आयात प्रतिस्थापन परिषद् स्थापति करने का प्रस्ताव नहीं है ।

बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को धन का नियतन

6263. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के आधार पर धन राशि न दे कर राज्य की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल को इस प्रयोजन के लिए वर्षवार कितनी धन राशि दी गई; और

(ग) गत तीन वर्षों में जिन राज्यों को अधिकतम और न्यूनतम धनराशि दी गई, उनके नाम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विभिन्न विशेष रोजगार कार्यक्रम, नामतः ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित त्वरित स्कीम, शिक्षित बेरोजगारों से सम्बन्धित कार्यक्रम, पांच लाख रोजगार कार्यक्रम तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष रोजगार कार्यक्रम, चौथी योजना में प्रारम्भ किए गए थे। राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष रोजगार कार्यक्रम को छोड़कर, अन्य उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर की गई थी।

जहां तक ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित त्वरित स्कीम का सम्बन्ध है, सामान्य रूप से प्रत्येक जिले को केन्द्रीय सहायता समानता के आधार पर नियत की गई थी ताकि औसत रूप में एक वर्ष में 10 महीने के लिए, 1,000 व्यक्तियों को बराबर रोजगार उपलब्ध किया जा सके।

शिक्षित बेरोजगारों से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्कीमों के वास्ते धन नियत करने के लिए कोई एक समान मानदण्ड नहीं अपनाया गया था, क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई स्कीमों के स्वरूप और विषय एक दूसरे से बिलकुल अलग-अलग थे। उदाहरणार्थ, इस कार्यक्रम के मातहत शुरू की गई प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और उसकी कोटि में सुधार स्कीम के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का प्रथम दो-तिहाई अंश पिछड़े राज्यों के लिए सुरक्षित कर दिया गया था और एक-तिहाई अन्य राज्यों के लिए था। पिछड़ेपन का निर्धारण ऐसे स्कूल जाने वाले बच्चों के आधार पर किया गया था जिनके लिए प्राथमिक स्कूलों तक की सुविधा नहीं थी। दूसरे, राज्यों को सहायता स्कूल जाने वाले बच्चों की सूची के आधार पर दी गई थी। ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता राज्यों में ऐसे जिलों की संख्या के अनुसार नियत की गई थी जिनमें या तो ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम जो अब सूखाप्रवृत्त क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, या फिर ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित त्वरित स्कीमें जारी थीं। ग्रामीण जल आपूर्ति से सम्बन्धित अभिकल्प एकक स्कीम के लिए धन का आवंटन ऐसे राज्यों को किया गया था जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आदि की पूर्ति के विचार से स्थायी रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में समझे जाते हैं।

पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुख्यतः तीन बातों को ध्यान में रखते हुए दी गई थी:

(1) जनसंख्या (1971 की जनगणना के अनुसार), (2) 30 जून, 1972 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्ररों में अंकित काम खोजने वालों की संख्या, और (3) 30 जून 1972 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज काम खोजने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या।

विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन जनसंख्या (1971 की जन गणना) के आधार पर किया गया था। जनसंख्या के आधार पर राज्यों

को धन का आवंटन योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कारण तो किया ही गया, परन्तु इसके साथ ही साथ एक कारण यह भी था कि यह कार्यक्रम सभी वर्गों के लाभ के लिए था, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, दोनों के अशिक्षित व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ राज्यों को समान राशि अपने अतिरिक्त संसाधनों से जुटानी थी। इसके अतिरिक्त, रोजगार कार्यालयों से उपलब्ध होने वाले बेरोजगारी के आंकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी की स्थिति इतनी यथार्थता से स्पष्ट नहीं हो पाती जितनी शहरी क्षेत्रों के सम्बन्ध में होती है। इसका कारण यह है कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज लोगों में से मुश्किल से 33 प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्रों से थे।

(ख) पश्चिम बंगाल को इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष नियत की गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :— (लाख रुपए)

	1971-72	1972-73	1973-74
1. ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित त्वरित स्कीम . .	299.00	320.00	262.50
2. शिक्षित बेरोजगारों से सम्बन्धित कार्यक्रम . .	98.25	219.75	302.29
3. 1973-74 में प्रारम्भ किया गया शिक्षित बेरोजगारों को पांच लाख रोजगार कार्यक्रम .	—	—	1500.00
4. 1972-73 में प्रारम्भ किया गया राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष रोजगार कार्यक्रम .	—	218.00	185.70

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत तीन वर्षों में जिन राज्यों को सर्वाधिक तथा न्यूनतम केन्द्रीय सहायता दी गई उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

		1971-72	1972-73	1973-74
1. ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित त्वरित स्कीम . .	अधिकतम	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
	न्यूनतम	मेघालय	त्रिपुरा	मेघालय और त्रिपुरा
2. शिक्षित बेरोजगारों से सम्बन्धित कार्यक्रम . .	अधिकतम	बिहार	उत्तर प्रदेश	बिहार
	न्यूनतम	त्रिपुरा	मणिपुर	मणिपुर
3. 1973-74 में प्रारम्भ किया गया पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम	अधिकतम	—	—	पश्चिम बंगाल
	न्यूनतम	—	—	नागालैंड
4. 1972-73 में प्रारम्भ किया गया राज्यों संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष रोजगार कार्यक्रम	अधिकतम	—	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
	न्यूनतम	—	नागालैंड	नागालैंड

हरिजनों में साक्षरता की प्रतिशतता

6264. श्री एम० कल्याण सुन्दरम
श्री भान सिंह भोरा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु वाले हरिजन बच्चों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने स्कूलों में जाते हैं और कितने नही जाते ; और

(ग) देश में कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हरिजनों में साक्षरता की प्रतिशतता कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कोई ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) स्कूलों के रजिस्टरों में वर्ष 1967-68 जिसके लिए सूचना उपलब्ध है अनुसूचित जातियों के बच्चों की संख्या 81,91,078 थी ।

(ग) कुल जनसंख्या . 29.45 प्रतिशत

अनुसूचित जातियां . 14.71 प्रतिशत

टिप्पणी—(1) उपरोक्त आंकड़े सन् 1971 की जनगणना के हैं और उसमें 0-4 वर्ष की उम्र की जनसंख्या सम्मिलित हैं ।

(2) अनुसूचित जातियों में साक्षरता के प्रतिशत के आकड़े अस्थाई हैं ।

राष्ट्रपति की अनुमति के लिये गुजरात अधिकतम भूमि सीमा विधेयक

6265. श्री अरविन्द एम० पटेल
श्री वेकारिया } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ने अधिकतम भूमि सीमा विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोसहिन) : (क) और (ख) गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) विधेयक, 1972 जिसका उद्देश्य गुजरात अधिकतम कृषि भूमि अधिनियम 1960 का संशोधन करना है जिससे कि भूमि की अधिकतम सीमा कम की जाय तथा ऐसी सीमा से अधिक भूमि अधिग्रहण की जाये, दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुआ था । कथित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा 23-2-1974 को अनुमति दी गई थी । राज्य सरकार को अनुमति की सूचना 25-2-1974 को दी गई थी।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा

6267. **श्री गजाधर मांझी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा के लिये सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध की हैं; और

(ख) उड़ीसा राज्य में अन्य समुदायों की लड़कियों की तुलना में उनकी साक्षरता की प्रतिशतता कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) 1971 में साक्षरता का अनुमानिक प्रतिशत इस प्रकार है :—

आम लड़कियां . .	13.75 प्रतिशत
अनुसूचित जातियों की लड़कियां . . .	5.17 प्रतिशत
अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियां . .	2.58 प्रतिशत

जनजातीय संस्कृति का परिरक्षण

6268. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय संस्कृति के परिरक्षण के लिये राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ;

(ख) क्या भारत में जनजातीय विकास एवं सामुदायिक विकास खण्डों ने जनजातीय कलाओं को प्रदर्शित करने और उनका परिरक्षण करने के लिये संग्रहालय खोले हैं और यदि नहीं, तो उनके परिरक्षण के लिये क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) उनका परिरक्षण करने और प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि सभी संप्रदाय अपने वंश के अनुसार विकसित हों । विधान बनाते अथवा अन्य प्रशासनिक कार्यवाही करते समय यह सावधानी बरती जाती है कि वे आदिवासी समुदायों के रहन-सहन के तरीके में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें । किन्तु आर्थिक विकास की प्रक्रिया से किसी समुदाय के सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्वाभाविक परिवर्तन होता है ।

(ख) देश में 11 आदिवासी अनुसंधान संस्थाएं हैं जिनमें से अधिकांश में संग्रहालय हैं जहां आदिवासी समुदायों की कलाओं और शिल्पों को रखा जाता है । भारतीय अदिमजाति सेवक संघ जैसे कुछ गैर-सरकारी संगठनों के पास भी संग्रहालय हैं, जो आदिवासी कला का प्रदर्शन और संरक्षण करते हैं । बहुत से राज्य संग्रहालयों में भी आदिवासी कला से सम्बन्धित एक विशेष अनुभाग है । भारत का मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है ।

(ग) केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग प्रदान करती है ।

Provision of Land for Houses to SC /ST in Bihar

6269. Shri Ramavtar Shashtri : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether on the occasion of the celebrations of the Silver Jubilee of the National Independence, a decision had been taken by the Government of India in regard to providing land for building houses free of cost, to 25 thousand families of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Bihar; and

(b) if so, the follow-up action Government propose to take in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) The celebration of the Silver Jubilee of the National Independence *inter alia* envisaged selection of one Jayanti Village in each block for all-round development including provision of house sites particularly for the Harijans and the landless labour. Under the Central Sector Scheme of the Ministry of Works and Housing for provision of house sites to landless Workers in rural areas, introduced in October, 1971, the Central Government was to provide 100% grant to State Governments/Union Territories for providing house sites, free of cost, to landless workers including Scheduled Castes and Scheduled Tribes in rural areas.

Since the inception of the scheme in October, 1971, 44 projects for provision of 32,608 house sites at an approved cost of Rs. 62·87 lakhs, in different districts of Bihar have been sanctioned so far. A sum of Rs. 15·71 lakhs being 25% of the approved cost of the projects has been advanced to the State Government for their execution.

पानी निकालने वाली पवन चक्कियों का डिजाइन बनाना और स्थापित करना

6270. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **विज्ञान और प्रद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय समिति ने केन्द्रीय सरकार से देश में पानी निकालने वाली पवन चक्कियों में डिजाइन बनाने और स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या नेशनल एयरोनाटिक्स लिमिटेड के पास पवन चक्कियां बनाने की हर प्रकार की विशिष्ट जानकारी उपलब्ध है और कुछ राज्यों में वे चल भी रही हैं ;

(ग) प्रत्येक पवन चक्की को स्थापित करने में अनुमानत: कितनी लागत आयेगी और जब वे चलाई जायेंगी तो प्रत्येक पवन चक्की की क्षमता कितनी होगी; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया है और यदि हां, तो इस बारे में उन की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) देश के कुछ भागों में पानी निकालने के लिए पवन चक्कियां लगाने की सिफारिश उपयुक्त परीक्षण के बाद विज्ञान व तकनालोजी की राष्ट्रीय परिषद द्वारा बनाई गई विंग पावर की विशेषज्ञ समिति के द्वारा की गई है ।

(ख) नेशनल एरोनोटिकल लेबोरेटरी बंगलौर ने कम अश्व शक्ति की पवन चक्की का विकास किया है । देशी निर्माताओं द्वारा ऐसी पवन चक्कियों को बनाना सम्भव है ।

(ग) संचायक टंकी पाइप, संस्थापन (इन्स्टालेशन) इत्यादि सहित प्रत्येक पवन चक्की की संस्थापना लागत का अनुमान 16,000 रु० है । लिफ्ट हाइट पम्प व्यास वायु की गति इत्यादि अनेक बातों पर पवन चक्की की क्षमता निर्भर करेगी ।

(घ) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं तथा समस्त सम्बन्धित पक्षों को दृष्टिगत रख कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण उद्योगों का विकास

6272. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में 12 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4539 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उद्योगों में विकास के बारे में प० बंगाल से कोई कार्यक्रम प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने का दायित्व राज्य सरकार का है जिससे इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, केन्द्रीय सरकार चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये पंजी के रूप में सरकारी सहायता, आयातित और अन्य प्रकार का कच्चा माल उदारता पूर्वक देने के साथ-साथ तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

महाराष्ट्र में प्रिंटिंग प्रैसों का बन्द होना

6273. **श्री धामनकर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर पूना के अनेक प्रैसों ने कागज की कमी के कारण अपना काम बन्द करने का निर्णय किया है और हजारों कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजा जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति न आने देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई भी सूचना न तो राज्य सरकार से और न मुद्रणालयों से ही प्राप्त हुई है।

किन्तु कागज मिलों ने स्वेच्छा से एक आचार संहिता अपनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि कागज मिलें :—

(1) उपभोक्ताओं को सीधे उनके पांच वर्षों की निकासी के आधार पर कागज सप्लाई करेंगी।

(2) ऐसे उपभोक्ताओं को जिन्हें वितरकों और व्यापारियों के माध्यम से सम्भरण किया जाता रहा है, सीधे सम्भरण करेंगी बशर्ते कि ऐसी सप्लाई उसी माध्यम से किसी कारणवश न की जा रही हो।

आशा की जाती है कि इन अभ्युपायों मुद्राणालयों सहित कागज उपभोक्ताओं की न्याय-संगत मांग पूरी की जा सकेंगी ।

दौरों पर खर्च हुई धनराशि

6275. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री वीरेन्द्र सिंह राव } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक उनके दौरों पर खर्च हुई धनराशि का माहवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या खर्च में वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

जनवरी, 1974	फरवरी, 1974	मार्च, 1974
शून्य	शून्य	940.00 रु०

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा

6276. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक प्रधान मंत्री ने प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का कितनी बार दौरा किया ;

(ख) प्रत्येक दौरे का क्या प्रयोजन था ;

(ग) प्रधानमंत्री के दौरों पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(घ) प्रधान मंत्री ने राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने सरकारी और कितने गैर-सरकारी दौरे किए ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकारी दौरे ग्राम सभाओं को संबोधित करने, विभिन्न समारोहों में भाग लेने, सम्मेलनों का उद्घाटन करने, सूखे, तूफान तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जाने और राज्य सरकारों तथा विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों व लोगों तथा प्रैस से मिलने के प्रयोजन हेतु प्रधान मंत्री के विभिन्न राज्यों के नियतकालिक भ्रमण की सामान्य प्रक्रिया के भाग थे।

(ग) प्रधान मंत्री कोई यात्रा तथा दैनिक भत्ता नहीं लेती हैं। प्रधान मंत्री सचिवालय द्वारा, सचिवालय के उन अधिकारियों पर जो इन दौरों—सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों के दौरान प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यों में उनकी सहायता के लिए उनके साथ गए थे, के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर 1377.40 रुपए का व्यय किया गया था। सरकारी दौरों में प्रधान मंत्री की ओर से 565.00 रुपए की राशि बक्शीश के रूप में दी गई थी।

विवरण

1 जनवरी, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक की अवधि में प्रधान मंत्री का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के दौरों का विवरण

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दौरों की कुल संख्या	
	सरकारी	गैर-सरकारी
असम . .	1	—
बंगाल	2	—
चण्डीगढ़ . .	1	—
गोवा, दमन और दीव .	1	—
गुजरात	2	—
हिमाचल प्रदेश .	1	—
जम्मू व कश्मीर	1	—
केरल .	3	—
मध्य प्रदेश . .	1	—
महाराष्ट्र .	3	—
मैसूर . . .	5	—
नागालैण्ड	1	—
उड़ीसा	3	—
पंजाब	3	—
तमिलनाडु . .	3	—
उत्तर प्रदेश . . .	19	4
जोड़	50	4

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

6277. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रधान** मंत्री विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के बारे में 12 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4385 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों को निम्नलिखित सहायक कम्पनियों अथवा शाखाओं पर विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, इंडिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर, यूनियन कार्बाइड, अमरीकन सिंगर स्युइंग मशीन कम्पनी, कोल-गेट-पामओलीव, फाइजर कम्पनी, कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, कैडबरी फ्राई, ब्रुक बांड इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड, इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, आई० सी० आई० (इंडिया) लिमिटेड, और ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

6278. **श्री बसन्त साठे : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के महालेखापाल ने दिसम्बर, 1973 और जनवरी, 1974 में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के मामले आवश्यक स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए उनके मंत्रालय को भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामले भेजे गए थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में, जिलावार, कितने मामले प्राप्त हुए थे, कितने मामलों को स्वीकार कर लिया गया है और स्वीकृति भेज दी गई है और कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के और उन स्वतंत्रता सेनानियों को विधवाओं के मामलों को जो पेंशन मंजूर किए जाने/पेंशन के लिए आवेदन पत्र भेजने के बाद मर गए हैं, निपटाने के लिए प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाए है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भेजे गए 104 मामलों में से 65 मामलों में आवश्यक संशोधन जारी कर दिए गए हैं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(घ) जी हां, श्रीमान्। उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्राथमिकता दी जाती है जो बहुत वृद्ध हैं (80 वर्ष से अधिक आयु वालों को प्रथम प्राथमिकता, 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को द्वितीय प्राथमिकता) अथवा जो बहुत बीमार हैं और जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत है। विधवाओं, जिनको जीविका का कोई साधन नहीं है, के मामलों पर भी बिना पारी के विचार किया जाता है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य के बारे में (जिलावार) आवेदनपत्रों की संख्या का विवरण जो 31-3-1974 तक प्राप्त हुए अनुमोदित किए गए व जिनकी स्वीकृति भेज दी गई और जो विचाराधीन है

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्राप्त हुए	अनुमोदित किए गए और स्वीकृति भेजी गई	विचाराधीन
1.	अहमदनगर	453	392	120
2.	अकोला	677	421	30
3.	अमरावती	731	360	210
4.	औरंगाबाद	232	28	94
5.	भान्द्रा	425	328	210
6.	भीर	190	57	10
7.	बुलदाना	124	85	60
8.	चान्द्रपुर	302	182	55
9.	धुलिया	302	212	55
10.	ग्रटर बम्बई	2008	767	1624
11.	जलगांव	948	392	215
12.	कोलाबा	313	170	216
13.	कोलहापुर	763	309	230
14.	नागपुर	1614	785	254
15.	नानदीद	363	87	73
16.	नासिक	523	246	228
17.	उसमानाबाद	687	495	445
18.	परमानी	337	168	76
19.	पना	1115	422	355
20.	रतनगीरी	280	108	51
21.	संगली	924	392	345
22.	सतारा	878	315	432
23.	सोलापुर	679	451	343
24.	थाना	492	202	372
25.	वर्धा	470	251	223
26.	यवतमाल	129	22	15
	जोड़	15961	7647	6341

रेडियो और टेलीविजन के बारे में भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच समझौता

6279. **श्री बसन्त साठे :**
श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए आल इंडिया रेडियो और पश्चिम जर्मनी के रेडियो के बीच सहयोग सम्बन्धी किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रोतोकाल की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 6671/74]।

कानून और व्यवस्था की स्थिति की खतरे की सम्भावना के प्रति जागरूक रहने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के अनुदेश

6280. **श्री तरुण गोगोई :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की तरह अन्य राज्यों में कानून और व्यवस्था को खतरे की संभावना के प्रति जागरूक रहने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) मूल रूप से लोक व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्यों का है। परन्तु केन्द्रीय सरकार उनके साथ सम्पर्क बनाए रहती है। मार्च, 1974 में गुजरात में दंगों के दौरान राज्य सरकार को सामान्यत: अपनी आसूचना एजेंसियों को सतर्क रखने तथा संभावित शान्ति भंग होने को रोकने के लिए यथोचित पूर्वोपाय करने तथा रोकथाम के उपाय करने की सलाह दी गई थी।

आसाम में लघु उद्योगों की सहायता

6281. **श्री तरुण गोगोई :**
श्री निहार लास्कर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से उचित सहायता प्राप्त न होने के कारण आसाम राज्य में लघु उद्योगों को भारी कठिनाई का सामान करना पड़ रहा है;

(ख) क्या राज्य में लघु उद्योगों को केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है;

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष सहायता की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) जी नहीं। वास्तव में असम के लघु उद्योग कारखानों को दी गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता में वृद्धि हुई है जून 1969 को ऋणों की राशि बकाया 144 लाख रु० थी सितम्बर, 1973 में बढ़कर 533 लाख रु० हो गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य अभिकरणों यथा राज्य सरकारों तथा राज्य वित्त निगमों के समान अन्य वित्तीय संस्थाएं भी लघु कारखानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

(ग) तथा (घ) असम के समेत विभिन्न राज्यों की पंचवर्षीय योजना के आकार तथा विषय अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हुए।

योजना आयोग का पुनर्गठन

6282. **श्री तरुण गोगोई :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन : } क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार योजना आयोग का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंन्दिरा गांधी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन के लिए आवेदन न कर सकने वाले विख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

6283. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ विख्यात स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी-पेंशन के लिए आवेदन करने में हिचक महसूस कर रहे हैं, सरकार उनका, विशेष रूप से अण्डमान जेल से वापस आने वाले स्वतंत्रता सेनानी और उनमें से कुछ भारत की मुख्य भूमि की जेलों में भी रहे थे और जो काफी विख्यात हैं तथा देश की जनता को जिनकी जानकारी है, पता लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी, और उन्हें पेंशन प्रदान करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कठिनाइयां हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). स्वतंत्रता सेनानियों का पता लगाने और उनको पेंशन प्रदान करने का इस समय कोई विचार नहीं है क्योंकि पहले से भारी संख्या में प्राप्त आवेदनपत्रों के शीघ्र निपटान पर बल दिया जा रहा है। यह योजना उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने के लिये है जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत है और जो उसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं।

टीस्टा बांध परियोजना (पश्चिम बंगाल)

6284. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीस्टा बांध परियोजना सम्बन्धी योजना, जो वृहद् योजना का अंग है, और जिसका उद्देश्य उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना है, प्राप्त हो गई है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने इसकी जांच की है और इसे मंजूर करने तथा इसके लिए 70 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और क्या उसे मंजूरी दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) नवम्बर, 1973 में पश्चिम बंगाल सरकार से "टीस्टा बांध परियोजना—प्रथम उप-चरण फ़ेज-1-संशोधित प्रस्ताव (केवल पश्चिम बंगाल के लिए)" नामक स्कीम प्राप्त हुई थी। जिस पर 69.72 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है, इस स्कीम में टीस्टा नदी पर बांध तथा लिंक नहर का निर्माण करने तथा महानद नदी पर एक और बांध बनाने तथा महानद नदी के बाएं तट पर नहर स्सिटम बनाना है परिकल्पित किया गया है जिससे पश्चिम बंगाल के दीनाजपुर और मालदा जिले में प्रति वर्ष 380,000 हैक्टर भूमि में सिंचाई की जा सके। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा इस स्कीम पर कार्यवाही किए जाने के बाद यह स्कीम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा बिजली की तकनीकी सलाहकार समिति को विचारार्थ सौंप दी गई थी तकनीकी सलाहकार समिति का विचार है कि निवेश के अनुरूप लाभ प्राप्त करने के लिए इस स्कीम के लिए एक क्रमबद्ध निर्माण कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के कतिपय अन्तर्राज्यीय पक्ष भी है जिनसे योजना आयोग द्वारा इस स्कीम की स्वीकृत किए जाने से पूर्व निपटना होगा।

उत्तर-बंगाल में जूट-स्टिक से कागज बनाया जाना

6285. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम द्वारा प्रकाशित इस समाचार पर उनके मंत्रालय ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है कि अखबारी कागज़ सहित बढ़िया और घटिया दोनों किस्मों के कागज़ का उत्पादन उन जूट स्टिकों से किया जा सकता है, जिनका अभी कोई सार्थक उपयोग नहीं होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जूट-स्टिकों से कागज़ बनाने की प्रक्रिया में द्रुत गति लाने के प्रश्न पर उनका मंत्रालय विचार करेगा और इस प्रकार की एक या अधिक परियोजना उन क्षेत्रों में स्थापित करेगा जहां जूट काफी मात्रा में उपलब्ध होता है;

(ग) उपयुक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए, क्या उनका मंत्रालय उत्तरी बंगाल (पश्चिम बंगाल) के कूच बिहार में जूट-स्टिकों से कागज का निर्माण करने की परियोजना को मंजूरी देने पर विचार करेगा, जहां कच्चा माल उपलब्ध है और किसी भी इच्छुक प्राइवेट उद्यमकर्ता को सरकार क्या अन्य प्रोत्साहन देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (घ) वन अनुसंधान संस्था देहरादून ने जूट के डंठलों से लिखने छपाई करने तथा पैकिंग की चिकनाहट रोधक कागज बनाने की प्रक्रिया का विकास किया है। सरकार ने कागज तथा अखबारी कागज तैयार करने हेतु जूट के डंठलों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की संभावना पर विचार किया है किन्तु ये डंठल केवल कुछ ही ऋतुओं में उपलब्ध होते हैं तथा इन्हें इकट्ठा करने व भंडारण में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं फिर भी यह कठिनाई यदि सफलता पूर्वक हल की जा सकी तो जूट के डंठलों से कागज व अखबारी कागज बनाने के लिए परियोजनाओं की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

6286. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या के राज्यवार नवीनतम उपलब्ध आंकड़े क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या इस प्रकार है :—

भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
1	2	3
भारत . . .	79,995,896	38,015,162
1. आंध्र प्रदेश	5,774,548	1,657,657
2. असम	912,639	1,919,947
3. बिहार . . .	7,950,652	4,932,767
4. गुजरात . . .	1,825,432	3,734,422
5. हरियाणा . . .	1,895,933	—
6. हिमाचल प्रदेश . . .	769,572	141,610
7. जम्मू व काश्मीर . . .	381,277	—
8. केरल .	1,772,168	269,356
9. मध्य प्रदेश	5,453,690	8,387,403
10. महाराष्ट्र .	3,025,761	2,954,249
11. मणिपुर . .	16,376	334,466
12. मेघालय	3,887	314,230
13. मैसूर . .	3,850,034	231,268
14. नागालैंड	—	457,602

1	2	3
15. उड़ीसा	3,310,854	5,071,937
16. पंजाब	3,348,217	--
17. राजस्थान	4,075,580	3,125,506
18. तमिलनाडू	7,315,595	311,515
19. त्रिपुरा	192,860	450,544
20. उत्तर प्रदेश . .	18,543,916	198,565
21. पश्चिमी बंगाल .	8,816,028	2,532,969
22. अंडमान और निकोबार . . .	--	18,102
23. अरुणाचल प्रदेश	339	369,408
24. चंडीगढ़	29,073	--
25. दादरा और नागर हवेली . .	1,332	64,445
26. दिल्ली	635,698	--
27. गोवा, दमन और दीव . . .	16,514	7,654
28. लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी .	--	29,540
29. पांडिचेरी	72,921	--

†मिजो जिला जो अब मिजोराम नामक एक प्रथक संघ शासित क्षेत्र है, शामिल है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलग-अलग आंकड़े अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

योजना के बारे में विचार गोष्ठी

6287. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री प्रसन्नभाई मेहता } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की आयोजना की समीक्षा करने के लिए 14 और 15 मार्च, 1974 को एक द्विदिवसीय विचारगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की गई है; और

(ग) उक्त विचार गोष्ठी में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) योजना आयोग ने 16 और 17 मार्च, 1974 को गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, रेडिकल ह्यूमनिस्ट ऐसोसिएशन तथा स्कालर्ज फाउन्डेशन के तत्वावधान में योजना के सम्बन्ध में दिल्ली में हाल ही में हुई संगोष्ठी (सेमिनार) के बारे में प्रेस रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) इस संगोष्ठी (सेमिनार) से संबंधित कोई रिपोर्ट योजना आयोग में प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) प्रैस रिपोर्टों के अनुसार इस संगोष्ठी (सेमिनार) के कतिपय सुझाव निम्नलिखित थे :—

(1) कृषि तथा ग्राम विकास का विकेन्द्रीयकरण :

(2) जनसांख्यिकीय नियंत्रण;

(3) व्यापक आधार पर प्रगति के भागीदार बनने के लिए अनिवार्य आधार तैयार करने हेतु एक समन्वित ढांचे में समाज कल्याण तथा शैक्षणिक नीतियां बनाना; तथा

(4) जहां पर भौतिक नियंत्रण लागू किया जाना व्यावहार्य न हों वहां से उसे हटा देना ।

तमिलनाडु में डाकखानों का खोला जाना

6288. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में कितने डाकखाने खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या अधिकांश ग्रामों में डाकखाने नहीं हैं और यदि हां, तो राज्य के प्रत्येक गांव में डाकखाना खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने डाकघर खोले जाएंगे इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) इस राज्य के 23,747 गांवों में से 31-12-73 को 8773 गांवों में डाकघर थे । प्रत्येक 3 गांवों के लिए औसतन एक डाकघर है जबकि अखिल भारतीय औसत के अनुसार प्रत्येक 6 गांवों के लिए एक डाकघर है । इस प्रकार अखिल भारतीय औसत की तुलना में इस राज्य के डाकघरों की औसत काफी अच्छी है । डाकघर उन गांवों में खोले जाते हैं जहां आबादी, निकटतम डाकघर से दूरी, डाकघर से होने वाली अनुमानित आय और सरकार द्वारा बर्दाश्त किये जाने वाले घाटे की रकम आदि से संबंधित निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं । केवल उन्हीं गांवों में डाकघर खोलना व्यवहार्य है जो निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं ।

"सिद्धार्थ" फिल्म के प्रदर्शन पर रोक

6289. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'सिद्धार्थ' नामक विवादास्पद फिल्म को भारत में प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फिल्म सेंसर बोर्ड को 'सिद्धार्थ' नामक फिल्म के प्रमाणीकरण हेतु कोई आवेदन-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में क्षेत्र प्रचार एकक

6290. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के सभी जिलों में क्षेत्र प्रचार एकक कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अगर वे कार्य कर रहे हैं, तो उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां वे कार्यरत हैं और इन एककों में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं, क्षेत्रीय प्रचार एकक केरल के सभी जिलों में काम कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षेत्रीय प्रचार एकक केरल के जिलों में अल्लैप्पी, कण्णनूर (जो माही को भी कवर करता है), एर्नाकुलम, कोट्टयन (जो इडक्की को भी कवर करता है), कोजीकोड (जो मलापुरम को भी कवर करता है), त्रिचूर (जो पालघाट को भी कवर करता है) और त्रिवेन्द्रम (जो कुइलोन को भी कवर करता है) में काम कर रहे हैं।

इन एककों में काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 58 है।

सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिज्ञों और व्यापार गृहों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन पड़े अनिर्णीत मामले

6291. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिज्ञों, व्यापार गृहों और उद्योगपतियों के विरुद्ध ऐसे मामलों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है, जिन में अभी जांच होनी है ; और

(ग) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में ऐसे कितने मामलों को निपटाया गया ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यों के विरुद्ध 31-3-1974 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास अनिर्णीत मामलों की संख्या तथा वर्ष 1971, 1972, 1973 के दौरान और मार्च 1974 के अन्त तक निपटाए गए मामलों की संख्या के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये स्वनियोजन योजनायें

6292. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कुछ स्वनियोजन योजनाएं तैयार की हैं, और

(ख) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि की मंजूरी दी गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, हां। 1973-74 में पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत केरल राज्य में मूलतः 213.05 लाख रुपए के परिव्यय की 17 स्वरोजगार स्कीमें स्वीकार की गई थीं। इसके बाद दो और स्वरोजगार स्कीमें तथा पूर्व-स्वीकृत स्कीमों में कुछ संशोधन, जिनमें 87.14 लाख रुपए का अतिरिक्त परिव्यय होता, इस शर्त पर स्वीकार किए गए कि इस कार्य के लिए वांछित परिव्यय की पूर्ति वर्ष 1973-74 में राज्य के पूरे पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए 451.54 लाख रुपए के परिव्यय में की जाने वाली बचत से की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, 1973-74 में केरल राज्य के वास्ते "शिक्षित वेरोजगारों को सहायता स्कीम" के अंतर्गत 51 लाख रुपए की एक राशि और निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार को यह राशि ऐसी स्कीमों पर व्यय करनी थी जो कार्यक्रम के मागदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हो और (क) परामर्शदात्री सेवाओं, (ख) औद्योगिक भवन निर्माण के लिए उपांत धन की व्यवस्था करने, (ग) सम्भावयता रिपोर्ट, (घ) किराए के लिए सहायता और (ङ) औद्योगिक सहकारिताओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भी इस धन को खर्च कर सकती थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नियत राशि का प्रयोग किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

केरल के लिए अधिक बड़ी वार्षिक योजना

6293. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य ने केन्द्रीय सरकार से राज्य की वार्षिक योजना का आकार बड़ा करने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संसाधनों तथा क्षेत्रीय परिव्ययों के बारे में 3 अप्रैल, 1974 को जो विचार-विमर्श हुआ उसके आधार पर वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया गया। इसके बाद राज्य की वार्षिक योजना के आकार को बढ़ाने के लिए राज्य से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रंक टेलीफोन प्रणाली

6294. **श्री पी० गंगादेव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या को-एक्सियल लाइनों के खराब हो जाने पर अधिक विश्वासनीय ट्रंक टेलीफोन सेवा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : आजकल प्रमुख केन्द्रों के बीच अधिकांश ट्रंक और तार-संचार व्यवस्था जमींदोज़ कोएक्सियल केबुलों के माध्यम से ही दी जाती है। कोएक्सियल केबुल प्रणालियों के ठप्प हो जाने की स्थिति में, जहां कहीं संभव

होता है, छिट-पुट सेवाएं दूसरे मार्गों के ज़रिए दे दी जाती हैं और दूसरे मामलों में ये सेवाएं खुले तार की लाइनों पर दी जाती हैं। कोएक्सियल केबुल प्रणाली के खराब हो जाने के समय में खुले तारों के मार्गों पर कुछ सर्किटों की जो छिट-पुट संचार व्यवस्था की जाती है, उससे भरोसे की संचार सेवा नहीं मिलती क्योंकि खुले तार की प्रणालियों में परम्परा से बड़े दोष उत्पन्न हो जाने की संभावना होती है।

जब मौज़ूदा माइक्रोवेव योजनाएं पूरी हो जाएंगी तो मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई को जोड़ने वाले मुख्य ट्रंक मार्गों पर भरोसे का बैकल्पिक ज़रिया उपलब्ध हो जाएगा।

पूना स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्था के प्रबन्ध के लिये स्वायत्त निकाय की स्थापना

6295. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 14 नवम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 443 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पूना स्थित फिल्म और टेलीवीजन संस्था के प्रबन्ध के लिए एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करने के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्या होगें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय फिल्म और टलीवीजन संस्थान के कार्य सम्भालने तथा प्रबन्ध करने के लिए एक सोसाइटी गठित करने का निर्णय किया है।

भारत-जर्मन सहयोग

6296. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **औधोगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मन वाणिज्य मंडल ने पश्चिम जर्मन के साथ सहयोग के खर्चे के बारे में अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

औधोगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) शायद भारत में चल रहे भारत-जर्मन संयुक्त उद्यम विषयक निर्यात स्थिति पर भारत-जर्मन वाणिज्य मंडल द्वारा किए गए सर्वेक्षण की ओर संकेत किया गया है। सर्वेक्षण में वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 सम्मिलित है और उसमें उन 100 भारत-जर्मनी संयुक्त उद्यमों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है जिसे वाणिज्य मंडल ने उपयुक्त समझा था तथा जिसमें सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ लाभांश, लाइसेंस फीस, ब्याज भुगतान तथा इन कम्पनियों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के स्थानान्तरण द्वारा भारत-जर्मनी सहयोग के कारण विदेशी मुद्रा के बाहर जाने के तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में चल रहे भारत-जर्मनी सहयोगों के लाभांश, लाइसेंस फीस तथा ब्याज अदायगी के रूप में कुल धनराशि 1969-70 में 310.4 लाख रुपए तथा 1970-71 में 440.4 लाख रुपए थी। इसमें से इस अध्ययन के अन्तर्गत भारत-जर्मन सहयोगों से हुए कुल निर्यात पर 1970 में 960.9 लाख 1971 में 920.9 लाख तथा 1972 में 1110.6 लाख रुपए खर्चे हुए थे।

गुजरात के लिए पांचवीं योजना में नियतन का पुनरीक्षण

6297. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई भारी क्षति को देखते हुए सरकार का विचार पांचवीं योजना में गुजरात के लिए किए गए नियतन में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो कितनी ;

(ख) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने पर योजना आयोग ने पुनः विचार करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) 1974-75 में इस राज्य में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) गुजरात सहित सभी राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। हर राज्य की योजना का आकार उसके संसाधनों के जुटाए जाने पर, तथा पांचवीं योजना वधि में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा केन्द्रीय सहायता के नियतन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सूत्र के अनुसार राज्य को केन्द्रीय सहायता की उपलब्धि पर निर्धारित किया जाएगा। गुजरात की पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाना शेष है, इसलिए नियतनों का पुनः पुनरीक्षण या नई स्कीमों के शामिल किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग ने राज्य वार्षिक योजना 1974-75 के लिए 143.32 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। इसका क्षेत्रीय वितरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6672/74]।

Central Coordination Committee on Nutrition Programme

6298. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 485 on 27th March, 1974 regarding Coordination among various Ministries for implementation of nutrition schemes and state the composition and functions of the Central Coordination Committee proposed to be set up during the Fifth Plan?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : The Planning Commission is having consultations with Ministries and Departments concerned about the composition and functions of the proposed Coordination Committee.

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बेरोजगार इंजीनियरों को वित्तीय सहायता

6299. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के वर्षों के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए वर्ष-वार कितना धन आवंटित किया गया है तथा वर्ष-वार कितना धन दिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) विभिन्न योजना कार्यक्रमों और राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि के कार्य क्रमों के अतिरिक्त बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशन को रोजगार के अवसर प्रदान करने की अन्य दूसरी स्कीमों के अलावा अनेक विशेष स्कीमें चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू की गई थीं। ये हैं : (1) वर्ष 1971-72 में शुरू किया गया शिक्षित बेरोजगार का कार्यक्रम (2) वर्ष 1972-73 में शुरू किया गया विशेष रोजगार कार्यक्रम (3) शिक्षित बेरोजगारों के लिए वर्ष 1973-74 में प्रारम्भ किया गया पांच लाख नौकरियों का कार्यक्रम। ये स्कीमें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में भी कार्यान्वित की गई थीं। विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशनों को दी गई वित्तीय सहायता के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन वर्षों में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में, इन विशिष्ट स्कीमों, जिनमें कि साथ-साथ इंजीनियरों और तकनीशनों के लिए रोजगार की संभावनाएं हैं, के लिए किए गए आवंटन को कार्यक्रमानुसार नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

राज्य	वर्ष	(1971-72 में शुरू किया गया) इंजीनियरों और तकनीशनों सहित शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम	(1972-73 में शुरू किया गया) राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम	(1973-74 में शुरू किया गया) पांच लाख नौकरियों का कार्यक्रम
पश्चिम बंगाल .	1971-72	98.25	..	
	1972-73	219.75	218.00	..
	1973-74	302.29	185.70	1500.00
महाराष्ट्र	1971-72	100.82	..	
	1972-73	240.34	247.00	..
	1973-74	264.28	210.41	800.00

पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन का विकास

6300. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में योजना आयोग के कितने दलों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया ;

(ख) दलों के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन समस्याओं का अध्ययन किया ; और

(ग) क्या उस अवधि में किसी दल ने सुन्दर वन के विकास के लिए अध्ययन आरम्भ किया है और यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गत दो वर्षों में योजना आयोग के 4 दलों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए विभिन्न दलों के सदस्यों के नाम और उनके द्वारा विचार की गई समस्याएं दर्शाने वाला विवरण :—

तारीख	व्यक्तियों के नाम		जिन समस्याओं पर विचार किया
1	2		
23 तथा 24 मार्च, 1972	1. श्री पी० पी० अग्रवाल, सलाहकार (पी० ए०), योजना आयोग	अध्यक्ष	सूखा स्थिति का मौके पर जा कर अनुमान लगाया।
	2. श्री एस० के० गंगोपाध्याय, संयुक्त सचिव, योजना आयोग	सदस्य	
	3. श्री एस० डी० श्रीवास्तव, निदेशक (पी० ए०), वित्त मंत्रालय	सदस्य	
	4. श्री आर० बेंगू, उप सचिव, योजना आयोग	सदस्य	
	5. श्री पी० रोहिमिंगथंगा, उप सचिव, खाद्य विभाग	सदस्य	
	6. डा० पी० एस० भटनागर, निदेशक, चावल विभाग, कृषि मंत्रालय	सदस्य	

1	2	3
	7. श्री टी० एन० भार्गवा, सदस्य अधीक्षक अभियंता, सड़क खण्ड, परिवहन विभाग	
	8. श्री टी० दुरैराज, सदस्य उप सलाहकार (पी० एच० ई०), स्वास्थ्य मंत्रालय	
	9. डा० आर० एस० चावला, सदस्य ए० डी० जी० (एच० ए०), स्वास्थ्य मंत्रालय	
	10. डा० के० एम० गुप्त, सदस्य सहायक आयुक्त, (लघु सिंचाई), कृषि मंत्रालय	
7 से 10 अगस्त, 1972	1. श्री पी० पी० अग्रवाल, अध्यक्ष सलाहकार (पी० ए०), योजना आयोग	सूखे/बाढ़ की स्थिति का मौके पर अनुमान लगाने के लिए।
	2. श्री एस० के० गंगोपाध्याय, सदस्य संयुक्त सचिव, योजना आयोग	
	3. श्री हरि सिंह, सदस्य मुख्य अभियंता, सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय	
	4. डा० टी० एस० वोलोरिया, सदस्य संयुक्त निदेशक, कृषि मंत्रालय	
	5. श्री के० वी० त्यागराजन, सदस्य उप सचिव, खाद्य विभाग, कृषि मंत्रालय	
	6. श्री वाई० एल० राजवड़े, सदस्य अवर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	

1	2		3
18 नवम्बर 1972	1. श्री पी० पी० अग्रवाल, सलाहकार (पी० ए०), योजना आयोग	अध्यक्ष	सूखे/बाढ़ पर किए जाने वाले अधिकतम खर्चे का पुनरीक्षण करने के लिए।
	2. श्री पी० के० कौल, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय	सदस्य	
	3. श्री के० एम० बालसुब्रह्मणयम, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, योजना आयोग	सदस्य	
27 से 29 सितम्बर 1973 तक	1. डा० एस० के० राऊ, सलाहकार (पी० ए०), योजना आयोग	अध्यक्ष	बाढ़ का मौके पर अध्ययन करने और धन की जरूरतों का अनुमान लगाने के लिए।
	2. श्री एच० एन० दास, उप सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	सदस्य	
	3. श्री हरि सिंह, सदस्य, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, के० ज० तथा वि० आयोग	सदस्य	
	4. श्री एच० पी० श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त (फसल), कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय	सदस्य	
	5. श्री एम० एल० मण्डल, अधीक्षक अभियंता, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय	सदस्य	
	6. श्री एच० पी० पटेल, अधीक्षक अभियंता, कलकत्ता सेंटिनल सर्किल नम्बर 3, के० सा० नि० वि० निर्माण तथा आवास मंत्रालय	सदस्य	
	7. श्री वी० एस० साही, संयुक्त निदेशक, योजना आयोग	सदस्य	

भद्रक जिला बालासोर में ग्रामीण औद्योगिक समूह की स्थापना करने के लिए ज्ञापन

6301. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 में उड़ीसा के गत चुनाव दौरे के दौरान भद्रक जिला बालासौर की जनता ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें भद्रक में खाली पड़े इंजीनियरिंग स्कूल के भवनों, जिसमें अब पढ़ाई आदि नहीं होती है, का उपयोग केन्द्रीय क्षेत्र में ग्रामीण औद्योगिक समूह की स्थापना के लिए करने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पांचवीं योजना में सम्मिलित की गई उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

6302. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित करने के लिए सम्मिलित की जाने वाली उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में जिन सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है उनके बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6673/74]** चालू परियोजनाओं और पांचवीं योजना में जिन नई स्कीमों को निष्पादन हेतु लिया जाना है उनके लिए किये जाने वाले आवंटन को उड़ीसा सहित सभी राज्यों की पांचवीं योजना के आकार को अंतिम रूप देने के बाद निश्चित किया जाएगा। यह, राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा एक सूत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद ही संभव होगा।

उड़ीसा को ट्रकों के टायरों की सप्लाई

6303. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की भारी ट्रकों के टायरों की वार्षिक मांग 1,50,000 है जबकि केवल 7,000 टायर सप्लाई किये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में परिवहन मालिकों में विद्यमान असंतोष को दूर करने के लिए पर्याप्त संख्या में टायर सप्लाई करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) उड़ीसा सरकार के अनुसार प्रति ट्रक 8 टायर वार्षिक के आधार पर भारी ट्रक टायरों की राज्य सरकार की वार्षिक मांग का अनुमान 1,50,000 टायर है। फिर भी, राज्य में पंजीकृत वाहनों के आधार पर भारी ट्रक टायरों की वार्षिक मांग का अनुमान 63,500 टायर लगाया गया है, जिसमें से राज्य को वार्षिक 37,000 टायरों की आपूर्ति किये जाने की सूचना मिली है।

(ख) मोटरगाड़ी टायर उद्योग से उड़ीसा को टायरों की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

6—256 LSS/74

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र

6304. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 10,000 से अधिक आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जायेंगे ; और

(ग) क्या इन आवेदनों के प्राप्त होने के बाद आवेदन करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। 1-3-1974 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बकाया अर्जियों की कुल संख्या 87,770 थी।

(ख) देश में उपलब्ध साधन सीमित होने के कारण टेलीफोन की यह मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त उपस्कर की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में 65,000 अतिरिक्त लाइनें देने की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी हां। कुछ मामलों में ऐसा हुआ है। सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन अर्जियों की तारीखों के क्रमानुसार दिए जाते हैं। कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विशेष और ओ० वाई० टी० श्रेणियों के अन्तर्गत दर्ज आवेदकों को कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर भी दिए जाते हैं।

टेलीफोन लाइनों के लिए बढ़ती हुई मांग

6305. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मंत्रालय टेलीफोन लाइनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकेगा ;

(ख) पांचवीं योजना अवधि में टेलीफोन लाइनों के कितने नये कनेक्शनों की मांग किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या टेलीफोन की कमी का एक मुख्य कारण यह है कि टेलीफोन का उत्पादन करने वाले कारखानों में पुरानी मशीनें हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने टेलीफोनों की कमी के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की है; और यदि हां, तो समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, प्रतीक्षा सूची और औसत प्रतीक्षा अवधि में कमी हो जाएगी।

(ख) अनुमान है कि तारीख 1-4-74 को (पांचवीं योजना के आरम्भ में) टेलीफोन कनेक्शनों और नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बकाया पड़े आवेदनों की संख्या क्रमशः 12.7 लाख और 4 लाख लाइनों की है। पांचवीं योजना की अवधि के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदनों की संख्या करीब 6.8 लाख लाइनों की होने की संभावना है। पांचवीं योजना की अवधि के दौरान 7.8 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार पांचवीं योजना के अंत में प्रतीक्षा-सूची में 3.1 लाख टेलीफोन कनेक्शनों की मांग शेष रहेगी।

(ग) जी नहीं। टेलीफोनों की कमी पुराने प्रकार की मशीनों के कारण नहीं है परन्तु इसका मुख्य कारण यह है कि टेलीफोन फैक्ट्रियों में स्विचिंग उपस्करों की जो उत्पादन क्षमता है उससे कहीं ज्यादा टेलीफोनों की मांग बढ़ रही है। टलीफोन फैक्ट्रियों का विस्तार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे में चिकित्सीय उत्पादों को जीवाणुरहित बनाने के लिए किरणीयन (इररेडियेशन) संयंत्र को चालू करना

6306. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सीय उत्पादों को जीवाणुरहित बनाने के लिए एशिया का पहला बड़ा किरणीयन (इररेडियेशन) संयंत्र भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे में चालू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संयंत्र केवल भारतीय तकनीशिनों द्वारा चलाया जा रहा है अथवा उसको चलाने में अन्य देशों से भी सहायता ली गई है; और

(ग) संयंत्र में किन-किन उत्पादों को कीटाणुरहित बनाया जाएगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) डाक्टरी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का विसंक्रमण करने वाले आइसोमेड नामक संयंत्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम/अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की सहायता से की गई है। इस संयंत्र की स्थापना करने तथा इसे चालू करने का काम इन संगठनों के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के एक विशेषज्ञ इस कार्य के लिए बाजार तैयार करने के बारे में परामर्श देने के वास्ते कुछ समय के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में आये हैं। यह संयत्र भारतीय तकनीशिनों द्वारा चलाया जा रहा है।

(ग) इस संयंत्र में निम्नलिखित उत्पादों का विसंक्रमण किया जायेगा—अवशोषक काटनवूल एवं गाज सर्जिकल ड्रेसिंग, घावों पर बांधी जाने वाली पट्टियां, जांच पड़ताल के काम में प्रयुक्त होने वाले एवं सर्जिकल दस्ताने, टांकों के काम आने वाले अवशोष्य सर्जिकल तंतु, टांके लगाने में प्रयुक्त होने वाले अवशोषित न हो सकने वाले सर्जिकल धागे (रेशमी, नायलोन, पालिस्टर आदि के धागे) मैडिकल ट्यूबिंग, खून चढ़ाने वाले उपकरण, खून देने तथा लेने के काम आने वाले उपकरण, मूत्र निकालने वाली नलियां, काम में लाने के बाद फेंके जा सकने वाले सीरिंज, सैनिटरी पैड (प्रसूति के समय एवं आपरेशन के बाद प्रयुक्त किए जाने वाले पैड) तथा चिकित्सा सामग्री को रखने एवम् ढकने के काम आने वाले पात्र आदि।

भारत में विदेशी धर्म प्रचारक

6307. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कार्य कर रहे विदेशी धर्म प्रचारकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत विरोधी प्रचार तथा गतिविधियों में व्यस्त न हों, क्या पूर्वोपाय किए गए हैं ; और

(ग) भारत विरोधी गतिविधियों में लगे रहने के कारण 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में कितने विदेशी धर्मप्रचारकों को भारत से निकाला गया ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) सतर्कता बरती जाती है और जब कभी कोई विदेशी धर्म प्रचारक अवांच्छित गतिविधियां करता देखा जाता है अथवा किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उपयुक्त कानून के अधीन उचित कार्यवाही की जाती है ।

प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय

6308. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या है ;

(ख) इसमें कितनी वृद्धि मूल्य-वृद्धि के कारण हुई तथा कितनी वृद्धि उद्योग, वाणिज्य और कृषि संबंधी सफलताओं के कारण हुई; और

(ग) इन वर्षों में मुद्रा स्फीती में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) वर्ष	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (रु०)		प्रति व्यक्ति आय (रु०)	
	प्रचलित भावों के आधार पर	स्थिर (1960-61) भावों के आधार पर	प्रचलित भावों के आधार पर	स्थिर (1960-61) भावों के आधार पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1971-72* . .	687.2	369.4	645.4	343.6
1972-73@ .	732.5	363.9	687.6	337.5
1973-74 . . .	----अनुपलब्ध----			

*अनन्तिम @ शीघ्र अनुमान

(ख) वर्ष 1972-73 और 1971-72 के बीच (प्रचलित भावों के आधार पर) राष्ट्रीय आय में 8.9 प्रतिशत की कुल वृद्धि में से 8.5 प्रतिशत मूल्य-वृद्धि के कारण हुई । इसी अवधि के दौरान उद्योग, वाणिज्य और कृषि से होने वाली राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि क्रमशः 4.1 प्रतिशत 4.2 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत है ।

(ग) वर्ष 1972-73 में उससे पिछले वर्ष के मुकाबले में 8.5 प्रतिशत वृद्धि है जैसी कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर निकाली गई।

क्रास बार स्वीच गीयर प्रणाली के लिए उपकरण

6309. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस कम्पनी अथवा कम्पनियों ने टेलीफोन की क्रास बार स्वीच गीयर प्रणाली के लिए हमें उपकरण सप्लाई किए हैं; और

(ख) ये टेलीफोन किन-किन नगरों में लगाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) बैलजियम की मैसर्स बेल टेलीफोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और बंगलूर की इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० ने क्रास बार प्रणाली के स्विचिंग उपकरण सप्लाई किए हैं।

(ख) मैसर्स बेल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने जो उपकरण सप्लाई किये थे उन्हें बम्बई, नई दिल्ली, मद्रास और कानपुर में लगाया गया है।

मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने जो उपकरण सप्लाई किये हैं वे निम्नलिखित नगरों में काम कर रहे हैं।

अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, अम्बाला, बंगलूर, बैलगाम, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, कटक, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुंण्टूर, ग्वालियर, झरिया, जोधपुर, कानपुर (ट्रंकआटो एक्सचेंज), लखनऊ लुधियाना, मद्रास, मैसूर, पटना, पूना, रांची, शिलांग, तिरुपुर, त्रिवेंद्रम और तूतीकोरिन।

महाराष्ट्र में टायरों की कमी

6310. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या भारत में महाराष्ट्र के पास सबसे अधिक मोटरगाड़ियां हैं ;

(ख) क्या इस राज्य में टायरों की अत्यंत कमी है ;

(ग) 1973-74 में टायरों का राज्य-वार तथा महीने-वार वितरण क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में टायरों की कमी के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) टायर कारखानों में बिजली की कटौतियों व हड़तालों एवं देश में उपलब्ध कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में टायरों विशेषकर ट्रक के टायरों के उत्पादन में हुई हानि से मांग की पूर्ति में कमी हो गयी है।

(ग) सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं से टायरों के वितरण सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे नहीं किए ह।

(घ) सप्लाई स्थिति की कठिनाइयों को हल करने तथा अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से उद्योग से कहा गया है कि वे छुट्टियों तथा रविवारों को एवं अतिरिक्त पालियों में कार्य करें। बसों तथा ट्रकों के टायरों का आयात करने की भी अनुमति दे दी गई है। इस के अलावा राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को अपनी मोटर गाड़ियों के फालतू पुर्जों के लिये दिये गये लाईसेंसों पर सीमित संख्या में टायरों का आयात करने के लिये भी अनुमति दे दी गई है।

बंगलौर स्थित इंडिया टोबेको कम्पनी में लीफ थ्रेशिंग संयंत्र का लगाया जाना

6311. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी ने बंगलौर स्थित इंडिया टोबेको कम्पनी के कारखाने के परिसर में एक नया लीफ थ्रेशिंग संयंत्र लगाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है तथा ले ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकारी तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने इस आवेदन-पत्र को मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या उन्हें पता है कि यह कम्पनी नया संयंत्र स्थापित कर रही है जो कि अनधिकृत विस्तार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग). यह बताया गया है कि मैं० इण्डिया टोबेको कम्पनी लि० के बंगलौर स्थित सिगरेट कारखाने के परिसर में ग्रीन लीफ थ्रेशिंग संयंत्र लगाया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर अभी एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रकिया की दृष्टि से विचार किया जाना है।

श्री अमृत भूषण गुप्ता को मृत्यु दंड

6312. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1968 में श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में श्री अमृत भूषण गुप्ता द्वारा तीन बच्चों को जिन्दा जला देने के आरोप में उसे मृत्यु दण्ड दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके पागलपन की जांच के लिये उसे दिसम्बर, 1972 में रांची के मानसिक चिकित्सा अस्पताल में भेजा गया था;

(ग) क्या अस्पताल प्राधिकारियों से इस बीच कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) सजा की घोषणा के बाद, काफी समय बीत जाने की बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). अमृत भूषण गुप्ता को रांची के मानसिक चिकित्सा अस्पताल में भेजा गया था तथा चिकित्सा अधिकारियों का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

रेडियो उद्योग में मन्दी

6313. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेडियो उद्योग में 1970 से मंदी समाप्त नहीं हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त उद्योग के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकार जानती है कि 1970 से देश में रेडियो उद्योग की प्रगति दर में घटोतरी हो रही है। 1972 और 1973 के दौरान उत्पादन का स्तर लगभग 1971 के बराबर ही रहा है। इस बात के विभिन्न कारण हैं रेडियो सेट खरीदने की लोगों की क्रय शक्ति में अपक्षय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों की सीमित पसंद । अन्य कारणों में हैं : रेडियो सेटों के निर्माण में प्रयुक्त सभी घटकों के मूल्यों में आम वृद्धि और प्रसारण लाइसेंसों का वार्षिक बोझ ।

(ग) सरकार ने हाल में इस मंदी को दूर करने के लिए रेडियो उद्योग की सहायता में कई कदम उठाए हैं । कम मूल्य के रेडियो सेट जिनकी कीमत 200/- रु० से नीचे है, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिये गये हैं, जिससे ग्रामीण बाजारों में व्यापार हेतु उप-नगरीय क्षेत्रों में नये उत्पादन कारखानों का गठन संभव हो सकेगा। लघु उद्योग क्षेत्र में निर्मित कम मूल्य के (225/- रु० से नीचे) रेडियो सेटों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। 125/- रु० से नीचे की कीमत के रेडियो सेटों के लिये लाइसेंस शुल्क संगठित क्षेत्र के सेटों के शुल्क का आधा है । इसके अतिरिक्त मार्च 1974 में हुई अपनी बैठक में इलैक्टोनिक्स पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है कि विविध भारती जैसे आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम उच्च ट्रांसमीटरों पर प्रसारित किए जाएं जिससे और अधिक लोग इन्हें सुन सकें। समिति ने रेडियो सेटों पर लाइसेंस शुल्क को पूर्णतः समाप्त करने की भी सिफारिश की है । क्योंकि इस लेखे से राष्ट्रीय उद्यमों को प्राप्त निवल लाभ प्रश्नास्पद है । यह सिफारिशें सम्प्रति सरकार के विचाराधीन है । मूल्य कम करने हेतु रेडियो सेटों के लिए नयी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने और साथ ही बड़े पैमाने के उत्पादन द्वारा घटकों के मूल्य में कमी लाने के प्रश्न की भी सरकार परीक्षा कर रही है ।

राज्य बिजली बोर्डों को केबलों की सप्लाई

6314. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल उत्पादकों ने राज्य बिजली बोर्डों को केबल सप्लाई करना बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) तथा (ख). चूंकि राज्य के बिजली बोर्डों द्वारा केबलों के सम्भरण के आदेश सीधे ही निर्माताओं को दिए जाते हैं अतः केबल निर्माताओं द्वारा सम्भरण बन्द कर देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना नहीं है।

भारत द्वारा अन्य देशों को तकनीकी सहायता का प्रस्ताव

6315. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्य देशों को पर्यावरण में सुधार करने के लिये तकनीकी सहायता और विशेष जानकारी देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिक्रिया प्रोत्साहक है।

आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

6316. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना और तटवर्ती आन्ध्र प्रदेश, ती क्षेत्रों के पिछड़े हुए क्षेत्रों के तीव्र गति से विकास के लिए केन्द्र से विशेष सहायता प्रा होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में सरकार का कब तक विकास कार्य आरम्भ करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित एक छह-सूत्री फार्मूले में एक प्रावधान है कि इन प्रयोजनों के लिए निर्धारित विशिष्ट संसाधनों से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास और राज्य की राजधानी के योजनाबद्ध विकास एवं पिछड़े क्षेत्रों की विकास स्कीमों के निर्माण और प्रबोधन में अन्य विशेषज्ञों के साथ ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का राज्य विधान मण्डल में उपयुक्त साहचर्य राज्य की विकासात्मक कार्यनीति का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपकरण विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों के लिए उप-समितियों के गठन के साथ-साथ राज्य स्तर पर एक योजना बोर्ड का गठन है।

राज्य सरकार ने तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आन्ध्र प्रदेश के लिए पहले से ही योजना और विकास समितियां स्थापित कर रखी हैं। यह अनुमान है कि राज्य सरकार योजना आयोग के परामर्श से अपने पिछड़े क्षेत्रों को अंकित कर लेगी। योजना आयोग ने राज्य सरकार से ऐसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए उप-योजनाएं बनाने का अनुरोध किया जिनके

लिए पांचवीं योजना के दौरान विशेष सहायता परिकल्पित है । योजना आयोग ने वर्ष 1974-75 के अनुमोदित योजना परिव्ययों के अन्दर पिछड़े इलाकों के विकास पर भी जोर दिया है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप को अभी निश्चित किया जाना है ।

बम्बई में जिप फास्नर उद्योग का बन्द होना

6317. **श्री के० मालन्ना :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिप फास्नर उद्योग उत्पादन शुल्क के अत्यधिक भार से संकट में है तथा जिसके कारण पहिले ही विशेषकर बम्बई क्षेत्र में आठ लघु कारखाने बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको संकट से संवारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग). जिप निर्माता संघ ने सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि जिप फास्नर उद्योग पर लगाया गया उत्पादन कर पूरी तरह हटा लिया जाए । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

जिप बनाने के छोटे कारखानों के बन्द होने के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

गुजरात में उपद्रवों के दौरान घायल हुए, मारे गए तथा एम० आई० एस० ए० तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या

6318. **श्री एम० एम० जोजफ**
श्री समर गुह } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उपद्रव आरम्भ होने से अब तक घायल हुए अथवा मारे गए व्यक्तियों और पुलिसवालों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) स्थिति पर काबू पाने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की कुल कितनी बटालियनें तैनात की गयीं;

(ग) गुजरात में कितने अवसरों पर सेना की कितनी सहायता मांगी गई; और

(घ) कितने व्यक्ति (एक) एम०आई०एस०ए० तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए, (दो) हिंसक गतिविधियों के लिए कितनों पर चार्जशीट लगाई गई, (तीन) कितने व्यक्ति अभी भी जेल में हैं, और (चार) कितने व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिए गए?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (घ). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिए गुजरात सरकार को केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की 59 कम्पनियां दी गईं थीं।

(ग) इन अवसरों पर गुजरात सरकार को पर्याप्त संख्या में सैनिक टुकड़ियां दी गई थीं।

प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के विभिन्न क्षेत्रीय दौरों का विवरण रखना

6319. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो के क्षेत्रीय अधिकारियों को केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के विभिन्न दौरों का विवरण तैयार करने का आदेश दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके दौरों का 1973 के दौरान, तिथि-वार, कलकत्ता के प्रेस इंफोरमेशन ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा विवरण रखा गया; और

(ग) क्या प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो की विज्ञप्तियों को सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों जो यदा-कदा दौरा करने वाले मंत्रियों के भाषणों द्वारा मुखरित होते हैं, को प्रतिबन्धित करने के लिए उत्तरदायी है। प्रेस की सुविधा हेतु और सूचना के प्रसार के व्यापक प्रयोजन के लिए, महत्वपूर्ण दौरों को कवर किया जाता है।

(ख) एक सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्यां एल० टी० 6674/74**]।

(ग) रिलीजों की सदा व्यवस्था नहीं की जाती; कतिपय मामलों में समारोहों को कवर करने के लिए प्रेस की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं या प्रैस को भाषणों की मुख्य बातों या कवर की जाने वाली घटना की पृष्ठभूमि के बारे में मौखिक रूप से परिचित कराया जाता है।

पश्चिम बंगाल, बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए विकास छूट

6320. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष से पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के अन्य भागों में बिजली का संकट होने के कारण वहां नए छोटे तथा मझोले उद्योगों की स्थापना में एक वर्ष का विलम्ब हो गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान ऐसे उद्योगों के लिए विकास छूट की अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) वित्त मंत्री जी ने 1974-75 के अपने बजट भाषण में विद्युत शक्ति की कमी सहित अनेक अनपेक्षित कारणों की ओर जो अनेक औद्योगिक परियोजनाओं के मई, 31, 1974 के पूर्व समय से पूरी न होने के लिए उत्तरदायी रहे हैं, ध्यान आकृष्ट किया था। ऐसे प्रकरणों में राहत देने की दृष्टि से 1974-75 के बजट में उन मामलों में जिनमें 1 दिसम्बर, 1973 के पहले मशीनों तथा संयंत्रों के ठेकों के पूरे हो जाने का निर्णय, साक्ष्य उपलब्ध है मई 31, 1975 तक एक वर्ष के लिए इन प्रकरणों में विकास छूट मिलती रहेगी यह प्रस्ताव किया गया है। ऐसी आशा है कि देश के हर हिस्से में विद्युत शक्ति की कमी से प्रभावित पश्चिम बंगाल तथा बिहार सहित नये छोटे तथा मझोले उद्योग मई 31, 1975 तक एक वर्ष के लिए विकास छूट का लाभ उठा सकेंगे।

स्माल स्केल सर्विस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता

6321. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित स्माल स्केल सर्विस इन्स्टीट्यूट परियोजनाओं को पास करने में असामान्य रूप से अधिक समय लेता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस इंस्टीट्यूट द्वारा परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सम्पूर्ण और सभी आवश्यक विवरणों से युक्त योजनाओं को सामान्यत: लघु उद्योग सेवा संस्थान, कलकत्ता द्वारा अविलम्ब स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Administrative Expenses in P & T Department

6322. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(a) whether the P&T Department sustained loss or earned a profit in the year 1971, 1972 and 1973 indicating the loss or profit for each year; and

(b) the administrative expenses of the Department for 1971 and extent to which it has increased today?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) During the year 1970-71, 1971-72 and 1972-73 the surplus earned by the P&T Department is as follows :

1970-71	22·91 crores.
1971-72	37·14 crores.
1972-73	37·12 crores.

(b) The Administrative expenditure during the year 1970-71 was 16·74 crores. The expenditure during 1972-73 increased by 2·76 crores to Rs. 19·50 crores. The estimated expenditure for the year 1973-74 is 21·94 crores.

Installation of A.P.C.O. in Village Chandaval

6323. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(a) whether Government propose to provide a Public Call Office at village Chandaval in Tehsil Sojat;

(b) whether Government would instal public Call Office in the said village only when a requisite number of persons get telephone connections there and if so, the number of telephone connections that should be installed for the purpose; and

(c) whether Government have provided Public Call Office in a smaller village named Devali near Chandaval and if so, the criteria adopted therefor and the loss incurred to Government annually as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) The proposal to open a Public Call Office at Chandaval has been examined and found to be unremunerative even after considering the revenue from the maximum number of extensions permissible from a Public Call Office.

(c) The Public Call Office at Devali near Chandaval was provided as the proposal was found to be remunerative.

Gambling in Delhi Clubs

6324. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether people indulge in gambling in recreation centres like clubs in Delhi and

(b) whether any case of gambling in a club has been detected in Delhi during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b), Government are not aware of any offence of gambling as such, going on in such centres. No such case has come to notice.

राजधानी में क्रास-बार टेलीफोन केन्द्र

6325. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में क्रास-बार टेलीफोन केन्द्र के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और विद्यमान अन्य प्रकार की टेलीफोन प्रणालियों की अपेक्षा क्रास-बार टेलीफोन प्रणाली के क्या लाभ अथवा हानियां हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । संघ राजधानी में क्रास-बार एक्सचेंजों के कार्यचालन के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) अधिकांश शिकायतें इस प्रकार की हैं कि क्रास-बार उपभोक्ताओं को डायल टोन देर से मिलता है और आवक कालें उन्हें मिल नहीं पातीं ।

नीचे लिखी खराबियों की वजह से क्रासबार एक्सचेंज ऊंचे दर्जे की सेवा नहीं दे रहे हैं :—

(i) अपर्याप्त सम्पर्क सुरक्षा (कांटेक्ट प्रोटैक्शन)

(ii) पुर्जों का काम करना बन्द कर देना ।

(iii) मशीनी समायोजनों का टिकाऊ न होना।

(iv) सर्किट की लघु समस्याएं।

क्रासबार एक्सचेंजों की खामियों की विस्तृत छान-बीन के बाद इन एक्सचेंजों का कार्य चालन बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। सभी क्रासबार एक्सचेंजों में इस काम के करीब 12 से 14 महीनों में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

क्रासबार प्रणाली की मुख्य असुविधा यह है कि डायल टोन अक्सर देर से मिलता है और कालें लग नहीं पातीं। इस प्रकार की असुविधाएं सामान्य नियंत्रण उपस्कर (कामन कंट्रोल इक्विपमेंट) में खराबियां आ जाने के कारण हो सकती हैं।

क्रासबार प्रणाली की मुख्य सुविधाएं ये हैं:—

(क) रख रखाव में कम प्रयास करना पड़ता है।

(ख) जंकशन और ट्रंक जाल में लागत कम आती है।

(ग) वैकल्पिक मार्ग बनाने और पुन: प्रयास करने में सुविधा होती है।

(घ) नम्बरिंग स्कीम और कालों के मार्ग निर्धारण में लचीलापन रहता है।

(ङ) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा पर अधिक आसानी से रोक लगाई जा सकती है।

(च) दुर्भावनापूर्ण कालों का अपने आप पता लगाया जा सकता है।

(छ) हाई स्पीड डायल से बेहतर कार्य चालन होता है।

(ज) कम लागत के अपेक्षाकृत पतले संवाहक जमींदोज केबिल इस्तेमाल में लाए जाते हैं; और

(झ) मल्टी फ्रिक्वेंसी सिगनलिंग के प्रयोग से स्विचिंग आपरेशन तेजी से होता है।

देश में गुजरात जैसी घटनाओं की पुनरावृति का पूर्वानुमान लगाने के लिए जनता को शिक्षित करना

6326. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात की दुखद घटनाओं से कोई निष्कर्ष निकाला है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का; और

(ग) देश के अन्य भागों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का पूर्वानुमान लगाने के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : कुछ आवश्यक वस्तुओं की कम सप्लाई और मूल्य वृद्धि के कारण गुजरात में आन्दोलन भड़के थे। समाज विरोधी तत्वों ने स्थिति से अनुचित लाभ उठाया और व्यापक हिंसा तथा सम्पत्ति नष्ट हुई। सरकार जनता की कठिनाइयों से अवगत है और सम्बन्धित एजेंसियां उनकी कठिनाइयों के समाधान के लिए उचित उपाय कर रही हैं। राज्य सरकारों को भी उत्पादन व खरीद को बढ़ाने और आवश्यक वस्तुओं का वितरण नियमित करने के लिए सभी

सम्भव उपाय करने की सलाह दी गई है। जमाखोरों और चोर-बाजारी करने वालों जैसे समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और शान्ति भंग होने की सम्भावना पर उपयुक्त पूर्वोपाय तथा निरोधक उपाय करने का भी उनसे आग्रह किया गया है।

2. संसद में बहस के दौरान सरकार ने इन दंगों के कारणों का उल्लेख किया है और सदन से तथा इसके द्वारा समस्त जनता से शान्ति बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की है।

गुजरात सर्किल में हिंसात्मक आन्दोलनों में डाक तार विभाग को हानि

6327. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर 1973, जनवरी, फरवरी तथा मार्च 1974 में गुजरात सर्किल में हुए हिंसात्मक आन्दोलन के कारण विभिन्न डाक तार संस्थाओं और संस्थानों को कोई हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वहां अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) दिसम्बर 1973 में कोई हानि नहीं हुई। अब तक लगाए गए अनुमान के अनुसार (जनवरी 1974 से मार्च 1974 तक) हानि की रकम तकरीबन 11,37,857 रु० निकलती है।

दिल्ली में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र

6328. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनैक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान कितने टेलीफोन कनैक्शन दिए गए; और

(ग) राजधानी में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोनों के लिए 1-3-1974 को अनिर्णीत पड़ी हुई अर्जियों की संख्या 55902 थी।

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान जो टेलीफोन दिए गए उनकी संख्या 9953 है। इनमें ओ० वाई० टी०, विशेष श्रेणी, सामान्य श्रेणी, अस्थायी और नैमित्तिक टेलीफोन तथा सार्वजनिक टैलीफोनघर शामिल हैं।

(ग) स्थायी कनैक्शन देने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता को विभिन्न श्रेणियों की प्रतीक्षा-सूचियों के निमित्त निम्नलिखित आधार पर बांट दिया जाता है :—

ओ० वाई० टी०	70 प्रतिशत
विशेष श्रेणी	15 प्रतिशत
सामान्य श्रेणी	15 प्रतिशत

इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्र के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना

6329. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि यदि बेकार पड़ी क्षमता की समस्या को हल करने की ठोस कार्यवाही की जाए तो इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्र देश की विदेशी मुद्रा की आय में पर्याप्त योगदान कर सकता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में बेकार पड़ी क्षमता के अनेक कारण हैं। पहला है कच्चे माल और घटकों की अनुपलब्धि, जिन्हें विदेश से आयात किया जाता है, यह विदेशी मुद्रा उद्गमों के अभाव के कारण हैं। दूसरे, अनेक कारखानों में एक-शिफ्ट आधार पर ही कार्य होता है। जहां आवश्यक और सुविधाजनक हो, वहां कार्य की 2 या 3 शिफ्टों का संचालन करके बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है ; इसके लिए फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत दूसरी या तीसरी शिफ्टों में औरतों की नियुक्ति पर जो प्रतिबंध हैं, उनमें ढील होनी चाहिए, क्योंकि औरतें अनेक परिचालकों में नियुक्त हैं। तीसरे, प्लांट की बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने के लिए उपस्कर को संतुलित करने की आवश्यकता है ; उपस्कर को सन्तुलित करने के विषय में निर्माताओं से प्राप्त आवेदनों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जा रहा है, जिससे वे निर्यात प्रयोजनों के लिए उत्पादन को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में समर्थ हो सकें। 11 और 12 मार्च 1974 को हुई इलैक्ट्रोनिकी पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति की चर्चाओं में ये सब पहलू उदित हुए। इस आधार पर, सरकार बेकार पड़ी क्षमता को प्रथमत: निर्यात प्रयोजनों के लिए बढ़ावा देने हेतु विविध कदम उठा रही है, ताकि निर्यातों के द्वारा आवश्यक विदेशी मुद्रा कमाई जा सके। इसके अतिरिक्त आयात प्रतिस्थापन के उपाय स्वरूप, उपस्कर एवं घटक दोनों के स्वदेशीकरण का सक्रिय अनुशीलन किया जा रहा है तथा अनेक पार्टियों को उन मद्दों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनका सम्प्रति आयात किया जाता है। वर्तमान आयात नीति में निर्माणकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी विद्यमान क्षमताओं के अधिक पूर्ण उपयोग के लिए निर्यातों का आश्रय ले सकें।

लघु उद्योगों के लिए मदों का आरक्षण

6330. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में निर्माण के लिए 53 और मदें आरक्षित कर दी हैं ;

(ख) क्या इन मदों का निर्माण किसी अन्य क्षेत्र में नहीं किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) भविष्य में इन वस्तुओं के सम्बन्ध में लघु उद्योग और सहबद्ध उद्योग क्षेत्रों के अलावा नई क्षमता सम्बन्धी प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कम से कम 75 प्रतिशत के निर्यात की व्यवस्था नहीं होगी।

नेशनल न्यूजप्रिंट पेपर मिल्स लि० के पूंजी ढांचे का पुनर्गठन

6332. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटड को इसके विस्तार हेतु कोई ऋण दिया गया है;

(ख) क्या कम्पनी के पूंजी ढांचे का भी पुनर्गठन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : नेपा मिल्स के पूंजी ढांचे का पुनर्गठन करने के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Controversy Between Delhi Municipal Corporation and Municipal Commissioner

6333. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a controversy arose recently between the ruling party in Delhi Municipal Corporation and the Municipal Commissioner;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the reaction of Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a), (b) and (c): The Government have received some communications from the Mayor of Delhi containing complaints against the Commissioner that—

(*i*) he transferred the Slum Department along with the concerned Deputy Commissioner to the Delhi Development Authority without the approval of the Corporation;

(*ii*) that he tried to influence the Corporation Counsel in connection with a claim filed on behalf of his daughter against the Municipal Corporation;

(*iii*) that he did not acknowledge letters sent to him by the Mayor and Deputy Mayor;

(*iv*) that he did not submit the files asked for by the Mayor; and

(*v*) that he lacked initiative and effort in the execution of development schemes.

2. The matter has been discussed on behalf of the Ministry with the Mayor as well as the Municipal Commissioner. The Commissioner has explained that he had not exerted any influence on the Corporation Counsel as alleged. He has also fully explained the circumstances in which the transfer of the Slum Department was effected in compliance of the Central Government's

decision. Regarding the communications sent to him by the Mayor and the Deputy Mayor, he has explained that they were largely in the nature of references to problems requiring action in different Departments and that he had marked them to the appropriate officers concerned for suitable action. Where replies were asked for, he had directed the persons concerned to send the reply directly to the Mayor or Deputy Mayor in the interest of expedition.

3. The files and reports asked for by the Mayor have also been generally furnished.

4. The Lieutenant Governor is being asked to look into the matter.

चौथी योजना में लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए परिव्यय का उपयोग

6334. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में केन्द्रीय सहायता से लघु उद्योग की स्थापना के लिए रखे गए 122.80 करोड़ के परिव्यय में से 100 करोड़ रुपए का भी उपयोग नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मूलरूप से चौथी योजना में लघु उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों के लिए किए गए कुल 122.70 करोड़ रु० के परिव्यय में से अनुमानतः 86.06 करोड़ रु० खर्च हुए थे।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना परिव्यय के कम उपयोग किए जाने के कारणों में से प्रमुख कारण कच्चे माल तथा सांख्यिकीय जानकारी की अपर्याप्तता, ऋण सुविधाएं, औद्योगिक विस्तार सेवाएं तथा बाजार सम्बन्धी सुविधाएं हैं। इन उद्योगों विशेषकर परम्परागत तथा ग्रामीण उद्योगों के इतने इतने विस्तृत स्वरूप के कारण समस्याओं का अल्पकालीन समाधान कुछ सीमा तक ढूंढ निकालना कठिन है। इन उद्योगों के भिन्न भिन्न स्वरूप होने के कारण योजनाएं बनाने व स्वीकृतियां प्रदान करने तथा संस्थागत व्यवस्था करने, उन्हें सुदृढ़ व संगठित बनाने तथा सुविधाएं तथा सहायता प्रदान करने की व्यवस्था में विलम्ब भी हुए थे। साथ ही कई बड़े उद्योगों में जो कच्चा माल देते थे और लघु उद्योगों से आवश्यक हिस्सों/पुर्जों को खरीदते थे। उत्पादन की कमी तथा तत्पश्चात् हाल ही में हुई बिजली की कमी से भी हाथ करघा उद्योग तथा सहायक एककों सहित काफी संख्या में छोटे उद्योगों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

स्वर्गीय रास बिहारी बोस की अस्थियां टोकियो से वापिस लाना

†6335. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री 13 मार्च 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 300 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शब्दों का आशय यह था कि मामला सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस विचार को पूर्णरूप कब दिया जाएगा ;

(ग) क्या स्वर्गीय रास बिहारी बोस की अस्थियां टोकियो से भारत वापिस लाने के बारे में गत दस वर्षों के दौरान सरकार को कई अभ्यावेदन भेजे गए थे ;

(घ) क्या सरकार ने सदन को आश्वासन दिया था कि वह मामले पर अपेक्षित ध्यान देगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विचार को अन्तिम रूप देने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : जहां तक स्वर्गीय रास बिहारी बोस और उनके क्रान्तिकारी साथियों के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन और सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से मामले पर बिचार किया जा रहा है। यह बताना कठिन है कि इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा।

(ग) से (ङ) : मामला निरन्तर सरकार के विचाराधीन रहा है। अनौपचारिक रूप से यह समझा जाता है कि जापान से भारत को अस्थियों के हस्तान्तरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर भी स्मारक स्थापित किए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय किए जाने के बाद ही आगे कार्यवाही की जा सकती है।

पांचवीं योजना में परमाणु ऊर्जा का विकास

6336. **श्री समर गुह : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास कार्यक्रम को अन्तिम रूप देते समय स्वर्गीय डा० साराभाई द्वारा दस वर्षों के लिए तैयार किया गया परमाणु ऊर्जा के विकास कार्यक्रम (प्रोफाइल) पर भी विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तुलनात्मक तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु बिजलीघरों के निर्माण में वर्तमान स्थिति के अनुसार लगने वाले समय तथा सन् 1970 में प्रकाशित रूपरेखा में इन बिजलीघरों के निर्माण के लिए निर्धारित कार्यक्रम का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

बिजलीघर	रूपरेखा के अनुसार		वर्तमान स्थिति के अनुसार	
	क्षमता	क्रांतिकता प्राप्त करने की तिथि	क्षमता	क्रांतिकता प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5
राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना-I .	200 मेगावाट	1971	200 मेगावाट	अगस्त 1972
राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना-II .	200 मेगावाट	1973	200 मेगावाट	1976

1	2	3	4	5
मद्रास परमाणु बिजली परियोजना-I	235 मेगावाट	1974	235 मेगावाट	1977 के मध्य तक
मद्रास परमाणु बिजली परियोजना-II	235 मेगावाट	1975	235 मेगावाट	1979 के आरम्भ में
नरोरा-I	235 मेगावाट	1976	235 मेगावाट	1981
नरोरा-II . .	235 मेगावाट	1977	235 मेगावाट	1982

स्वर्गीय प्रोफेसर एस० एन० बोस का स्मृति समारोह

6337. **श्री समर गुह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा स्वर्गीय प्रोफेसर एस० एन० बोस को, जिन्होंने मौलिक विज्ञान में सैद्धान्तिक भौतिकी का उच्चतम श्रेणी का योगदान दिया, स्मरण रखने के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) . स्वर्गीय एस० एन० बोस द्वारा सैद्धान्तिक भौतिकी को दिये गये योगदान से परमाणु ऊर्जा आयोग अवगत है । उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए समुचित कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

खाद्य पदार्थों, सब्जियों और फलों के बीजों के परिरक्षण के लिये टेक्नोलाजी

6338. **श्री समर गुह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने विभिन्न खाद्य पदार्थों, सब्जियों और फलों के बीजों के परिरक्षण तथा उनके पोषक तत्वों को बढ़ाने सम्बन्धी टैक्नालाजी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस टैक्नालोजी का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस टैक्नालाजी को स्वास्थ्य तथा कृषि मंत्रालयों द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) विकिरण के जो तरीके निकाले गए हैं वे भंडार में रखे आलू तथा प्याज को अंकुरित होने से रोकने तथा उन्हें खराब होने से बचाने, भंडार में रखे गेहूं को कीड़ा लगने से बचाने तथा नष्ट न होने देने तथा समुद्र से प्राप्त होने वाली बम्बिल मछली, केकडों, पोम्फर्ट एवं माकरेल जैसे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण से सम्बन्धित है ।

(ख) इन कार्यों के लिए विकिरण के इन तरीकों को व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग में लाना स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति पर निर्भर करेगा ।

(ग) विकिरण के प्रयोग को स्वीकृति देने का प्रश्न विचाराधीन है।

बड़े उद्योगपतियों को चर्म उद्योग को लाइसेंस देने से छोटे कारखानों पर बुरा प्रभाव

6339. **श्री एम० कतामुतु : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बड़े उद्योगपतियों को बड़े चर्म उद्योग के लिए दिए गए लाइसेंसों से इस क्षेत्र के छोटे कारखानों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, और

(ख) यदि हां, तो छोटे कारखानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख). चमड़ा उद्योग के किसी भी बड़े औद्योगिक संस्थान को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। चमड़ा उद्योग उन उद्योगों की सूची में शामिल नहीं है जिनमें बड़े औद्योगिक संस्थान व विदेशी कम्पनियों द्वारा सामान्य रूप से कार्य करने की आशा की जाती है । फिर भी उनके प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उत्पादन मुख्य रूप से निर्यात के लिए हो। हाल ही में मै० टाटा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के देवास नामक स्थान पर 135.9 लाख वर्ग फुट तैयार चमड़ा तथा 1,20,000 चमड़े के परिधान प्रतिवर्ष बनाने के लिए एक नया उपक्रम लगाने के लिए लाइसेंस दिया गया है । लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया है कि तैयार चमड़े का 60 प्रतिशत तथा चमड़े के परिधानों का 75 प्रतिशत निर्यात किया जाएगा। फिर भी सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स टाटा एक्सपोर्ट्स लि० का टाटा कम्पनियों के समूह से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः एकाधिकार एवं निर्बन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 25 के अन्तर्गत इसका पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है ।

चूंकि उत्पादन अर्द्ध परिशोधन सालों पर आधारित है इसलिए मै० टाटा एक्सपोर्ट्स को अपेक्षित कच्चे माल कुछ विद्यमान कारखानों से प्राप्त करना होगा इसलिए मैसर्स टाटा एक्स-पोर्ट्स की इस योजना का वर्तमान फैक्टरियों पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । इसके विपरीत वे लघु कारखाने को परिसज्जित माल बनाने के कारखाने लगाने की स्थिति में नहीं है । जिसके लिए अपेक्षाकृत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अपने उत्पादों के लिए अतिरिक्त निकास मिलने की सम्भावना है।

ग्रेड III के स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति

6340. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अनेक स्टेनोग्राफरों को पदोन्नति कोटे के अनुसार अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है और न ही उन की कोई वरिष्ठतासूची तैयार की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या कुछ मंत्रालयों में ग्रेड-III के कुछ कनिष्ठ स्टेनोग्राफरों को पदोन्नत किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान्, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-III से ग्रेड-II में पदोन्नति के कोटे में सभी रिक्तियों में पदोन्नतियां कर ली गई हैं। ये पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों के आधार पर की गई हैं।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा को वर्ष 1962 में विकेन्द्रीकृत किया गया था। उक्त सेवा के ग्रेड-III का गठन भी दिनांक 1-8-1969 से विकेन्द्रीकरण के आधार पर किया गया था। इस सेवा के ग्रेड-III से ग्रेड-II में पदोन्नतियां संवर्गवार की जाती हैं, किन्तु शर्त यह है कि इन्हें वरिष्ठता की रैंज के भीतर विनियमित किया जाता है, जैसा कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए समस्त सचिवालय के आधार पर निर्धारित किया गया है। संवर्गवार पदोन्नतियां किये जाने से, ऐसा भी हुआ है कि कुछ पात्र ग्रेड-III स्टेनोग्राफर, जो समस्त सचिवालय आधार पर कनिष्ठ थे, किन्तु ऐसे अन्य संवर्गों में अपने से वरिष्ठ स्टेनोग्राफरों से पहले ही पदोन्नत हो गए जिनमें उक्त सेवा के ग्रेड-II में पदोन्नति के लिए रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं।

मिथिला (दरभंगा) के लिये स्टुडियो और ट्रांसमीटर की इमारतों के पूरा होने की समय-सीमा

6341. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 13 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2911 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के मिथिला स्थित स्टुडियो तथा ट्रांसमिटर स्टेशन की इमारत के पूरा होने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) उपकरण की क्षमता क्या है, इसे किस देश से आयात किया जा रहा है और यह कब तक लगा दिया जायेगा; और

(ग) क्या इस ट्रांसमिटर की क्षमता इतनी है कि यह भारत और नेपाल के मैथिली भाषी समूचे क्षेत्र में सुना जा सके?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दरभंगा केन्द्र के लिये स्टूडियो और ट्रांसमिटर भवनों के इस साल के मध्य तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

(ख) ट्रांसमिटर मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स, बंगलौर द्वारा मुहैया की गई देशी निर्माण की एक मध्यम शक्ति की यूनिट है।

(ग) यह ट्रांसमिटर दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिलों के मैथिली भाषी क्षेत्रों को कवर करेगा। मैथिली भाषी लोगों की अधिकांश संख्या इन जिलों में है।

नेपाल के लिए कार्यक्रम विदेश सेवाओं के अन्तर्गत आते हैं और इनका आयोजन कलकत्ता और दिल्ली के ट्रांसमिटरों द्वारा किया जाता है।

चौथी योजना में उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना संबंधी लक्ष्य

6342. **श्री डी० के० पंडा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है विशेष रूप से उड़ीसा के संबंध में?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के (खण्ड-II पृष्ठ 156 से 159 तक) उद्योग और खनिज अध्याय के अनुबन्ध-III में "चुने हुए" उद्योगों की क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य और 1973-74 की अनुमानित उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। विभिन्न उद्योगों के लिए लक्ष्य संपूर्ण देश के लिये नियत किये जाते हैं न कि राज्य-वार।

Extraction of a Dead Body Stuck up in Pontoon Bridge of Yamuna river Delhi

6343. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a complaint reported in a local Hindi Daily dated the 17th March, 1974 to the effect that a dead-body stuck up in the Pontoon bridge of Yamuna River since 22nd March, 1974 could not be extracted because of the dispute over the jurisdiction;

(b) if so the full facts of the incident; and

(c) the reasons for the delay in such cases?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) Yes, Sri. On 22nd February, 1974 at about 3 P.M., S.H.O. Daryaganj informed the police control room that a dead body was resting on the ropes of the pontoon bridge. A sub-inspector and a constable rom police station Kotwali rushed to the spot and found the dead body of a male resting on the anchor rope. The depth of the water at this spot was about 20 to 25 feet and the current was fast and no boat was available to recover the body. The constable was left at the spot and the sub-inspector proceeded to the A.G.C.R. bridge about 2 Km. away where the nearest boat was available. It took some time to trace the boatman and in the mean while the body floated away. S.H.O. Kotwali also rushed to the spot but despite the best efforts of the police, the body could not be traced.

(c) There was no avoidable delay.

Distribution of Fake Degrees by a Bogus Institution

6344. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards press reports regarding certain bogus companies;

(b) whether Government's attention has been drawn to the complaints regarding distribution of fake degrees by a bogus institution, as reported in a local Hindi daily dated the 12th March, 1974; and

(c) the steps being taken by Government to root out the evil?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (c) The press report referred to in the question relates to a letter written to the Editor by one Shri Harish Kumar Bhatia of Nathdwara (Rajasthan). He has stated that he was informed by an institution

that they wanted to confer upon him a degree of 'Sahitya Shastri' if he pays Rs. 11/- by money order to the institution. But the name of the institution and its location has not been mentioned. In view of this, it is not possible to take any action against the alleged bogus institution.

बस-चेसिस, टायर, ट्यूब और अन्य कल पुर्जों के आवंटन के लिये महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन

6345. **श्री अण्णा साहिब गोटखिडे :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को राज्य सड़क परिवहन निगम के बस-चेसिस, टायरों, ट्यूबों तथा अन्य कल-पुर्जों के आवन्टन के बारे में महाराष्ट राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी संघ की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :

(क) से (ग) भारत सरकार के विभिन्न प्राधिकारणों की महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन मजदूर संघ के ज्ञापन की प्रतियां प्राप्त हो गई हैं। ज्ञापन में लिखी गई मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन अर्थात् राज्य परिवहन निगम के सम्बन्ध में यात्री परिवहन की जिम्मेदारी केवल निगमों पर है;

(2) अपनी जिम्मेदारी को संतोषजनक रूप से तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुरूप निभाने के लिए उन्हें पर्याप्त संख्या में चैसिस, टायर, तथा ट्यूब कमानी बैटरी तथा अन्य आवश्यक फालतू पुर्जों की आवश्यकता है ; तथा

(3) उत्पादकों द्वारा निगमों को सीधे चेसिस तथा उपर्युक्त अन्य आवश्यकताओं की सप्लाई उनकी अपेक्षाओं के अनुसार कोटा के आधार पर की जानी चाहिए। कोटा तथा मूल्यों का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाए।

जहां तक टायर और ट्यूबों के वितरण का प्रश्न है राज्य परिवहन उपक्रम तथा 10 या 10 से अधिक वाहनों के समूह के सभी मालिक सीधे उत्पादक से टायर व ट्यूब की सप्लाई प्राप्त करने के पात्र हैं। टायर और ट्यूब के मूल्य सरकार के अनौपचारिक नियंत्रण में आते हैं जबकि कुछ प्रकार के टायर तथा ट्रकों के टायर व ट्यूब, ट्रैक्टरों के पिछले टायर तथा ट्यूब तथा सड़कों पर प्रयुक्त न होने वाले टायर, सांविधिक नियंत्रण के अधीन है। हिस्से-पुर्जों, बैटरियों, कमानियों आदि के वितरण के सम्बन्ध में निस्सन्देह रूप से संबंधित प्राधिकरण इस संबंध में उपर्युक्त कार्रवाई करेंगे।

बिजली की कटौती, मजदूरों की हड़ताल आदि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी के कारण देश में टायरों की उपलभ्यता मांग की तुलना में कम हो गई है।

सम्भरण की इस कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिए उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उद्योग को अतिरिक्त पारियों में तथा छुट्टियों और रविवारों को काम करने को कहा गया है।

आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

6346. **श्री अण्णा साहिब गोटखिडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 में विभिन्न शहरों में सर्किलवार, वर्षवार, कितने-कितने आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए, और

(ख) वर्ष 1973-74 के अन्त तक ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की सर्किलवार संख्या कितनी-कितनी हो जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 और वर्ष 1973-74 (30-9-73 तक) से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण पत्र में दे दी गई है। वर्ष 1973-74 को बाकी अवधि के अंतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

सर्किल/जिले का नाम	निम्नलिखित अवधि के दौरान खोले गये आटोमैटिक एक्सचेंजों की संख्या			30-9-73 को आटोमैटिक एक्सचेंजों की कुल संख्या (30-9-73 तक)
	1971-72	1972-73	1973-74	
सर्किल				
1. आन्ध्र प्रदेश	23	24	4	489
2. बिहार	13	5	1	213
3. गुजरात	18	33	6	241
4. जम्मू और काश्मीर	—	4	—	44
5. केरल	14	16	3	234
6. मध्य प्रदेश	14	19	—	223
7. महाराष्ट्र	30	24	11	350
8. मैसूर	15	10	6	258
9. उत्तर पूर्व	14	6	3	136
10. उड़ीसा	9	14	6	81
11. पंजाब	15	18	2	186
12. राजस्थान	7	18	2	120
13. तमिल नाडु	38	24	4	391
14. उत्तर प्रदेश	5	10	5	254
15. पश्चिम बंगाल	9	4	5	124

विवरण—जारी

सर्किल/जिले का नाम	निम्नलिखित अवधि के दौरान खोले गये आटोमैटिक एक्सचेंजों की संख्या 1971-72	1972-73	1973-74	30-9-73 को आटोमैटिक एक्सचेंजों की कुल संख्या (30-9-73 तक)
जिले				
1. अहमदाबाद	1	3	—	11
2. बंगलौर	—	1	—	6
3. बम्बई	—	3	—	25
4. कलकत्ता	1	—	—	25
5. कोयम्बटूर	—	—	—	9
6. दिल्ली	4	2	1	26
7. हैदराबाद	—	1	—	11
8. जयपुर	—	—	—	2
9. कानपुर	—	—	—	3
10. लखनऊ	—	—	—	4
11. मद्रास	—	1	—	16
12. नागपुर	—	1	—	3
13. पटना	—	—	—	4
14. पूना . . .	1	—	—	5

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को काम दिलाना

6347. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालय में दिसम्बर, 1973 तक पंजीकृत सभी शिक्षित बेरोजगारों को अगले 2 वर्षों में रोजगार दिलाने के लिये सरकार का कोई द्रुत योजना लागू करने का विचार है;

(ख) वर्ष-वार रोजगार दिलाने के लिये तैयार की गई योजनाओं की रूपरेखा क्या है, और

(ग) क्या गैर-सरकारी उपक्रमों को कोई निर्देश जारी किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1973 तक रोजगार कार्यालयों के पास रजिस्टर्ड सभी शिक्षित बेरोजगारों को आगामी दो वर्षों के अन्दर खपाने के लिये किसी प्रकार की विशेष त्वरित स्कीम आरम्भ करने का भारत सरकार का कोई विचार

नहीं है। फिर भी, पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय शिक्षित बरोजगारों सहित देश की समस्त रोजगार की स्थिति को योजना आयोग ने ध्यान में रखा है। आत्म-निर्भरता और गरीबी का उन्मूलन योजना के इन दो उद्देश्यों के अनुरूप, सांकेतिक अवधि के लिए विकास की आन्तरिक दृष्टि से संगत क्षेत्रीय प्रणाली और उभरते हुए अन्त: उद्योग सम्बन्ध जिससे समस्त विकास की दर पांचवीं योजना में 5.5 प्रतिशत, छटी योजना में 6.0 प्रतिशत तथा सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में 6.0 प्रतिशत प्राप्त की जा सके, तैयार किए गये हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विकास का पुन: वितरण करना है और इसकी पूर्ति के लिए रोजगार एक आवश्यक घटक है। फिर भी, यह मानना ठीक नहीं कि रोजगार सर्जन की समस्या पर कार्य नीति, योजना में परिकल्पित विकास की दर और प्रणाली और प्रत्येक क्षेत्र के कार्यक्रमों के रोजगार तत्व से पृथक विचार किया जा सकता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना इस बात को स्वीकार करती है कि केवल मजदूरी/वेतन का रोजगार, वर्तमान बेरोजगारी की समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं कर सकते और यथा सम्भव अधिक स्वरोजगार के अवसर खासकर कृषि, लघु उद्योग, सेवाओं, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में सुलभ करने के लिए मुख्य रूप से प्रयत्न करने होंगे।

चौथी योजना का अनुभव यह बताता है कि स्व-रोजगार की वृद्धि करने के उपायों में ये कार्य करने होंगे : (क) उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगाना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना, (ख) अपेक्षित काम पर या अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्शदात्री सेवायें सुलभ करने की व्यवस्था करना तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्नों को समर्थन देने के लिए परियोजनाएं तैयार करना, (ग) बुनियादी आधार की सुविधायें, कच्चा माल तथा हाट व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए कारगर व्यवस्था करना और (ग) अन्त में परन्तु अंतिम नहीं, समुचित संस्थागत व्यवस्थायें करना, जिनके कारण निम्नतम आवश्यक सरकारी निधि लगाने से बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से अधिकतम वित्तीय समर्थन प्राप्त किया जा सके। ये उपाय शिक्षित बेरोजगारों के कार्यक्रम और चौथी योजना अवधि में अपनाए गए पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता की स्कीम में से विशेष रोजगार कार्यक्रमों को दी जाने वाली अनेक सहायताओं का महत्वपूर्ण भाग है। पांचवीं योजना अवधि के दौरान भी इसी प्रकार के उपाय अपनाने का प्रस्ताव है। यद्यपि स्व-रोजगार पर बल देने वाले रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के क्षेत्रीय निष्पादन को नया मोड़ देने के लिए निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाएगी :—

(i) उद्यमिता का विकास करना तथा उसे प्रोत्साहित करना और 'परामर्शदात्री सेवाओं का समूह' उपलब्ध करना ताकि रोजगार खासकर स्व-रोजगार की अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें,

(ii) विभिन्न छोटे उद्योगों में पहले से काम करने वाले लोगों की कुशलता और उपकरणों के भरपूर उपयोग के लिए सुविधायें प्रदान करना;

(iii) इन उद्योगों की उत्पादन तकनीकों में उत्तरोत्तर सुधार करना ताकि उन्हें गतिशील स्तर पर लाया जा सके; और

(iv) पिछड़े क्षेत्रों सहित अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए 'विकास केन्द्रों' में इन उद्योगों को प्रोत्साहित करना।

उड़ीसा में उद्योग

6348. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में उड़ीसा के लिये, जिलावार, कितने उद्योगों की मंजूरी दी गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : उड़ीसा में उद्योग लगाने के लिए वर्ष 1971-73 में 12 औद्योगिक लाइसेन्स तथा 23 आशय-पत्र स्वीकृत किए गए इन में से 2 औद्योगिक लाइसेंस तथा 5 आशय-पत्र पिछड़े जिलों को दिए गए। ये धातुकार्मिक उद्योग, दूर संचार औद्योगिक मशीनरी, उर्वरक, रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त), कपड़ा, कागज उत्पाद सहित कागज व लुगदी खमीर उद्योग, खाद्य परिशोधन उद्योग, चीनी-मिट्टी उद्योग सीमेंट, जिप्सम उत्पाद इत्यादि के बारे में हैं। औद्योगिक लाइसेन्स/आशयपत्रों के सम्बन्ध में जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

बिहार तथा गुजरात के विद्यार्थी झगड़ों में सी० आई० ए० का हाथ

6349. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और बिहार के विद्यार्थी झगड़ों के पीछे कोई सी० आई० ए० योजना है; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार के पास बिहार तथा गुजरात में विद्यार्थी झगड़ों के पीछे सी० आई० ए० की किसी योजना के बारे में सूचना नहीं है। ऐसे मामलों के संबंध में कड़ी सतर्कता बरती जाती है।

इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र म रोजगार

6350. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इलेक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों से इलैक्ट्रोनिक्स में डिग्री लेकर निकलने वाले छात्रों के लिये भारत में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं; और

(ख) विदेशों में रोजगार पाने के लिये कितने छात्र भारत से चले गये हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) इलैक्ट्रोनिक्स और संचार इंजीनियरी के बहुत से स्नातक उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश जाते हैं ताकि उच्च पदों को अधिक शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए वे भारत वापस आ सकें। इलेक्ट्रोनिक्स और संचार इंजीनियरी क्षेत्रों के जो व्यक्ति प्रशिक्षण/कार्य हेतु विदेश गये हैं, उनकी संख्या से संबद्ध आंकड़े वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक कार्मिक विभाग के प्रौद्योगिक जनशक्ति बुलेटिन (जनवरी 1973) में उपलब्ध हैं। इसके अनुसार वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक कर्मकों की राष्ट्रीय पंजी के

'विदेशों में भारतीय खण्ड' के अंतर्गत यथा 1-1-1973 को 173 व्यक्तियों का इलेक्ट्रोनिक्स में तथा 134 व्यक्तियों का संचार इंजीनियरी में पंजीयन हुआ । इसी अंक में यह भी सूचित किया गया है कि इनमें से 72 इलेक्ट्रोनिकी इंजीनियरों और 54 संचार इंजीनियरों ने 1972 के अंत तक भारत वापस आने की सूचना दी है ।

Expenditure on B.S.F. and C.R.P. whose services were requisitioned for Elections in U.P. and Manipur

6351. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of officers and jawans of the Border Security Force and the Central Reserve Police whose services were requisitioned for the elections in Uttar Pradesh and Manipur and

(b) the expenditure incurred on this account?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) The requisite information is as follows :—

U.P.—130 officers and 10,863 jawans.

Manipur—42 officers and 4,163 jawans.

(b) The approximate expenditure on this account works out to be as follows :—

U.P.—Rs. 19,50,173/-
Manipur—Rs. 24,29,815/-

Seizure of Foreign Made Revolvers and Cartridges in New Delhi

6352. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether foreign made revolvers and live cartridges were seized from some persons in New Delhi in January, 1974; and

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) Yes, Sir. On 11th January, 1974 one foreign made pistol and 10 cartridges were recovered from a person who was arrested for their possession without a licence. A case was registered in the Police Station Parliament Street which is under investigation.

On 23rd January, 1974 one foreign made revolver and 10 cartridges were taken into possession by police station Parliament Street as unclaimed property. Subsequently they were restored to the owner under orders of the court.

अधिकारियों द्वारा विविधीकरण के उपबन्धों का उल्लंघन

6353. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक 'इक्विटी' वाली विदेशी फर्मों को विविधीकरण के अन्तर्गत यहां तक कि 1970 में तथा उसके बाद भी कतिपय वस्तुओं के निर्माण की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, निर्माण की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं, कौन से कच्चे माल का आयात किया गया है, अधिष्ठापित पूंजीगत सामान आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारियों ने कतिपय कम्पनियों को लाभ पहुंचाने हेतु विविधीकरण के उपबन्धों का भिन्न अर्थ लगाया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली फर्मों को मुक्त विविधीकरण करने की कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं। विदेशी बहुलांश वाली फर्मों और बड़े गृहों को उपलब्ध मुक्त विविधीकरण करने की सुविधाएं 1970 में वापस ले ली गई थी जबकि सरकार ने इन सभी फर्मों की गतिविधियों को लाइसेंस उपबन्धों के अन्तर्गत लिया था। मुक्त विविधीकरण पर सरकार की वर्तमान नीति को अधिसूचना सं० का० आ० 98 (ई) आई० डी० आर० ए० 29-बी०/73/1 दिनांक 16 फरवरी, 1973 द्वारा घोषित किया गया था (जो सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है) जिसके द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाली फर्मों और विदेशी बहुलांश वाली फर्मों के अलावा औद्योगिक उपक्रमों को मुक्त विविधीकरण करने की सुविधा अनुमत है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गृह मंत्रालय के पश्चिम बंगाल संबंधी 'सेल' का दिल्ली में कार्यकरण

6354. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य के कार्य वहां के प्रशासक तथा वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति की देखभाल के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय से सम्बद्ध पश्चिम बंगाल सम्बंधी 'सेल' दिल्ली में अभी भी कार्य कर रहा है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कुल कितना वार्षिक खर्च करना पड़ता है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) यद्यपि पहले बनाये गये पश्चिम बंगाल एकक को समाप्त कर दिया गया है तथापि गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं और इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त किए गये कर्मचारियों के लिए 1973-74 में केवल 6539.05 रुपये व्यय किए गये हैं।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती

6355. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानून और सुरक्षा बनाये रखने में राज्य सरकार की सहायता के लिये पश्चिम बंगाल में अभी भी कुल कितने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी तैनात हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस केन्द्रीय बल के रखरखाव तथा पश्चिम बंगाल के लिये उनकी सेवायें पाने पर कितनी धनराशि व्यय की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 30 कम्पनियां विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के नियंत्रण में तैनात की गई हैं।

(ख) गत दो वर्षों में उन्हें दी गयी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ियों के व्यय के वास्ते राज्य सरकार ने अब तक कोई भुगतान नहीं किया है।

कलकत्ता तथा अन्य नगरों में सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधा

6356. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **संचार** मंत्री दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच सीधे डायल घुमा कर टलीफीन करने की सुविधा के बारे में 27 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4796 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता नगर के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक महत्व को देखते हुए कलकत्ता और अन्य नगरों के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार कलकत्ता को सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था से बाहर रखने सम्बन्धी भेद भाव समाप्त करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के हित में कलकत्ता के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा चालू करने के लिए कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं थी । इसके लिए उपस्कर में काफी फेर बदल करने थे और ये फेरबदल तेजी से नहीं किए जा सके क्योंकि यह काम चालू उपस्कर पर किया जाना था जिस पर भारी यातायात का दबाव पहले से ही था । यदि यह काम तेजी से किया जाता तो जिस अवधि के दौरान यह काम होता, उस अवधि में स्थानीय प्रणाली में चिन्ताजनक गिरावट आ जाती, जोकि वांछनीय नहीं थी । अब फेर-बदल का काम पूरा हो गया है ।

(ख) कलकत्ता के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के जरिए कलकत्ता से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा चालू करने की योजना बनाई गई है । कलकत्ते के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के वर्ष 1974-75 में चालू हो जाने की सम्भावना है, जिससे सबसे पहले आसनसोल के साथ उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा स्थापित की जाएगी । वर्ष 1974-75 में अन्य स्थलों जैसे कि खड़गपुर, कटक और भुवनेश्वर के लिए भी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा सुलभ कर दी जाएगी । दिल्ली, बम्बई और मद्रास आदि अन्य शहरों के लिए यह सेवा पांचवीं योजना-अवधि के दौरान उत्तरोत्तर दे दी जाएगी ।

संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को सम्मिलित करना

6357. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को स्थानीय भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दल तथा दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) की गोरखा लीग से, पश्चिम बंगाल राज्य में नेपाली भाषा के प्रयोग तथा इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करके अल्पसंख्यकों की इस भाषा का स्तर ऊपर करने सहित कुछ स्वायत्त अधिकारों के बारे में, कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राईमरी तथा सेकन्डरी दोनों स्तरों पर नेपाली भाषा माध्यम से शिक्षा देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं । पश्चिम बंगाल राजभाषा अधिनियम, 1961 में व्यवस्था है कि दार्जिलिंग जिले में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सिओंग

के सब-डिवीजनों में नेपाली भाषा सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा नेपाली भाषा को सरकार के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में धीरे-धीरे लागू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक विशेष उपाय आरम्भ किये गये हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र सलाहकार समिति नामक एक सलाहकार समिति गठित की गई है ताकि विकास की गति तेज की जा सके। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को जो इस समिति के अध्यक्ष हैं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वियन के संबंध में विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। इस क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई विशिष्ट धन राशि के प्रबंध के लिए राज्य सरकार के योजना तथा समन्वय विभाग में एक अलग पहाड़ी क्षेत्र सचिवालय स्थापित किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक उप-योजना भी तैयार की जा रही है। इस प्रकार इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

राज्यों में योजना बोर्ड

6358. **श्री एस० एन० सिंह देव : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य योजना बोर्ड स्थापित किए हैं ;

(ख) राज्यवार राज्य योजना बोर्डों के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए इन योजना बोर्डों ने क्या योगदान दिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, मणिपुर को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों में राज्य योजना बोर्ड/आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। बोर्डों/आयोगों के गठन को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6675/74**] जम्मू तथा कश्मीर से राज्य योजना बोर्ड के गठन का ब्यौरा अभी प्राप्त होना है।

(ग) योजना की तैयारी के बारे में राज्यों को सलाह देकर तथा समस्त सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विश्लेषण में योजना तथा अन्य विभागों के साथ कार्यवाही कर, समस्त कार्यनिति का निश्चय कर, अन्तः क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण कर, समस्याओं का पता लगा कर और विभिन्न असुविधाजनक क्षेत्रों तथा जनता के वर्गों के लिए कार्यक्रम तैयार कर राज्य योजना बोर्डों ने समान्यतया-योग दान दिया है।

पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सुन्दर वन और झारग्राम का विकास

6359. **श्री एस० एन० सिंह देव : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के दार्जिलिंग, सुन्दर वन तथा झारग्राम क्षेत्रों के विकास के लिए किये गये प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) चौथी योजना में इन क्षेत्रों के विकास पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) इन क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) राज्य के दार्जिलिंग, सुन्दरवन और झारग्राम क्षेत्रों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार किए गये प्रस्तावों की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं :—

दार्जिलिंगः—हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित एक उप-योजना भेजी है । ऐसा पांचवीं योजना में की गई इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वहां की विशिष्ट समस्याओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं को आधार मान कर उप-योजनाएं बनाई जानी चाहिए । इस उप-योजना में सामान्य रूप से आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण परिवहन तथा संचार, बिजली सुविधा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर बल दिया गया है । योजना आयोग इस उप-योजना पर विचार कर रहा है ।

सुन्दरवनः—पश्चिम बंगाल की पांचवीं योजना के प्रारूप में 8 करोड़ रुपए के परिव्यय द्वारा सुन्दरवन क्षेत्र का तीव्रतर विकास करने का एक प्रस्ताव सम्मिलित है । यह प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया है :—

(1) निवेश ऐसे किया जाए कि उससे उत्पादन बढ़े जैसे कि कृषि, मत्स्य-उद्योग तथा पशुपालन उद्योग तथा उपज केन्द्र विकास ।

(2) खेतिहर भूमि की सुरक्षा के लिए तथा जलावरोध की स्थिति समाप्त करने के लिए न्यूनतम व्यवस्था ।

(3) गैर-प्राथमिक क्षेत्रों में रोज़गार सर्जन ।

ये प्रस्ताव सुन्दरवन क्षेत्र के लिए तैयार की गई 10 वर्षीय सम्पूर्ण विकास योजना का ही एक अंग है ।

झारग्रामः—पश्चिम बंगाल के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में झारग्राम क्षेत्र के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है । इस क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकार की गई नीति यह है कि उत्पादन मूलक स्कीमों में निवेश किया जाए, फार्म तथा कृषि भूमि की देख-रेख के लिए उचित व्यवस्था हो तथा सड़क निर्माण, नए उद्योग, संस्थान आदि स्थापित करके रोज़गार अवसरों का सर्जन किया जाए ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी अनिवार्यतः राज्य सरकारों की है और उनके विकास के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था राज्य योजनाओं के अन्तर्गत करनी होगी । दार्जिलिंग को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के बारे में अभी योजना आयोग में विचार किया जा रहा है ।

चौथी योजना में इन क्षेत्रों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है, यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है, प्राप्त हो जाने पर जिसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

राज्यों में जिला-वार योजनाएं बनाना

6360. **श्री एस० एन० सिंह देव : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि जिला-वार योजनाएं तैयार की जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल राज्य उन राज्यों में से है जिन्होंने अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना, जिलावार तैयार की हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जिला आयोजन समितियां गठित किए जाने की सूचना मिली है जिनको कि जिला योजनाएं तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अपने पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप के प्रस्तावों में विभाज्य परिव्ययों तथा भौतिक लक्ष्यों का जिलावार आवंटन दिया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में रेडियो स्टेशन स्थापित करने सम्बंधी लक्ष्य की प्राप्ति

6361. **श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इससे क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश में जो मुख्य ब्राडकास्टिंग परियोजनायें हैं वे इस प्रकार हैं :

(i) विशाखापत्तनम स्थित ट्रांसमिटर की शक्ति में वृद्धि इस परियोजना के 1975-76 तक मुकम्मल होने को संभावना है।

(ii) स्टुडियो के निर्माण द्वारा विशाखापत्तनम केन्द्र का पूर्ण केन्द्र के रूप में उन्नयन। इस परियोजना के 1976-77 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है।

(iii) विजयवाड़ा में स्थायी स्टुडियो की स्थापना। इस परियोजना के 1976 के मध्य तक मुकम्मल किये जाने की संभावना है।

(ख) ऊपर क्रमांक (i) और (ii) में उल्लिखित परियोजनाओं को चौथी योजना की अवधि में मुकम्मल करना संभव नहीं हुआ है क्योंकि ये चौथी योजना में इसके मध्यावधि मूल्यांकन के समय शामिल की गई थी। क्रम संख्या (iii) की परियोजना के मामले में स्थान का आकाशवाणी को हस्तान्तरित करने में विलम्ब हुआ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का अध्यक्ष

6362. **श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नये अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नियुक्ति कब तक की जायेगी?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) से (ग) अन्तरिम अध्युपाय के रूप में श्री ए० एन० बनर्जी, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय को मंत्रालय में अपने कार्यों के अलावा राष्ट्रीय वस्त्र निगम का अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है। दीर्घकालीन आधार परं अध्यक्ष नियुक्त करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाने वाला है।

आसाम में नमक की कमी

6363. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम में नमक की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) और (ख) असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को नमक का वितरण करने की क्षेत्रीय योजना के अधीन इन क्षेत्रों के लिए नमक कलकत्ते से लाया जाता हैं वहां पर नमक गुजरात के पश्चिमी तट के बन्दरगाहों और तमिलनाडु के तुतीकोरिन बन्दरगाह से जलपोतों द्वारा लाया जाता है। कलकत्ते से, नमक रेल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य खपत् वाले क्षेत्रों को ले जाया जाता है।

असम में नमक की कुछ कमी रही है कलकत्ता को नमक ले जाने के लिए और अधिक जल-पोतों की व्यवस्था की गई है। रेलवे से उत्तर पूर्वी राज्यों को नमक की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त रेल-गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया है। आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सलफिया साल्ट गोलाह के 25000 मी० टन नमक के रिजर्व स्टाक से भी 5000 मी० टन दिया गया है। औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी राज्यों को नमक भेजने की समस्या का गम्भीरता से अध्ययन करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है।

सोवियत संघ के सहयोग से "फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों" का विकास

6364. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' के विकास के लिये भारत के साथ सहयोग करने के लिये सहमत नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये किसी अन्य देश से अनुरोध किया है; और यदि हां, तो किये गये प्रयासों के क्या परिणाम निकले?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत पहले से ही फ्रांस के सहयोग से काम कर रहा है तथा फ्रांस की सहायता से कलपक्कम में एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिऐक्टर बनाया जा रहा है।

हस्त-लेख एवं अंगुलियों के चिन्हों के विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए संस्थान

6365. श्री एस० एन० मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्त-लेख एवं अंगुलियों के चिन्हों के विज्ञान में प्रशिक्षण देने के लिये भारत में केन्द्रीय सरकार के कितने संस्थान हैं; और

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक संस्थान के लिये कितनी राशि आवंटित की?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) हस्तलेख एवं अंगुलियों के चिह्नों के विज्ञान में प्रशिक्षण अपराध तथा विधि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, केन्द्रीय अंगुली चिह्न ब्यूरो, कलकत्ता, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कलकत्ता, हैदराबाद तथा चण्डीगढ़ और शिमला, कलकत्ता तथा हैदराबाद स्थित विवादास्पद कागजात के सरकारी परीक्षक के कार्यालयों में दिया जाता है।

(ख) गत 3 वर्षों में प्रत्येक संस्थान के लिये सरकार द्वारा बजट में आवंटित परिव्यय निम्नलिखित है:—

संस्थान	बजट परिव्यय
	(रु० हजारों में)
1. अपराध तथा विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली . .	11,94
2. विवादास्पद कागजातों के सरकारी परीक्षक	
(क) शिमला . .	10,65
(ख) कलकत्ता . .	5,93
(ग) हैदराबाद . .	5,81
3. केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल	
(क) कलकत्ता .	15,23
(ख) हैदराबाद . .	11,34
(ग) चण्डीगढ़	4,06
4. केन्द्रीय अंगुली चिह्न ब्यूरो, कलकत्ता . .	15,09

पांचवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिये कार्यक्रम को अन्तिम रूप देना

6366. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना की अवधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिये कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के एक प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप के प्रथम तथा द्वितीय खंड, जिन में मुख्य बातों का उल्लेख है, सदन के पटल पर 26 मार्च, 1974 को प्रस्तुत किए गये थे ।

रेडियो लाइसेंस फीस समाप्त करना

6367. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलैक्ट्रोनिक्स आयोग से यह सिफारिश प्राप्त हुई है कि देश में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के विकास के लिए रेडियो लाइसेंस फीस समाप्त की जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कुछ श्रेणियों के रिसीविंग सेटों पर लाइसेंस फीस समाप्त करने के संबंध में एक सुझाव इलेक्ट्रोनिक्स आयोग से प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

गियाना में भारतीय सहायता के साथ सीमेंट कारखाने की स्थापना

6368. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गियाना सरकार से सीमेंट के कारखाने की स्थापना में सहायता देने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता किया गया है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) गियाना सरकार ने अपने देश में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत की सहायता प्राप्त करने में रुचि दिखाई है । इस सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी भारतीय पार्टी गियाना सरकार से बातचीत कर रही है ।

आल इण्डिया रेडियो स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन की मांग

6369. **श्री एम० एस० पुरती**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेडियो स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन ने ऐसी कोई मांग की है कि संस्था के इंजीनियरों और प्रशासकों की भांति आर्टिस्टों को भी संवर्ग दिये जाएं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों का पहले से ही अपने विशिष्ट स्वरूप और सेवा शर्तों के कारण एक अलग संवर्ग है ।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय लिंग अनुपात

6370. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय लिंग अनुपात समग्र भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अनुपात से बिल्कुल भिन्न है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार निष्कर्ष क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति 100 महिलाओं में पुरुष) समस्त भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अनुपात से थोड़ा अधिक हैं।

(ख) भारत के महापंजीकार ने कुछ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय लिंग अनुपात का 'भारत में लिंग संरचना' एक प्रकाशन निकाला है।

(ग) विवरण में दिया है ।

विवरण

(प्रति 100 महिलाओं में पुरुष)

ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय लिंग अनुपात

क्रम सं०	राज्य	वर्ष	लिंग अनुपात
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	1968	99.8
		1969	103.8
2.	असम .	1968	106.6
		1969	103.5

1	2	3	4
3.	गुजरात	1968	108.3
		1969	105.3
4.	हरियाणा	1968	116.2
		1969	113.3
5.	जम्मू व काश्मीर	1968	108.0
		1969	120.9
6.	केरल	1968	105.6
		1969	105.5
7.	महाराष्ट्र .	1968	109.9
		1969	110.2
8.	मैसूर	1968	111.5
		1969	106.7
9.	पंजाब .	1968	115.0
		1969	112.1
10.	राजस्थान . .	1968	111.6
		1969	115.4
11.	तमिलनाडु . . .	1968	—
		1969	104.2
12.	उत्तर प्रदेश	1968	109.5
		1969	109.3
	सामूहिक	1968	108.4
		1969	107.8

प्रथम श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

6372. **श्री अम्बेश :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयन के आधार पर भरे जाने वाले प्रथम श्रेणी के पदो में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) यह प्रश्न, कि क्या चयन के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षणों की योजना को श्रेणी II के पदों तथा श्रेणी II से ऊपर के पदों पर लागू किया जा सकता है और यदि हां, तो किस सीमा तक किया जा सकता है, विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिए जाने में कुछ समय लग जाएगा ।

पटना में दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र

6373. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री भोला मांझी } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण हेतु पटना में दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन हेतु काफी समय पहले भवन किराये पर ले लिया गया था परन्तु तकनीकी औजारों और तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था न होने के कारण अभी तक दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां पूर्ण शिक्षण केन्द्र को शीघ्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : 30 मार्च 1974 को पटना में एक क्षेत्रीय दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया गया है ।

गोलमुड़ी, जमशेदपुर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

6374. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री भोला मांझी } : क्या **संचार** मन्त्री गोलमुडी, जमशेदपुर, में क्वार्टरों के निर्माण के बारे में 19 दिसम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5460 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन कब तक दिये जाने की आशा है और उनके आवंटन में और अधिक विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : बिजली सप्लाई कंपनी ने गोलमुडी, जमेशदपुर को डाक-तार कालोनी के लिए बिजली देने की मंजूरी दे दी है । बिजली सप्लाई के कनेक्शन मिल जाने के बाद डाक-तार कर्मचारियों को ये क्वार्टर अलाट कर दिए जाएंगे ।

गया डिवीजन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के भुगतान में विलम्ब

6375. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1973 से अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान गया डिवीजन के लिये पी० एम० जी० पटना के पास समयोपरि भत्ते के कितनी राशि के कितने ऐसे बिल पड़े हुए हैं जिनका निपटान नहीं किया गया है और पी० एम० जी० पटना के कार्यालय में निपटान में विलम्ब हो जाने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या इस तरह के आदेश हैं कि समयोपरि भत्ते का भुगतान छः सप्ताह के भीतर अवश्य ही कर दिया जाना चाहिये और पी० एम० जी० पटना के बार-बार निदेश जारी किये जाने के बावजूद भी डी० ई० टी० गया द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) इन बिलों का भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गया इंजिनियरिंग डिवीजन के अप्रैल, 1973 से अक्तूबर, 1973 तक की अवधि के समायोपरि भत्ते के जितने भी बिल पटना के पी० एम० जी० आफिस में आए थे उनकी मंजूरी दे दी गई है।

(ख) इस प्रकार के आदेश हैं कि कर्मचारियों के समयोपरि-भत्ते के बिल उनके प्रस्तुत किये जाने से 6 महीने के भीतर ही मंजूर कर दिए जाएं। सामान्यतया डी० ई० टी० गया के कार्यलय में समयोपरि-भत्तों के बिलों का भुगतान उनके प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर ही कर दिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Persons Arrested Under D.I.R.

6376. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Ministe of **Home Affairs** be pleased to state the number of persons arrested and released separately in the whole country under the Defence of India Rules during the last three months, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बीरभूम (पश्चिम बंगाल) का विकास

6377. **श्री गदाधर साहा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल में बीरभूम के पिछड़े जिले के पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक दृष्टि से विकास के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या ठोस कार्यवाही की गई है और अब तक वहां कौन से उद्योग स्थापित किये गये हैं और स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : प० बंगाल का बीरभूम जिला वित्तीय सस्थानों से रियायती दर पर आर्थिक सुविधाऐं प्राप्त करने के लिए पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा गया है। इस योजना के अधीन अखिल भारतीय शर्तों पर उधार देने वाले वित्तीय संस्थानों, नामत: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए जाने वाली छूटों के संक्षिप्त रूप से ब्याज की कम दर, मूलधन की पहली किस्त के भुगतान की अवधि को बढ़ाना, ऋणों के भुगतान की लम्बी अवधि, सामान्य सेवा प्रभारों में कमी करना इत्यादि शामिल हैं। हर प्रकार के औद्योगिक गतिविधियों जिनसे इस जिले के विकास होने की संभावना है, को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

वर्ष 1974-75 में इलैक्ट्रोनिक्स में नये सरकारी उपक्रमों की स्थापना करना

6378. **श्री राम सहाय पांडे**
श्री के० लकप्पा : क्या **इलैक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स विभाग का विचार चालू वित्तीय वर्ष में चार नये सरकारी उपक्रम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) 1974-75 के दौरान इलैक्ट्रोनिक्स विभाग ने जिन उपक्रमों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, वे हैं :

(1) इलैक्ट्रोनिकी व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास निगम—इसका संबंध इलैक्ट्रोनिकी में (माध्यम एजेंसी के रूप में कार्य न करते हुए) आयात-निर्यात व्यापार के विशेष पहलुओं और साथ ही इलैक्ट्रोनिकी में अग्रिम प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन तथा अंतरण से है;

(2) अर्ध कण्डक्टर कम्पेलक्स जो मध्यम और बड़े पैमाने पर इंटीगरेटेड परिपथों और डिस्पलेडिवाइसेज के क्षेत्रों में उत्पादन तथा अनुसंधान एवं विकास करेगा ।

(3) संगणक अनुरक्षण एकक जो विदेश से आयातित संगणकों के अनुरक्षण और उनकी सर्विसिंग के लिए सामर्थ्य उपलब्ध करेगा तथा प्रणाली अभियंत्रण में प्रयोक्ता एजेंसियों की सहायता भी करेगा ।

एक प्रस्ताव यह भी है कि द्विमार्गी संचार उपस्कर के उत्पादन हेतु एक यूनिट स्थापित किया जाय, जिससे गृह मंत्रालय और अन्य प्रयोक्ताओं की मांगों पूरी हो सकें । इस परियोजना के कार्यान्वियन हेतु ऐजेंसी पर सरकार विचार कर रही है ।

ऊर्जा के आधार को बदलना

6379. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री पी० गंगादेव : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस प्रकार की कार्यवाही की है जिससे उत्पादन की सम्भावनाओं को वास्तविक बनाने के लिए हमारे ऊर्जा संसाधनों के प्रबन्ध की आवश्यकता पर जोर दिया गया हो; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना के दौरान ऊर्जा का कोई नया आधार बनाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा **(ख)** जी, हां । ऊर्जा के संसाधनों की व्यवस्था पर यथोचित ध्यान दिया जा रहा है । बिजली आपूर्ति उद्योग को युक्तिसंगत बनाने तथा पुनर्गठन करने और कोयला उद्योग को पुनः संरचना पर ध्यान दिए जान पर प्राथमिकता दी जा रही है । तेल की खोज द्रुतगति से की जा रही है । पांचवीं योजना के दौरान ऊर्जा के अन्य संसाधनों के अनुसंधान तथा विकास के लिए निवेश को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है । ऊर्जा के आधार को बदलने तथा ऊर्जा की समस्याओं पर कार्य करने के लिए ऊर्जा बोर्ड का गठन विचाराधीन है । उद्योगों में तेल, ईंधन की जगह कोयले का उपयोग रेल मार्गों के डीजलीकरण की अपेक्षा विद्युतीकरण, घरेलू उपयोग के लिए मिट्टी के तेल के बदले पत्थर के कोयले के उपयोग पर विचार किया जा रहा है । विभिन्न उद्योगों में सुलभ ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के लिए कार्यवाही करने की योजना तैयार करने हेतु बहुत सी विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है जिसमें उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं । इन समितियों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

उद्योगों में कच्चे माल का संकट

6380. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन (दक्षिण क्षेत्र) की वार्षिक बैठक को सम्बोधित करते समय मंत्रालय के सचिव ने उद्योगों से आगामी वर्ष में कच्चे माल की अधिक कठिन स्थिति के लिये तैयार रहने के लिये कहा था, और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव 1974-75 वर्ष के औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इण्डियन इन्जीनियरी एसोशिएशन (दक्षिण क्षेत्र) की आम वार्षिक बैठक में बोलते हुए, सचिव (औद्योगिक विकास) ने उद्योगों के लिए अपेक्षित कच्चे माल की समस्या की सामान्य रूप से चर्चा की और उद्योगपतियों को कमी वाले कच्चे माल का उपयोग करने में अधिकाधिक बचत और कुशलता लाने के लिए कहा ।

(ख) उस सीमा तक जब तक अनेक उद्योग आयातित कच्चे माल और उपकरणों पर निर्भर करते रहे हैं इन उद्योगों के विषय में 1974-75 की अवधि में दृष्टिकोण विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निभर करेगा ।

औद्योगिक उत्पादन में ऊर्जा का उपयोग

6381. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों की औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं के साथ ऊर्जा उत्पादन को संबद्ध करने के लिये कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग के लिये उद्योग का सहयोग प्राप्त करने का है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) जैसा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बताया गया है कि 1978-79 के लिए बिजली उत्पादन के लक्ष्य, में औद्योगिक कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है। इस्पात, उर्वरक, कोयला, अलोह उद्योगों इत्यादि जैसे अग्रता प्राप्त उद्योगों के लिए बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, नीति सभा पटल पर रखे गए पांचवीं योजना के प्रारूप दस्तावेज के अध्याय 4 (भाग-2) में बताई गई है, वर्तमान बिजली उत्पादन की कमियों को पूरा करने के लि सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं;

(ख) तथा **(ग)** : विभिन्न उद्योगों में सुलभ ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के लिए, कार्यवाई करने की योजना तैयार करने के हेतु बहुत सी विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है जिसमें उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं, इन समितियों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री में उत्पादन की हानि

6382. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लड (सीसा) के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने और इसकी सप्लाई में अनिश्चितता होने के कारण स्टोरज बैटरी इंडस्ट्री के उत्पादन में भारी हानि होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी पर्याप्त सप्लाई सुनिचित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) सरकार को मालूम है कि आयात किए जाने वाले सीसे की कमी है तथा उसकी कीमतें बढ़ गई हैं।

(ख) चूंकि यह उद्योग आई० डी० ए० प्राथमिक उद्योग के रूप में वर्गीकृत हैं अतः उपलब्ध विदेशी मुद्रा की अवरुद्ध स्थिति में सरकार का प्रयास है कि शीशे की आवश्यकताओं के आवंटन को प्राथमिकता प्रदान कर इस उद्योग की सहायता की जाए।

Applications for Telephone Connections in Aligarh

6383. Shri Chandra Shailani : ** Will the Minister of **Communications be pleased to state:

(a) the total number of new telephone connections provided in Aligarh during 1972-73 and the number of applications which are under consideration;

(b) the reasons for abnormal delay in sanctioning telelphone connections; and

(c) the action being taken to provide these connections to all the applicants at an early date?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) 128 new telephone connections were provided during 1972-73 and 106 during 1973-74. There were 1915 working connections and a waiting list of 715 applications on 31-3-1974.

(*b*) & (*c*). Due to overloading of the exchange it has not been possible to give more new connections from the existing manual exchange of 2000 lines. The exchange is being replecd by an automatic exchange of 2400 lines capacity during 1975 when more new connections will be provided. Another 1200 lines will be subsequently added to the automatic exchange.

New Telephone Exchange at Aligarh

6384. Shri Chander Shailani : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the time by which the new telephone exchange at Aligarh would start functioning; and

(b) whether the direct dialling service would be introduced between Aligarh and Delhi after the said automatic exchange starts functioning?

The Minister of State in the Ministry of Communication (Shri Prof. Sher Singh): (a) The new telephone exchange at Aligarh is likely to be commissioned during 1975-76.

(b) There is no proposal at present to introduce direct dialling serivce between Delhi and Aligarh after commissioning of new auto exchange at Aligarh.

लिग्नाइट पैलट का उत्पादन करके लिग्नाइट के निक्षेपों का प्रयोग

6385. **श्री राजदेव सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उन क्षेत्रों में, जहां वर्ष में तीन से लेकर पांच महीने तक शून्य से कम तापमान होता है, परम्परा से घरों और कार्यालयों को गरम रखने के लिये लकड़ी, जो महंगी तथा दुर्लभ होती जा रही है, का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी परिषद् की एक बैठक में भाग लेने वाले राष्ट्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के प्रतिनिधियों को, जो हाल में जम्मू में आये हुए थे, वाणिज्यिक प्रयोग के लिये लकड़ी अथवा साफ्ट कोक से सस्ते लिग्नाइट पेलट का उत्पादन करके लिग्नाइट के स्थानीय निक्षेपों का प्रयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या लिग्नाइट पैलट का प्रयोग सफल रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । बैठक में काश्मीर के भूरे कोयले (लिग्नाईट) के प्रयोग द्वारा कोयले के गोले (ब्राईक्वेट्स) के उत्पादन पर चर्चा की गई थी ।

(ग) जी हां, शैल्टिग (काशमीर) में स्थित कोयले के गोल (ब्राइक्वेटिंग) के वर्तमान संयंत्र में कुछ सुधार विचाराधीन हैं ।

टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन लाइनों का बहुत अधिक बोझ

6386. **श्री राजदेव सिंह : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन लाइनों के बहुत अधिक बोझ की वर्तमान स्थिति कब तक चलती रहेगी जिससे भावी अभिलाषी टेलीफोन की सुविधा से वंचित हो जाते हैं, और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) प्रत्येक टेलीफोन ऐक्सचेंज में होने वाले यातायात की स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है । आवश्यकतानुसार अतिरिक्त यातायात रिलीफ उपकरण मंगवाकर एक्सचेंजों में लगा दिया जाता है । देश में टेलीफोन उपकरणों की व्यापक कमी के कारण यातायात में जो वृद्धि होती है उसके मुकाबिले में कभी-कभी यातायात रिलीफ उपकरणों की व्यवस्था भी नहीं हो पाती ।

टेलीफोन एक्सचेंजों में विभिन्न स्तरों पर और मार्गों पर नियमित रूप से यातायात के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और किसी मार्ग (रूट) पर यातायात के दबाव का निर्धारण करने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है । यातायात के दबाव को कम करने के लिए जितने अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसका हिसाब लगाया जाता है और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलूर को अपनी मांग भेज दी जाती है ।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलूर ट्रेफिक रिलीफ उपकरणों के उत्पादन और उन्हें सप्लाई करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

सीमेंट संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी नीति में परिवर्तन

6387. **श्री राजदेव सिंह : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी आवेदन-पत्रों में चूना पत्थर के निक्षेपों की उपलब्धता निकटता चूना पत्थर की किस्म कोयले की सप्लाई का स्रोत तथा लाने-ले जाने के उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के बारे में अब पूरी जानकारी देनी पड़ेगी;

(ख) क्या कोयले तथा कच्चे माल संबंधी बाधाओं को देखते हुए प्रक्रिया में यह परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने ऐसे उद्यमकर्ता हैं जिन्होंने पहले आशय-पत्र प्राप्त किये थे, लेकिन बाद में उन्होंने अब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) औद्योगिक स्वीकृतियों का सचिवालय स्थापित हो जाने से अब औद्योगिक लाइसेन्स के आवेदन-पत्रों को निर्धारित समय के अन्दर निबटाना आवश्यक हो गया है सीमेन्ट उद्योग के लिये कच्चे माल के महत्व तथा कोयले और तैयार माल के लाने-ले जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीमेन्ट निर्माण हेतु आशय-पत्र-लाइसेन्सों की प्राप्ति के इच्छुक आवेदकों को उनके आवेदन-पत्रों के साथ चूना पत्थर के निक्षेपों कोयला संभरण स्रोत, लाने-ले जाने की सुविधाओं आदि विषयक जानकारी विस्तार में देने का परामर्श दिया गया है । यह ब्यौरा अतिरिक्त जानकारी मांगने के लिये सन्दर्भों को वापस भेजने में होने वाले विलम्ब को दूर करने तथा सभी सुसंगत बातों को दृष्टि में रखते हुए आवेदन-पत्रों के शीघ्रतापूर्वक निपटाने हेतु मांगा गया है । इसमें नीति सम्बन्धी कोई परिवर्तन निहित नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) फरवरी, 1970 से जबकि सीमेन्ट उद्योग पर पुनः लाइसेन्स चालू किया गया था, 6 पक्षकारों को दिये गये आशय-पत्र निर्धारित समय के अन्दर प्रभावशील कदम न उठा सकने के कारण व्ययगत हो गये थे ।

भारत के राजधानी नगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र

6388. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राजधानी नगरों में ओ० वाई० टी० योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1974 को नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े थे;

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्र दो वर्ष से अधिक समय से पड़े हुए हैं; और

(ग) उन पर शीघ्र निर्णय करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। ज्यों ही यह सूचना प्राप्त हो जाएगी, इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

देश में आकाशवाणी केन्द्रों तथा टेलीविज़न केन्द्रों की स्थापना के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति

6389. **श्री बनमाली बाबू : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में आकाशवाणी केन्द्रों तथा टेलीविज़न केन्द्रों को स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। कुछ योजनाओं को पांचवीं योजना की अवधि में बांट दिया गया है।

(ख) मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में देरी, प्राक्कलनों की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति में प्रक्रिया सम्बन्धी देरी, बजट की कमी तथा क्रिटीकल स्टुडियो तथा ट्रांसमिटर उपकरणों और इस्पात जैसी निर्माण सामग्री की समय पर अनुपलब्धि तथा टेलीविज़न टावरों के बनाने और लगाने में देरी का होना है।

आकाशवाणी, कलकत्ता द्वारा जमाखोरों के खिलाफ युवक छात्र रेली के समाचार को प्रसारित न किये जाने के कारण

6390. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 27 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4837 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, कलकत्ता द्वारा 8 फरवरी, 1974 को जमाखोरों के खिलाफ युवक छात्र रेली के समाचार को प्रसारित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) समाचार सम्पादक के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धमवीर सिंह) : (क) यूथ कांग्रेस और छात्र परिषद् द्वारा 8 फरवरी, 1974 को कलकत्ता में जो प्रदर्शन आयोजित किया गया था, उसके बारे में समाचार उसी दिन सायंकाल 5 बजकर 55 मिनट वाले युववाणी बुलेटिन में और बाद में आकाशवाणी, कलकत्ता के रात्रि 10 बजकर 5 मिनट वाले बुलेटिन में दिया गया था। दुर्भाग्यवश इसे रात्रि के 7 बजकर 50 मिनट वाले बुलेटिन में स्थान नहीं मिला।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संगीत तथा नाटक प्रभाग म काम करने वाले अस्थायी, स्थायी तथा नैमित्तिक आधार वाले 'आर्टिस्ट'

6391. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत तथा नाटक प्रभाग में अस्थायी, स्थायी और नैमित्तिक आधार पर कितने 'आर्टिस्ट' काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या इन कर्मचारियों को उनके वेतनमानों में सामान्य लाभ और पदोन्नति वैसे ही मिलती है जैसे आकाशवाणी के अन्य 'स्टाफ आर्टिस्टों' को मिलती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) गीत और नाटक प्रभाग में स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति ठेके पर की जाती है अस्थायी या स्थायी आधार पर नहीं। नियमित ठेके पर नियुक्त स्टाफ आर्टिस्टों की संख्या 641 है तथा कैज्युअल ठेके पर नियुक्त स्टाफ आर्टिस्टों की 79 है।

(ख) गीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों को निम्नलिखित लाभों को छोड़कर अन्य वे सभी सामान्य लाभ मिल रहे हैं जो आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को मिलते हैं :--

(1) संतान शिक्षा भत्ता

(2) गृह निर्माण अग्रिमधन

गीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों के लिये स्वतः पदोन्नति नहीं है।

झांसी जिला (उ० प्र०) में "राक फार्मेशनों" में यूरेनियम का पता लगाना

6392. **श्री लालजी भाई** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी जिले के सोनराई क्षेत्र में 'राक फार्मेशनों' में यूरेनियम का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र खनिज सर्वेक्षण तथा उत्तर प्रदेश राज्य के भू-विज्ञान एवं खनन निदेशालय ने संयुक्त रूप से काम करते हुए सोनराई क्षेत्र में बिटुमन-युक्त यूरेनियम का पता लगाया है। इन खनिज भंडारों की आर्थिक सम्भावनाओं का अनुमान लगाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग खनिज की मात्रा तथा उसके ग्रेड का पता लगा रहा है।

आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिये लेपिडोलाइट की उपलब्धता की आवश्यकता

6393. **श्री रण बहादुर सिंह : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिला (मध्य प्रदेश) के गोबिन्दपाल और हुन्दवाल ग्रामों में तीन क्विंटल आणविक खनिज निक्षेपों का पता चला है;

(ख) क्या लेपिडोलाइट के उपलब्ध होने के संकेत मिले हैं जिसकी आणविक ऊर्जा के उत्पादन में आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस विश्लेषण की मुख्य बातें क्या हैं और उन निक्षेपों का उपयोग करने के लिये सरकार ने कौन-कौन से प्रयास किये हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के गोबिन्दपाल तथा मुन्डवाल गांवों के आसपास यत्र-तत्र कुछ परमाणु खनिज मिले हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) बेरिल एवं नायोबियम-टेंटेलम से युक्त कैसिटेराइट के छोटे आकार के पैग्माटाइटों में लेपिडोलाइट पाया गया है । क्योंकि परमाणु ऊर्जा विभाग के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार लेपिडोलाइट का स्टाक विद्यमान है, इसलिए इन भंडारों से खनिज निकालने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा 'विरोध दिवस' का मनाया जाना

6394. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने 20 मार्च, 1974 को "विरोध दिवस" मनाने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और इस सबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : सरकार की नोटिस में इस आशय की कुछ प्रेस रिपोर्टें आई हैं कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की एसोसियेशनों के अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा किए गए आह्वान पर केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकारियों ने दिनांक 20 मार्च, 1974 को एक विरोध दिवस मनाया था । उन रिपोर्टों से ऐसा पता चलता है कि इस विरोध का उद्देश्य श्रेणी-1 अधिकारियों की भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों से वेतनमानों तथा दर्जे के सम्बन्ध में समानता की मांग करना और विचारों को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता एसोसियेशनों को वैध रूप में प्राप्त है, उसे कम करने के किसी भी प्रयत्न का सामना करने के अपने दृढ़ निश्चय को व्यक्त करना था । जहां तक समानता का प्रश्न है, सरकार ने श्रेणी-1 तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपने निर्णयों की पहले ही घोषणा कर दी है । जहां तक अन्य मामले का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, जिससे कि सेवा एसोसियेशनों की विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता में कमी की जाए ।

बिहार के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा तारघरों का खोलना

6395. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री जन संख्या के अनपात में डाकघरों के बारे में 20 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3836 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिमी चम्पारन, सिवाम, पूर्णिया और बेगूसराय जिलों में किसी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र अथवा तार घर के प्रस्तावों को शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बाबू बाराही और बिस्ती अथवा मधुबनी जिले, सहित इन सभी खण्ड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा डाकघरों को खोलने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) क्या माधवपुर और शहरघाट सार्वजनिक टेलीफोनों को बरास्ता भीमपट्टी से सीधे उनके जिले मधुबनी से जोड़ने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिमी चम्पारन, सिवान, पूर्णिया और बेगूसराय जिलों में कोई सार्वजनिक टेलीफोन घर या तारघर खोलने के प्रस्ताव शामिल न करने के कारण इस प्रकार हैं :—

(I) या तो प्रस्ताव आए ही नहीं,

(II) या फिर जिन प्रस्तावों की जांच की गई, वे आर्थिक दृष्टि से अलाभकर पाए गए और उन पर आने वाले घाटे माफ नहीं किए जा सके ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित की जाने वाली नीति के अन्तर्गत घाटा उठाकर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए ब्लाक मुख्यालयों को श्रेणी गत स्थान के तौर पर शामिल करने का मामला विचाराधीन है। मधुबनी जिले के बाराही और बिस्की स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के मामलों पर, नीति निर्धारित हो जाने के बाद, फैसला किया जाएगा ।

(ग) जी नहीं। मौजूदा यातायात के आधार पर फिलहाल माधवपुर और शहरघाट के सार्वजनिक टेलीफोन घरों को भीमपट्टी के रास्ते मधुबनी से जोड़ने का औचित्य सिद्ध नहीं होता ।

दिल्ली प्रशासन में वेतनमानों का संशोधन

6396. **श्री राम कंवर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) उन कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन कब किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) भारत का असाधारण राजपत्र जिसमें तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली प्रशासन के मंत्रालयी कर्मचारियों के वेतनमान दिये गये हैं पहले ही जारी कर दिया गया है ।

दिनांक 27 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Statement Correcting Answer to U. S. Q. No. 1015 *dt.* 27-2-1974

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : उपरि उल्लिखित उत्तर के साथ दी गई सूची में कुछ संसद सदस्यों के नाम भूल से रह गये थे, जिसके लिए खेद है। ये नाम संलग्न विवरण* में दिये गये हैं जिनको पहले की सूची में जोड़ा हुआ समझा जाए ।

यह चूक प्रश्न का उत्तर देने के उपरान्त हमारे ध्यान में आई। इसको ठीक करने के लिए शीघ्रतम कार्रवाई की जा रही है ।

9—256 LSS/74

विवरण

उन संसद सदस्यों के नाम जिनकी वार्तायें 1972 तथा 1973 के दौरान आकाशवाणी के दिल्ली तथा अन्य केन्द्रों से प्रसारित की गई थीं—अतिरिक्त सूची

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	संसद सदस्य का नाम
33.	टेलीविज़न केन्द्र, अमृतसर	ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर श्री एस० एस० गिल श्री प्रबोध चन्द्र
34.	टेलीविज़न केन्द्र, श्रीनगर	श्री सैयद हुसैन श्री शमीम अहमद शमीम
35.	टेलीविज़न केन्द्र, बम्बई	श्री इन्द्र कुमार गुजराल श्री हबीब तनवीर श्री सिकन्दर अली वज्द

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा भारतीय हवाई अड्डों पर नये माल की बुकिंग बन्द किये जाने का समाचार

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I call the attention of the Minister of Tourism and Civil Aviation to the following matter of urgent Public importance and request him to make a statement thereon :

"Reported stoppage of booking fresh cargo at Indian air-ports by almost all the International Airlines for want of space, especially on West-bound flights resulting in the fall in export of cargo and the steps taken by the Government to meet the situation."

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : गत कुछ महीनों में भारत से माल के विमान द्वारा वहन का कार्य काफी बढ़ गया है परन्तु उसी अनुपात में वहनक्षमता में वद्धि नहीं हुई है। मार्च के दौरान विमान कम्पनियों को प्रवाहाधिक्य के कारण बम्बई में माल का बुकिंग परिसीमित करने के लिए मजबर होना पड़ा। एयर इण्डिया ने भी बुकिंग पर रोक नहीं लगाई परन्तु उसे सब्जियों और समाचारपत्रों को छोड़ कर अन्य माल का बकिंग परिसीमित कर देना पड़ा। दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के विमानक्षेत्रों पर माल पर कोई विशिष्ट रूप से प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया परन्तु बम्बई में लगातार लगभग 75 टन प्रतिदिन के रूप में माल के न उठाये जा सकने के परिणामस्वरूप वहां माल इकट्ठा हो जाने के कारण बम्बई के रास्ते माल भेजने में उपस्थित हुई कठिनाइयों की वजह से बुकिंग के प्रवाह को परिसीमित कर दिया गया था।

2. विश्व-व्यापी ईंधन की कमी और इसके मल्यों में वद्धि के परिणामस्वरूप भारत से विमान द्वारा माल वहनक्षमता की अत्यधिक कमी हो गई है। एयर इण्डिया की भी वहन

के लिये प्राप्त हो रहे माल की मात्रा की तुलना में वहनक्षमता कम है। 1973 में एयर इण्डिया के पास वहन के लिये लगभग 23,500 टन माल आया परन्तु वह अपनी अनुसूचित सेवाओं पर उसका केवल 55 प्रतिशत अर्थात् लगभग 13,200 टन ही ले जा पायी। माल यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 1974 से एयर इण्डिया ने भारत–यू० के०–भारत मार्ग पर दो वापसी विशुद्ध मालवाही सेवायें परिचालित करने की व्यवस्था की है। आवश्यकतानुसार इन उड़ानों का विस्तार कलकत्ता अथवा मद्रास तक उन स्थानों पर सामान लेने/उतारने के लिये किया जा सकता है।

3. उपलब्ध सूचना के अनुसार चारों विमानक्षेत्रों पर समस्त अंतर्राष्ट्रीय वाहकों, जिनमें एयर इण्डिया भी सम्मिलित हैं, द्वारा वहन के लिये कुल मिला कर लगभग 350 टन माल इकट्ठा हुआ पड़ा है।

4. फिलहाल एयर इंण्डिया के लिये अपनी माल वहनक्षमता को बढ़ाना और अतिरिक्त विशुद्ध मालवाही सेवाओं को परिचालित करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि वापसी उड़ानों पर पर्याप्त माल-भार उपलब्ध नहीं होता। यदि एयर इण्डिया को वापसी उड़ानों के लिये और अधिक माल प्राप्त हो सके तो परिचालन लागतें कम हो जायेंगी तथा विशुद्ध मालवाही सेवाओं का परिचालन अधिक मितव्ययी हो सकेगा। कुछ प्रकार के सामान के वहन के अलाभप्रद होने के बावजूद, एयर इण्डिया देश की अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण हित को दृष्टि में रखते हुए उसके वहन का कार्य जारी रख रही है।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has not given full information. The hon. Minister should have informed us about the total value of cargo carried by Air India or other foreign airlines. He has said in the statement that approximately 23,500 tonnes of cargo was offered but they could carry only 55 per cent cargo. According to my information, people went to send much more cargo but since their offer is not accepted, they have stopped coming to you. Therefore, the figure of 23,500 tonnes is not correct. The hon. Minister may make a statement regarding the booking orders received for 23,500 tonnes of cargo. I think priority should be given to valuable cargo weighing less. I want to know if priorities are given to perishable goods like fruits and vegetables?

The hon. Minister has not given any detail in his statement about free trade zones to be set-up near Santacruz, Dum Dum, Madras airports.

So far as the fruits are concerned, no licnece is required and moreover the Government gives 50 per cent subsidy. I have observed that they have introduced an export incentive scheme and many a foreign company, namely, Coca-Cola Export Corporation, Indian Tobacco Company and others have started such transactions. Therefore, I want to know the present position of free trades zones?

I want to know if any plane is required to be chartered for the carriage of 300 tonnes of cargo which is lying. Are any negotiations going on with foreign companies in this direction? Has the hon. Minister established any contact with our Embassies abroad to import cargo by return flights? For example, we can import rough diamonds from Israel and export them after converting them into industrial diamonds and earn foreign exchange thereby.

Shri Raj Bahadur : The hon. Member has said that he has not received full information. is known that out of 23,000 tonnes of cargo. Air India carried 13,000 tonnes. About 350 tonnes is yet to be carried. There is an important fact in this regard that there is much rush of cargo at the end of the year. Apart from this, ships have been affected due to increase in prices of fuel and bunkering oil.

In reply to the hon. Member's question, I have to state that priorities are given to foods, fresh vegetables and newspapers etc.

So far as the hon. Member's point about statement is concerned, if he tables a question properly, my colleague, Shri Chattopadhyaya will definitely give a reply.

So far as the free trade zones are concerned my colleague Shri Chattopadhyaya may tell in detail. We can perhaps, charter planes if we get full cargo.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, are you satisfied with the answer?

Mr. Speaker : It is the hon. Member who has to be satisfied.

Shri Raj Bahadur : I have given all the information I had with me.

अध्यक्ष महोदय : यह पर्यटन और नागर विमानन मंत्री को संबोधित है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं एक बार प्रक्रिया से हटता हूं तो फिर मैं उसे भविष्य में नहीं रोक सकता । मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय ऐसा क्यों करते हैं।

Shri Madhu Limaye : I have already requested you to give your decision on such matters.

अध्यक्ष महोदय : यदि वाणिज्य मंत्री की इस प्रश्न का उत्तर देने में रूचि थी तो उन्हें इसे नागर विमानन मंत्रालय को संबंधित नहीं करना चाहिये था । वह कह सकते थे कि इसका आंशिक सम्बन्ध मेरे मंत्रालय से है और आंशिक सम्बन्ध अन्य मंत्रालय से है। तब मैं इसका उपाय निकाल लेता । खैर, अब मैं उन्हें उत्तर देने की अनुमति देता हूं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, यदि मुझसे प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका फैसला आपस में कर लीजिए ।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मंत्री महोदय ने विमानों द्वारा ढोये गये माल की कुल मात्रा बताई है । उन्हें अपने दावे के समर्थन में गत एक वर्ष के मासिक आंकड़े देने चाहिये थे । इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि वापसी पर माल उपलब्ध नहीं है ।

तथ्य यह है कि दोनों ओर का माल उपलब्ध है । हम अपने निर्यात से अधिक आयात करते हैं । वापसी पर माल मिलने में कठिनाई अवश्य है ।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि 350 टन माल अभी ढोया जाना है । इस उत्तर से हमें संतोष नहीं है । यह संभव है कि नष्ट होने वाले माल के लिये जिस भाड़े की पेशकश की गई थी, माल समय पर न ढोने के कारण उसे रद्द करना पड़ा ।

मंत्री महोदय ने तेल महंगा हो जाने का भी उल्लेख किया परन्तु इसके साथ-साथ भाड़े में भी तो वृद्धि की गई है । भाड़ा 3.50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर 5.90 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है जो पुराने भाड़े से 2650 रुपये प्रति टन अधिक है ।

मंत्री महोदय से पूछा गया है कि क्या उन्होंने बाजार का कोई अध्ययन किया है जिससे वह उपलब्ध माल का निर्णय कर सकें। देश में काफी कीमती सामान बनता है जो हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये निर्यात संवर्धन के माध्यम से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई विमान 'चार्टर' करने के लिये उपलब्ध हैं।

इस बात का उल्लेख किया गया है कि एयर इंडिया तथा अन्य एयर लाइनें माल ढोती हैं। तथ्य यह है कि अन्य एयर लाइनें बाहर माल नहीं ले जा रही हैं। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि क्या उन एयर लाइनों में पिछले वर्षों में अधिक माल ढोया है।

श्री राज बहादुर : यदि मैं माननीय सदस्य की बात ठीक-ठीक समझ सका हूं तो उन्होंने टिप्पणी अधिक की है और प्रश्न कम पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पिछले वर्षों के आंकड़े देने चाहिये थे।

मैं माननीय सदस्य का ध्यान वर्ष 1973 के लिये जो आंकड़े मैंने दिये हैं और वर्ष 1974 के लिये जो विचाराधीन आंकड़े हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। क्षमता में 14 प्रतिशत वृद्धि से एयर इंडिया अधिक माल उठा सकेगा। माननीय सदस्य ने यह विचार व्यक्त किया है कि वापसी उड़ानों से माल मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यदि कोई विमान फल सब्जी आदि ले जाये तो वापसी उड़ान में उस विमान से उसी प्रकार का सामान लाने के लिये नहीं मिलता है।

हमारा अनुभव है कि माल की ढुलाई में हानि भी होती है परन्तु हम निर्यात संवर्धन और राष्ट्रीय हित में ऐसा करते हैं।

भाड़े में जो वृद्धि हुई है वह सर्वविदित है।

जहां तक 'चार्टर्ड' विमानों का सम्बन्ध है, एयर इंडिया ने 1 अप्रैल 1974 से अपनी रद्द की हुई सेवाएं पुनः आरंभ कर दी हैं। इसके अतिरिक्त उसने दस 'पैलेटों' वाली माल-वाही सेवा भी आरंभ की है जिससे प्रति सप्ताह यूरोप को 25 टन माल भेजा जा सकता है।

श्री डी० डी० देसाई : हम सभी जानते हैं कि हमारे संयंत्र कभी-कभी पुर्जों की कमी के कारण क्षमता से कम उत्पादन करते हैं अतः यदि वापसी उड़ान से पुर्जे मंगाये जायें तो लाभप्रद होगा।

श्री राज बहादुर : यह बात उस देश पर निर्भर करती है जहां हमारे विमान जाते हैं। यदि 'परशियन गल्फ' के देशों को फल सब्जी भेजे जायें तो वहां से पुर्जे नहीं आ सकते हैं।

श्री मधु दण्डवते : (राजापुर) : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय का सम्बन्ध निर्यात में हो रही गिरावट और उससे होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि से है।

मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कभी-कभी यदि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध दो मंत्रालयों से होता है तो क्या सम्बन्धित मंत्रालयों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे आकर स्पष्टीकरण दें?

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये समय बहुत सीमित होता है। यदि माननीय सदस्य दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दें तो बेहतर होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या नये माल की बुकिंग पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण निर्यात में कमी हुई है और यह कमी ठीक-ठीक कितने प्रतिशत हुई है तथा तदनुसार विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है ?

क्या इन नये प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादों, फलों, जामों, आभूषणों और चमड़े के निर्यात में भी कमी हुई है ?

जब कुछ प्रतिबंध लगाये जाते हैं तो किन-किन वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है ?

मद्रास से विदेशों को कुछ वस्तुओं का निर्यात किया जाना था। मद्रास से उन्हें बम्बई लाया जाना था। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या इस अवस्था में भी मद्रास से बम्बई तक 100 टन माल ढोया जाता है ? क्या यह सही है कि एयर लाइनों द्वारा छोटे पैकटों वाला माल उठाये जाने के कारण सूती कपड़ों के निर्यात को भी सबसे अधिक हानि हो रही है ? यदि यह सही है तो यह स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति कठिन हो जायेगी और भारत के लिये ब्रिटेन का ताजे फलों का बाजार और ब्रिटेन तथा साइप्रस का सब्जियों का बाजार स्थायी रूप से खो देने का खतरा बना हुआ है। क्या वह इस स्थिति को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे ?

जहां तक विमान द्वारा निर्यात का सम्बन्ध है, क्या अकेले बम्बई से निर्यात की साप्ताहिक औसत दर 40,000 किलोग्राम से कम होकर 10,000 किलोग्राम हो गई है ? इस घाटे को पूरा करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जायेगी ?

आमों के निर्यात में भी बहुत कमी हुई है। मुझे पता चला है कि आमों के निर्यात को लगभग 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। गत वर्ष केवल 50 लाख रुपये के आम भेजे गये थे।

क्या यह सच है कि अफगानिस्तान को भेजे जाने वाला 20 लाख रुपये का कृत्रिम रेशम अमृतसर में पड़ा हुआ है ? विदेशी मुद्रा वसूल करने में भारी हानि हो रही है।

श्री राज बहादुर : एयर इंडिया में स्थान की उपलब्धता की ओर हमें ध्यान देना है। माननीय सदस्य ने आम का उल्लेख किया और 10,000 किलोग्राम का आंकड़ा बताया। जो टनों में 60 टन होता है। यह अलाभप्रद है। इस तथ्य के बावजूद कि यह अलाभप्रद है, हम इसका निर्यात कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने मद्रास और कलकत्ता पत्तनों से ढोये जाने के लिये पड़े माल का उल्लेख किया। ये आंकड़े मद्रास में 32 टन और कलकत्ता में 30 टन हैं।

अमृतसर से अफगानिस्तान को भेजे जाने वाले सूती कपड़ों के बारे में वाणिज्य मंत्री जांच करेंगे।

भाड़े की दर अलग-अलग वस्तु को अलग होती है। प्राथमिकता का जहां तक सम्बन्ध है, यह ताजे फलों, सब्जियों, फूलों, ऊनी गालीचों, हस्तशिल्प, चमड़े के सामान आदि को दी जाती है।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी दल के अनुसार 1975 तक 33,000 टन माल ढुलाई के लिए उपलब्ध होगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि जहां तक संभव हो कमी को पूरा किया जाये।

बिहार विधान सभा के सत्रावसान के बारे में

RE PROROGATION OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF BIHAR

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : बिहार में अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का सत्रावसान करने का मामला मैं यहां उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ विधान सभाओं का सत्रावसान होता है और कुछ विधान सभायें स्थगित होती हैं, परन्तु इससे इस सदन का क्या सम्बन्ध है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : वहां एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) **:** There has been an extra ordinary situation. The Assembly has been adjourned *sinedie* without passing the motion of Thanks. We should at least be given a chance to discuss the matter here.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) **:** संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर विचार करने का संसद को अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी जांच कर ली है।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

पाण्डिचेरी के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश के बारे में अध्यक्ष द्वारा की गई बैठक की कार्यवाही का समाचारपत्रों में प्रकाशन

Shri M.C. Daga (Pali) **:** Sir, On 3rd April, 1974, you had given the following ruling regarding Presidential order on Pondicherry :

> "Whatever be the lapses, we must find a way out. After all, Pondicherry is in India. On broader considerations, I will call a meeting of the leaders of Parties in which the Finance Minister and Law Minister may participate".

The meeting was convened on the 5th April. But in the morning of 6th April, all the newspapers have reported "No special session on Pondy Bill" and "Plea for early Rajya Sabha session rejected" etc. etc.

Under the rules, the proceedings of a Committee shall be treated as confidential and these should not be communicated to the Press, before the report has been presented to the House. The House has not been informed about what happened, but it has appeared in the Press.

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : यह एक अनौपचारिक मीटिंग थी।

श्री मूलचन्द डागा : यह अनौपचारिक नहीं थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमन्ड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री पीलू मोदी : (गोधरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे उनकी पूरी बात तो सुनने दो ।

Shri M.C. Daga : The publication of proceedings in the papers is the breach of Privilege of the House. I request that this should be enquired into.

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य दिया वह गलत है । पांच अप्रैल को, जो मीटिंग आयोजित की गई थी, वह अनौपचारिक थी । उस मीटिंग में हम यह चाहते थे कि सरकार पांडिचेरी के विनियोग विधेयक के बारे में राज्य सभा की मंजूरी ले ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था का प्रश्न यही है कि वह सदन में गलत वक्तव्य दे रहे हैं (**व्यवधान**) समाचारपत्रों ने यह समाचार प्रकाशित करके एक सेबा कार्य ही किया है ।

श्री पीलू मोदी : माननीय सदस्य ने अपना विशेषाधिकार का प्रश्न किसके खिलाफ उठाया है? उस दिन जो मीटिंग आयोजित की गई थी, वह संविधान के साथ धोखाधड़ी करने का एक षड़यन्त्र था ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, to call the meeting, a conspiracy to defraud the constitution is a reflection on the Members. This should not form part of the proceedings.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री डागा ने विशेषाधिकार का मामला उठाया है । यह विशेषाधिकार का मामला या तो अखबारों के खिलाफ होना चाहिए अथवा उन सदस्यों के खिलाफ जिन्होंने उस मीटिंग में भाग लिया । कार्यवाही पर ऊपर "प्रकाशनार्थ नहीं" लिखा रहता है, परन्तु कार्यवाही रोजाना समाचारपत्रों में प्रकाशित होती है । इसलिए डागा साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार का विशेषाधिकार का प्रश्न वह न उठायें, क्योंकि इसमें समाचारपत्रों की स्वाधीनता का प्रश्न भी आ जाता है । समाचारपत्रों की स्वाधीनता को बनाये रखना चाहिए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The meeting convened by you could not be termed as Parliamentary Committee. The composition and number of members a committee are announced in the House. It was also mentioned in the invitation that either you should attend the meeting or send your representative to the meeting.

Mr. Speaker : Similar practice is adopted with regard to Business Advisory committee.

Shri Atal Bihari Vajpayee : If this meeting is given the status of Business Advisory Committee, then there can not be any privilege issue. The members were called through invitation. There can not be any privilege issue against the newspapers. After all, the members might have told them. We can now unitedly decide that the decisions of such meetings should be disclosed first in the House before these are published in the papers.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, you should give your ruling that the proceedings of such committees should not be published in the papers without your permission or the approval of the

House. How could the privilege be violated, when the proceedings of unofficial Committees are not the subject-matter of privilege. If any member has disclosed the proceedings, I am ready to take the full responsibility.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : अनौपचारिक बैठक की कार्यवाही के बारे में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न निहित नहीं है। अगर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, तो वह सरकार के खिलाफ बनता है, जिसकी राजनैतिक कार्य समिति ने इस मामले को व्यापक प्रकार दिया। आपको इस बारे में स्वेच्छा से सरकार के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहिए ।

Mr. Speaker : If this meeting is considered to be a Committee, then the question of privilege would be applicable to both—Government as well as Members.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह कहा गया है कि मैंने अध्यादेश जारी करने का समर्थन किया, जबकि अन्य सदस्य राज्य सभा का फिर से अधिवेशन बुलाने के पक्ष में थे। मेरा विचार यह था कि गैर-कानूनी अधिनियम को विधि-मान्य बनाने के लिए तत्काल विधेयक पेश होना चाहिए। इसलिए मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले पर इसलिए चर्चा किये जाने की अनुमति दी थी, जिससे मैं आपके विचारों से अवगत हो सकूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्री डागा को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि विशेषाधिकार यंत्र किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा हुआ है। आपने मीटिंग आयोजित करने की बात सदन में कही थी, इसलिए पहले सदन को यह जानने का अधिकार है कि उस मीटिंग में क्या हुआ ।

सदस्यों के लिए एक इस आशय की आचरण संहिता बनाई जानी चाहिए कि वे समिति की बैठकों की जानकारी को जाहिर न करें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : श्री डागा मूल प्रश्न को स्पष्ट रूप से सामने नहीं ला सके हैं। मूल प्रश्न यह है कि क्या यह सदन का विशेषाधिकार नहीं है कि सदन समिति के निर्णयों के समाचारपत्रों में प्रकाशित होने से पहले उनसे अवगत हो। अगर अनौपचारिक मीटिंग भी आयोजित की जाय, तो भी उसके निर्णयों के बारे में जानने का सदन का अधिकार है। अगर निर्णय पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं, तो इस बारे में भी निर्णय करना होगा कि जानकारी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मैं माननीय सदस्यों और विशेषकर विरोधी पार्टी के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर राजनीति को परे रखकर विचार करें। हमें इस बारे में आचरण संहिता बनानी चाहिए कि क्या इस प्रकार की कार्यवाही को समाचारपत्रों में जाहिर करना चाहिए या नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आपने सभा में घोषणा की थी कि इस गम्भीर समस्या का समाधान निकालने के लिए सदस्यों की मीटिंग आयोजित की जायेगी और उस निर्णय को सभी ने स्वीकार कर लिया था। सारे देश को इस बात की जानकारी थी। अब उस मीटिंग के परिणामों की जानकारी से सारे देश को वंचित रखना अनुचित है और इससे लोगों में एक उत्तेजना की भावना

फैल सकती है। समाचारपत्रों का तो यह कर्त्तव्य ही है कि वे हर स्रोत से समाचारों का पता करके उन्हें प्रकाशित करें। अध्यक्ष महोदय को स्वयं सदन को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि मीटिंग में क्या हुआ।

श्री पीलू मोदी : ठीक यही बात मैं कहना चाहता था। अगर सदन के स्थगित हो जाने के कारण सदन को सूचित करना सम्भव नहीं था, तो समिति की सहमति से अध्यक्ष महोदय स्वयं विज्ञप्ति जारी कर सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों के विचारों के लिए उनका आभारी हूं। सामान्य प्रक्रिया यह है कि दो प्रकार की समितियां होती हैं--निर्वाचित और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित। इनकी कार्यवाहियों के बारे में नियम हैं कि इनकी कार्यवाही को समिति द्वारा सारांश दिये बिना और समिति की अनुमति के बिना समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। तदर्थ आधार पर आयोजित की गई समितियों की कार्यवाही पर, मेरे विचार में औचित्य का नियम लागू होता है। कोई छोटी सी टिप्पणी तो की जा सकती है, परन्तु इस बार तो कार्यवाही शब्दशः समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है। अगर मुझे पता होता कि इस प्रकार से कार्यवाही समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी, तो मैं स्वयं अगले दिन विचार विमर्श का सारांश या निर्णय की मुख्य बातों से सदन को अवगत कर देता।

अब हम दुबारा मीटिंग करके इस बारे में विचार करेंगे। पहले भी विरोधी पक्ष के नेताओं की मीटिंगें हुई हैं, परन्तु कभी भी समाचारपत्रों में उसकी कार्यवाही प्रकाशित नहीं हुई। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में औचित्य के मामले पर अधिक संयम और जिम्मेदारी से काम किया जायगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What happened in the meeting?

Mr. Speaker : What has been reported in the Press.

श्री पीलू मोदी : उस मीटिंग में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : हमने सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया। सदस्यों की अलग-अलग राय थी। यह निर्णय हुआ कि वित्त मन्त्री सभा पटल पर बजट और वित्तीय विवरण पत्र आदि रखें ....।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री मधु लिमये : (बांका) : आदेश गैर कानूनी था।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री से यह पता चला कि छपाई आदि के बाद कागजात 11 तारीख तक तैयार होंगे और 15 अथवा 16 तारीख तक विनियोग विधेयक पर बहस होगी। विरोधी पार्टियों ने यह कहा कि राज्य सभा की तत्काल मीटिंग बुलाई जानी चाहिए।

श्री मधु लिमये : अवैधता का सुधार कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार का दृष्टिकोण यह है कि वह कानूनी है।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय की क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा का अधिवेशन आयोजित करने के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, परन्तु सरकार का कहना है कि वह 22 अप्रैल से पहले राज्य सभा का अधिवेशन बुलाने में असमर्थ है।

श्री पीलू मोदी : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं सरकार से इसका पता करें।

माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से इसे मुझे दिया। मैं समझा था कि यह बहुत गोपनीय मामला होगा परन्तु मुझे पता चला है कि यह मामला समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह मामला न्यायालय में गया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में पहले मेरी सम्मति ली जानी चाहिये थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है तो क्या आप ऐसी बात को कानूनी रूप देने के लिये कार्यवाही कर सकते हैं जिस पर न्यायालय को निर्णय देना है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां कानूनी रूप देने के लिये नहीं बैठा हुआ हूं।

जो मामला आपको माफिक आता है वह चाहे न्यायालय में निर्णय के लिये पड़ा हो आप उसे यहां चर्चा के लिये उठा देते हैं।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि . . .

अध्यक्ष महोदय : सभा में व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए, मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर अपनी सम्मति नहीं दे रहा हूं।

बिहार विधान सभा के सत्रावसान के बारे में—जारी

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Now the matter relating to Bihar should be discussed.

श्री ज्योतिर्मय बसु : राज्यपाल द्वारा विधान सभा का सत्रावसान करना और विधान-सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करना अनुचित है। सभा ने धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले से संसद का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कोई ऐसा विशेषाधिकार नहीं है जिसका इस सभा में उल्लेख किया जाए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : वर्ष 1969 में जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में दो गद्यांश छोड़े दिये थे तब वह मामला इस सभा में उठाया गया था और उस पर पूर्ण वाद-विवाद हुआ था। बिहार में सरकार ने विधान सभा में जानबूझ कर एक प्रस्ताव रखा कि सभा स्थगित की जाये। बिना मत विभाजन के सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम इस मामले पर विचार करें और इस पर कोई निर्णय करें। इस मामले पर चर्चा के लिये समय दिया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि हमने यह मामला यहां नहीं उठाया तो हम अपने कर्त्तव्य से च्युत होंगे क्योंकि विधान सभा राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं कर सकी।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Please see the precedents with regard to this matter and allow us to discuss the matter tomorrow in one way or the other.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Without adopting the motion of thanks, the Bihar Government adjourned the Assembly *sine die*. It creates a doubt that the Government had lost confidence in the House. Therefore, a discussion on this matter may be allowed.

श्री विक्रम महाराज (कांगड़ा) : संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत यह नहीं कहा गया है कि धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना होगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण को विधान मंडल द्वारा पारित किया जाना आवश्यक नहीं है।

राज्यपाल ने अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग किया है।

अतः इस मामले पर चर्चा आरंभ करना गलत प्रक्रिया होगी।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : राज्यपाल और अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ किया है वह संविधान के अनुरूप नहीं है। अतः हम इस मामले पर इस सभा में चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : संगत प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष, लोक-सभा इस बात का निर्णय कर सकता है कि उन्होंने अपने पद का अनुचित प्रयोग किया, अतः इस मामले पर लोक-सभा में चर्चा की जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि राज्यपाल ने विधान सभा का सत्रावसान किया। प्रत्येक बात राज्यपाल के नाम से होनी है। हमारा इससे क्या सम्बन्ध है—यह बात मैं नहीं समझ रहा हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रक्रिया है। संवैधानिक संकट के बारे में रिपोर्ट आती है। उसे सभा के समक्ष रखा जाता है। हम इस मामले को इस ढंग से नहीं ले सकते हैं।

मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं।

सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1970-71 के वार्षिक तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, आदि

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वर्ष 1971 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति तथा वर्ष 1970-71 के लेखा-परीक्षित लेखे;

(2) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति ;

(3) उपर्युक्त मद (1) और (2) में उल्लिखित दस्तावेज़ों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6661/74]

सीमा-सुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 324 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-6662/74]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 323 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6663/74]

बम्बई किराया होटल, तथा आवास गृह दर नियंत्रण (गुजरात संशोधन) अधिनियम 1974

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बम्बई किराया, होटल तथा आवास गृह दर नियंत्रण (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 5) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6664/74]

भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1974

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 259 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-6665/74]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

106वां और 107वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) रेल मंत्रालय के सम्बन्ध में समिति के 79वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 106वें प्रतिवेदन ।

(2) सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में समिति के 84वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 107 वां प्रतिवेदन ।

लक्खीसराय रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा संगीनों से कथित हमले के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* ALLEGED BAYONET CHARGE BY RPF PERSONNEL AT LAKHISARAI RAILWAY STATION

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं यह बयान 19-3-74 को लक्खीसराय रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा किये गये कथित अत्याचारों के सम्बन्ध में 29-3-74 को लोक सभा में दिये गये मेरे बयान के सन्दर्भ में श्री मधु लिमये द्वारा दिये गये सदन के विशेषाधिकार भंग करने तथा अवज्ञा करने से सम्बन्धित नोटिस तथा सदन में 9 अप्रैल, 74 को हुई बहस के उत्तर में दे रहा हूँ । उस बयान में मैंने केवल यह कहा था कि 'भीड़ को तितर-बितर करने के काम पर लगायी गयी पुलिस या रेलवे सुरक्षा दल को संगीनों के उपयोग का कोई आदेश नहीं दिया गया था' । इस सम्बन्ध में, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 'संगीनों का उपयोग करना' एक ऐसी निश्चित कार्यवाही है जिस में उपयोग करने वाले दल की एक विशेष प्रकार से रचना की जाती है तथा इसका उपयोग समुचित आदेश और नियन्त्रण के अधीन किया जाता है । मेरा तात्पर्य सदन को यह बताना था कि मौके पर उपस्थित पुलिस या रेलवे सुरक्षा दल के किसी अधिकारी ने संगीनों के उपयोग का कोई आदेश नहीं दिया था ।

मैंने अपने बयान में यह तथ्य स्वीकार किया था कि गिरफ्तार व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों के शरीर में घोंपे जाने के घाव थे । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जानबूझकर गलत बयान देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने का मेरा कोई इरादा नहीं था । माननीय सदस्य महोदय ने स्वयं डा० एन० जे० मोदी द्वारा लिखित पुस्तक 'मेडिकल जुरिस्प्रुडेंस' से दिये गये उद्धरण में यह उल्लेख किया है कि छेदनुमा अथवा सुराख वाले घाव कई प्रकार के हथियारों से लग सकते हैं जैसे संगीन, भाला, छुरा, गेंती, तीर, आदि । वास्तव में किस हथियार से ये चोटें लगीं इसका पता पुलिस की जांच-पड़ताल के बाद ही लग सकता है जो कि जारी है ।

ये तथ्य, उक्त बयान देते समय, रेल प्रशासन को उपलब्ध सूचना तथा स्वयं बिहार के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे ।

मैंने सप्लाई निरीक्षक को निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया था, क्योंकि वह रेलवे कर्मचारी नहीं हैं और रेलवे का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। रेल प्रशासन के पास यह भी सूचना नहीं थी कि उक्त निरीक्षक ने इस घटना में क्या पार्ट अदा किया अथवा रेलवे सुरक्षा दल की सांठ गांठ से लखीसराय का मालगोदाम जलाने में उसका हाथ था।

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** A deliberate attempt has been made to hush up the matter. I am giving the meaning of "bayonet charge" as is given in the "Oxford Dictionary" on page 200 :

Bayonet charge, 'impetuous attempt', and on page 608 the meaning of "Impetuous" is given as—'moving violently or rapidly', 'acting with rash or sudden energy'. When the investi gation is going on, how can the hon. Minister rule out that the injures were not caused by bayonet. Do they mean that the police used spear? These things should not be excluded.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I have stated the factual position and nothing can be said at the stage because the police is investigating the matter.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले की जांच हो रही है और मंत्री महोदय ने अपनी कोई राय नहीं दी है। इस मामले में मंत्री महोदय कैसे आते हैं ? मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता।

विदेश मंत्री 6 बजे बातचीत के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या वह केवल सभा-पटल पर ही रखेंगे या कुछ कहेंगे भी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यदि आप चाहेंगे तो मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम वक्तव्य चाहते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*]

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

कतिपय औषधियों की कमी

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : अकरिबले कैमिकल वर्क्स लिमिटेड, बड़ौदा ने दो औषधियों अर्थात्, शार्कोफेरोल और ग्लायकोडिन टर्प वासाका का स्टाक अपने गोदामों में इस इरादे से कर लिया है कि वह सरकार पर उक्त औषधियों का मूल्य बढ़ाने के लिये दबाव डाले और वह इन औषधियों को बाजार में नहीं आने दे रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह इस फर्म के कार्यकरण की जांच करें और कल तक एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आशा है कि मंत्री महोदय माननीय सदस्या की बात नोट कर लेंगे।

अनुदानों की मांगें 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : बोलने वाले सदस्यों की संख्या काफी है अतः दो घण्टे का समय बढा दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri K.C. Pandey (Khalilabad) : Even after 27 years of independence, no change has been made in the policy regarding education. A number of committees and commissions had been set up but the recommendations of those commissions have not been implemented and as a result of that discontentment among students and teachers is steadily increasing. If the country is to be made strong, radical changes in its education system are to be made and education should be job-oriented. Drastic changes are required to be made in the present education policy. The responsibility in respect of rising unemployment entirely vests with the Ministry of Education. One way of dealing with this problem is to make eduation job-oriented. Also, it should be modified so as to make it an effective instrument of character-building.

This Ministry is solely responsible for the decline in character after independece. So long as the education policy of the country is not totally changed, the discontentment among the students would continue.

It is necessary in the interest of national integration that the pattern of higher education be made uniform through out the country. The educatoinal standard of the entire university education can be raised only by take over by the centre.

There is a great disparity in regard to the allocation of grants between rural and urban areas. Schools in rural areas should be given grants at par with those of urban areas so that their standard could be raised.

The Education Ministry has associated itself with the celebrations of birth centenaries of several great men, but in connection with the celebration of fourth centenary of 'Ramacharita Manasa', the Education Ministry has remained indifferent. The Education Ministry should give attention to it, since, Mahatma Tulsi occupies an unparalleled position in Hindi literature.

A committee was constituted to find out reasons that led to discontentment among the students. I would like to know as to what heppend to that.

It is the duty of the Education Ministry to save the stuaents from the clutches of politicians who use them to achieve their own interests.

With these words, I support the demands of the Ministry.

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun) : I rise to support the demands for grants of the Ministry. This Ministry has an important role to play and, it should be given more funds.

It is regrettable that the goal of imparting that primary education has not been reached in our country even after 27 years of independence.

There are special schools to cater to the needs of the rich who can afford to spend more on the education of their children, while the common poor people have to send their children to ordinary schools where good education is not provided. All public schools that have created a monopoly over higher posts should be closed.

We are told every time that there would be a change in the policy of Education, but who would bring about this change and when?

The report of the Ministry indicates that there are numerous organizations. If all of them act sincerely, there may not be any necessity of criticism of the working of the Ministry. The main cause of the discontentment among the students is the defective Educational policy which needs to be drastically changed.

There have been gross irregularities in I.I.T., Delhi. The P.A.C. has also passed some strictures against it" working. What action the Government has taken on its report? I had written to the Education Minister on 26-5-72, 6-7-72 and 7-3-73 in this regard but I did not recieve any reply from him.

The Director of the Institute has himself admitted that all sorts of mal-practices are prevalent there.

The hon. Minister may please look into the matter personally.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में प्राइमरी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है, किन्तु 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिये कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है । इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिये प्राइमरी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

हमने क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम माना है । हमें उन भाषाओं के विकास की ओर उचित ध्यान देना चाहिये । अन्यथा, राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति नहीं हो सकेगी । हिन्दी को समुचित स्थान देने के लिये क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना आवश्यक है ।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने अपने एक प्रस्ताव में सरकार को सुझाव दिया है कि दिल्ली में एक पाण्डुलिपि पुस्तकालय स्थापित किया जाये । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान बांटने वाला निकाय बना दिया गया है । इस आयोग ने कोई सराहनीय काम नहीं किया है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चत करें कि आयोग परीक्षा प्रणाली में उचित सुधार करे अभी तक आयोग ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके ।

अनुदानों के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों के कालेजों की ओर वैसे ध्यान नहीं दिया जाता जैसे नगरीय क्षेत्रों के कालेजों की ओर दिया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों के कालेजों होस्टलों के निर्माण के लिये 40-50 हज़ार रुपये दिये जाते हैं जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2-3 लाख रुपये दिये जाते हैं ।

जहां तक सांस्कृतिक कार्यों का सम्बन्ध है, साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में कार्य किया है । परन्तु इस संस्था के लिये सात लाख रुपये नियत किये गये हैं । इस अकादमी के लिये अधिक राशि दी जानी चाहिए ।

संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी को साहित्य अकादमी की अपेक्षा अधिक राशि दी जा रही है । परन्तु यह दो अकादमियां अभी देहाती क्षेत्रों में कुछ नहीं कर रही हैं । उन्हें अपने ग्रामीण भारत का ज्ञान होना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सांस्कृतिक कार्य करने चाहिएं ।

सरकार ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों के साथ प्रतिनिधि भेजने के समझौते किये हैं, परन्तु प्रतिनिधि मण्डलों के चयन का तरीका संतोषजनक नहीं है। इन के चयन के मामले में भारत के सभी भागों को स्थान दिया जाना चाहिए।

जहां तक स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देने की बात है, इसमें देश के सभी भागों का ध्यान रखा जाना चाहिए। देश के पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्राचीन स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करके अनावश्यक निर्माण को रोका जाये और स्मारकों के सौंदर्य को बनाये रखा जाये।

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पुरालेख-शास्त्र मुद्रा-शास्त्र और प्रतिमा-विज्ञान के प्रशिक्षण को व्यवस्था की जानी चाहिए।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samstipur) : I support the demand Nos. 24, 25 and 26 of the Ministry of Education and Social Welfare.

It is encouraging that allocation of funds for nutritions meals for the children has been increased from one and half crore to 450 crores of rupees. But the fact, however, is that the percentage of expenditure on children in the total plan outlay has been declining. Andhra Pradesh is lucky in this respect, as its per capita expenditure is 177·4. The per capita expenditure on Education in Bihar is the lowest, i.e. 10·3.

Several members have said that the objectives of education be changed. The Central Schools organisation has not kept before itself any worthwhile goal in this field. If the Government itself does not find any goal, does not vocationalize the education and does not make it job-oriented, then who will improve our lot?

Measures should be taken to preserve and develop our ancient language Sanskrit. Steps should also be taken for the propagation of our official language Hindi. It appears that the Government is apathetic to the expansion of Hindi, which is the language of the masses.

There is a great discontentment and unrest in the field of education. Even in the field of sports and physical culture, the standard is falling. Adequate attention should be paid towards them. Equal eduational facilities should be provided to the children of the rich and the poor.

श्री एन० ई० होरो (खुंटी) : शिक्षा विभाग की उपेक्षा की जाती है। अन्यथा यह किसी मंत्रि-मंडलीय स्तर के मंत्री के अधीन होता। शिक्षा केन्द्रीय विषय होना चाहिए। समूची शिक्षा प्रणाली को नया रूप दिया जाये और व्यवसायिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा का भाग बनाया जाये। कई सदस्यों ने यह मांग की है कि शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाया जाये। इन बातों पर विचार किया जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राशियां देकर बहुत सहायता कर रहा है परन्तु मैं समझता हूं कि इससे कुछ विशेष विश्वविद्यालय ही लाभ उठा सके हैं। पूर्वी भारत के विश्वविद्यालयों को आयोग से अभी तक पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों वाले क्षेत्रों में कालेजों को धन के अभाव का समाना करना पड़ रहा है। रांची विश्वविद्यालय को केन्द्री विश्वविद्यालय में बदलने की मांग कुछ वर्ष पूर्व की गई थी। यदि ऐसा सम्भव हो, तो यह केन्द्री विश्वविद्यालय छोटा नागपुर में होना चाहिए।

नेशनल बुक ट्रस्ट बहुत सी भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करता है। परन्तु आदिवासियों की भाषा को प्रोत्साहन देने लिये केवल मौखिक सहानभूति व्यक्त की गई है। आदिवासियों की भाषा में तुरन्त साहित्य सृजन करना चाहिए। व्यस्क शिक्षा की बहुत अधिक उपेक्षा की गई है, इसका समूचे देश में विस्तार किया जाना चाहिए। सभी गांवों में इसका प्रचार किया जाना चाहिए।

शिक्षा विभाग को खेलों के विकास के लिये आयोग या समितियां बनानी चाहिएं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न योजनाओं के अधीन दी जाने वाली सहायता की राशि बढ़ायी जानी चाहिए क्योंकि जीवन निर्वाह-व्यय में वृद्धि हो गई है।

मानसिक रोगियों एवं पंगु व्यक्तियों के प्रति न्याय करने की दिशा में बहुत कम कार्य किया गया है। सरकार को देखना चाहिए कि राज्य सरकारें और स्वयंसेवी एजेंसियों लाखों पीड़ित लोगों की सहायतार्थ कार्यवाही करती है।

The Dy. Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : I appreciate that the members have expressed satisfaction over the working of the Central School Organization. It has been stated that there is no reason to restrict their activities to urban areas only. The fact is that central school organization was estalbished with a limited objective of imparting education to the such Government employees and army personnel who are frequently transferred from place to place. At present about 180 such schools are functioning in the country. In view of our limited resources, I cannot promise opening of more Central Schools.

Further it is not correct to say that the cost ratio in these schools is very higher. This scheme is mainly for the convenience of army personnel and the Government employees and such schools have been opened at hard stations in different areas. There is also a scheme to open comprehensive schools and efforts would be made to implement it with the cooperation of the Finance Ministry.

It has been said that there are no regulations for admission to Central Schools and only children of high officials get admission there. I am glad to inform that admission to such schools is made throughout the country on the basis of tests. Even if a single case of discrimination in the matter of admission is brought to our notice, serious action would be taken.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : The children of the Government officials are admitted in these schools, but the local brillient students are not admitted. Would the Government arrange for their admission.

Shri D. P. Yadav : I have already stated that these schools are primarily meant for Government officials and the left out seats are given on the basis of merits.

It has been said that there was a great unrest in the student community. In order to tackle the problems of students, we prepared to open more such schools.

The members have seriously expressed their views on the student problems. We do every thing in our means to tackle the basic issues of the students and to provide all amenities to them. But the students should not be misled for selfish ends. In order to meet their basic needs we also propose to start Nehru Yuvak Kendras in each district of the country.

Their main objective is to devise ways and means to utilise the services of school or college drop-outs, the potential youth force for nation building purposes and to draw up an integrated developmental programme for that purpose. Further, it is proposed to start a National Volunteers service scheme.

About 80 lakh of young people in our country were today suffering from eye-disease and other kinds of diseases. It is proposed that our Ministry in co-operation with Health Ministry would bring them under a programme which is known as "Youth against Disease programme." A solid programme has to be chalked out for eradicating preventable diseases among our youths.

As regards propagation of Hindi, we have so far appointed 22000 Hindi teachers to teach Hindi in Non Hindi speaking States and it is proposed to appoint additional 11000 teachers more. There is a massive programme to be undertaken for the development of Hindi.

Then for the development of Sanskrit, the allocation of funds have now been raised to Rs. 5 crores and 30 lakhs during the last Five Year Plan. It is also proposed to start a central Sanskrit Reference Library to collect ancient manuscripts and to conduct research into them.

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए
Shri Nawal Kishore Sinha in the Chair]

Then measures were also being taken for the development of Urdu, Arabic and other Indian regional languages. An allocation of Rs. 10 crores has been made for this purpose.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : I am grateful to the hon. Minister for his assurance but I must mention the case of Mithila University which has till now being denied grants by U.G.C. I therefore want that he should consider this long-standing demand favourably.

Prof. S. Nurul Hasan : A reply has been given many a time.

Shri Jagannath Mishra : This mean no. I, therefore, appeal to him to consider it seriously and favourably.

Shri D.P. Yadav : Shri Halder and Shri Sudheswar Pandey have alleged that Adult literacy Scheme are a total failure. But it is not a fact . Though we have not achieved desired success in it. It may be noted that education is a state subject but at the same time I want to assure the House that no such Scheme shall be allowed to suffer for want of funds.

It has also been alleged that we have provided more money to Bombay Functional Literacy Scheme. But I may assure you that we shall not allow any voluntary organisation in this field to suffer for want of fund. Your cooperation is also soliciated in making adult education programme a success.

Regarding Functional Literacy Programme. We have covered 106 districts and some more would be covered soon. It cannot make any headway unless you all extend your cooperation through coordinating work being done by Nehru Yuval Kendra, NCC and such other voluntary organisations.

Mr. Chairman : Whether his attention has been drawn to the suggestion regarding extending help to unemployed Youth by opening Audit Literacy Centres and helping them through Panchayats? If so, what is his reaction thereto?

Shri D.P. Yadav : You have yourself been taking personal interest in this matter. I want assure here that we would utilise the funds available with Cooperative Banks also and all necessary help would be extended in Practical Farmers' Training Programme and Youth Leadership Training Programme.

Regarding Shri Bibhuti Mishra's querry, I want to state that it is no longer possible to import training to all the teachers in N.C.E.R.T. and its four regional colleges. Only their leaders can receive training there. The teacher's workshop of Primary School Teachers Associations of the entire country has had a very salutary effect on their thinking and they are now engaged in preparing curricula on the basis of actual study. UNICEF is also extending help in training of teachers.

At present we propose to cover 100 training colleges and 400 such schools thereunder. We having started imparting training to representative teachers under NCERT but they will have to take reflex action in States on return.

Shri Dalip Singh (Outer Delhi) : I support the Demands of Education Ministry. No doubt, Education facilities have been extended but I regret to say that in many schools of Delhi there are no mathematics and science teachers for a long time. Moreover, two systems of Education viz, Public Schools for aristocratic classes and Government Schools for the masses should not be there. You cannot being socialism like this, How can you expect students of such Schools to compete in IAS, IPS and NDA Examination etc.?

It is gratifying to note that as many as 180 Central Schools are there to cater to the children of Central Government Employees where service are tranferred from one place to another. But education facilities in rural areas are very unsatisfactory.

I had urged last time also, that education system all over the country should be uniform so that every citizen may get equal opportunity in competition and securing jobs.

Delhi School Education Act should be effectively implemented and all injustice and victimisation of teachers should be ended. Arrangement should also be made to appoint Senior P.T.I.S. in Government Schools if we want our youth to take interest in sports and in some cased such vacancies are as much as 1-2 years old.

The hon. Minister should pay personal attention towards upkeep and maintenance of various ancient historical monuments, especially in the capital.

In my village, Shahpur Jat, there used to be only a primary school when I was a boy. Even now, that is so. There a H.S. School needs to be opened in the village, as the existing one in Hauz Khas is also being shifted from there. With these words I support the Demands of the Ministry.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : शिक्षा मंत्रालय का प्रतिवेदन शिक्षा के स्तर और इस पर किए गए ध्यान की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि किसी लोकतंत्र की प्रगति का यही मानदण्ड है। यद्यपि इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है, तथापि आरम्भ में ही ठीक वरीयता न मिलने से इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। इसका दूसरा कारण शिक्षा मंत्रालय के पास धन का अभाव भी है। पांचवीं योजना में प्रस्तावित धन में तीन बार कटौती की जा चुकी है और लगता है आगे और भी कमी कर दी जाएगी।

प्रतिवेदन के आरंभिक अध्याय में गैर-परम्परागत उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय जनता विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव है।

अध्यापकों को समाज में आदर का स्थान देने व उन्हें राहत देने की बातें तो ठीक हैं परन्तु उसके साथ ही विचार व्यक्त करने सम्बन्धी स्वतन्त्रता भी होनी चाहिए। कई विख्यात अध्यापक विदेश जाने में असमर्थ रहते हैं। इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश के विद्वानों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होने की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहियें।

प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पांचवीं योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये 210 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। शिक्षा के चहुंमुखी विकास के लिये यह राशि पर्याप्त नहीं है। और फिर उस राशि में से अधिकांश राशि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर व्यय की जाती है। इस प्रकार का वितरण उचित नहीं है। किन्हीं विश्वविद्यालयों पर अधिक व्यय किया जा सकता है। परन्तु यह अधिक व्यय अन्य विश्वविद्यालयों की उपेक्षा करके नहीं होना चाहिये।

इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज़, शिमला का कार्यकरण ठीक नहीं है। इसके निदेशक एवं कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें हैं। यह बताया जाये कि क्या यह संस्था अपेक्षित कार्य कर रही है।

किसी भी विकासशील लोकतन्त्र में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होता है परन्तु हमारे देश में शिक्षा की दशा आज बहुत चिंतनीय है। शिक्षा संस्थाएं बंजर हो रही हैं। अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में भविष्य के प्रति कोई उत्साह नहीं है। विद्यार्थियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण व शिक्षा नहीं दी जा रही जिसके परिणामस्वरूप वे जीवन-संघर्ष में उतर सकें। इसको सुधारने के लिये अधिक धन की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री को प्रधान मंत्री एवं अपने अन्य सहयोगियों पर जोर डालना चाहिये कि शिक्षा मंत्री को मंत्रीमंडलीय स्तर दिया जाये और शिक्षा के लिये अधिक धन राशि का उपबन्ध किया जाये।

पिछले दिनों विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमान घोषित किए गए परन्तु उस में दिल्ली विश्वविद्यालय के चयनग्रेड के 700 अध्यापकों के वेतनमानों का कोई उल्लेख नहीं है। केवल वेतन मान सुधारणा ही काफी नहीं है, सेवा सुरक्षा का भी महत्व है। विशेषरूप से गैर-सरकारी प्रबंध के अन्तर्गत कालेजों के अध्यापकों को सेवा सुरक्षा बिल्कुल प्राप्त नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

शारीरिक शिक्षा निदेशकों और ग्रंथपालों की स्थिति की ओर भी ध्यान देना चाहिये। वे भी अन्य अध्यापकों के समान शिक्षा का एक अंग हैं। उनके बिना विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा का विकास संभव नहीं है।

छात्रों के असन्तोष की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। आज देश में 101 विश्वविद्यालय हैं और 4158 कालेज हैं। जबकि 1960 में 45 विश्वविद्यालय एवं 1542 कालेज थे इसी गति से छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यदि उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये विशेष प्रयास न किये गये तो वे अवश्य ही गलत पथ पर चलेंगे।

गुजरात में अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों में गड़बड़ हुई। इस सब के पीछे उनकी पीने के पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, स्नानागारों, अध्यापकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं व खेल के मैदानों की कमी आदि सम्बन्धी शिकायतें थीं, सरकार ने इन सब शिकायतों पर विचार करने के लिए अनेक समितियां गठित की हैं। परन्तु इसके साथ-साथ अध्यापकों एवं छात्रों के बीच नियमित रूप से बातचीत होनी चाहिये। जिससे कि छात्र समझें कि उन्हें भी शिक्षा से कुछ प्राप्त करना है। यदि हमें शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो इसके लिये हमें अधिक से अधिक शक्ति व धन लगाना पड़ेगा। तभी छात्र आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी एवं सुसंस्कृत बन सकेंगे।

श्री ए० एस० कस्तुरे (खामगांव) : आज देश में 87 प्रतिशत छात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार 13 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती। ये बच्चे अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के हैं। ये देश के भीतरी भागों में रहते हैं। इन्हें देश के अन्य भागों के लोगों के स्तर पर लाने के लिये विशेष उपाय दिये जाने चाहियें। इस दृष्टि से सरकार को अनुसूचित जातियों व जन जातियों के विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन देकर शिक्षा के प्रति आकर्षित करना चाहिये इससे इन जातियों के बच्चे भी राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भाग ले सकेंगे। आर्थिक विकास / सामाजिक ढांचे के आधुनिकीकरण व लोकतन्त्रात्मक समस्याओं के उचित कार्यकरण की दृष्टि से साक्षरता का

प्रसार अवश्यक है और इसका केवल मात्र यही उपाय है। सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में भी यह पहला कदम है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिये 15—25 वर्ष की आयु के युवकों को पांचवीं योजना में औपचारिक शिक्षा देने के प्रस्ताव बहुत स्वागत योग्य हैं। बहुत से बच्चे आर्थिक कारणों से पढ़ाई बन्द कर देते हैं। आज की प्रति व्यक्ति आय एवं कृषि के क्षेत्र में श्रमिकों की आवश्यकता की दृष्टि से इस समस्या को हल करना संभव नहीं है। परन्तु इसे हल करने के लिये प्रौढ़ कक्षाएं चलाई जानी चाहियें।

ग्रामीण क्षेत्रों से माध्यमिक स्तर के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने की एक योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभा के विकास के समान अवसर प्रदान करना है। 1973-74 में प्रत्येक विकास खण्ड के पीछे 2 छात्रवृत्तियाँ दी गईं और 1974-75 में भी 2 छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है। यह बहुत ही अपर्याप्त है। अतः इसे कम से कम 5 तक बढ़ाया जाये और इनमें से कम से कम एक छात्र-वृत्ति अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के छात्र के लिये होनी चाहिए।

विदेशों में अध्ययन के लिये 1971-72 में एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना लागू की गई। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 50 प्रतिभाशाली स्नातकोत्तर छात्रों को छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। इनमें से कुछ छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को भी दी जानी चाहियें।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि बहुत पहले निर्धारित की गई थी। जीवन निर्वाह सूचकांक में हुई वृद्धि को देखते हुए इस राशि को बढ़ाया जाये। इसकी इस कारण और भी आवश्यकता है कि यह योजना अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों के लिये है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विषयक संसदीय समिति ने भी तथा विधिक छात्र संगठनों एवं संस्थाओं ने इसे बढ़ाने की मांग की है, परन्तु इसकी उपेक्षा की जा रही है।

विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिये श्री के० टी० चण्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु उसकी सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई हैं। इन संस्थानों के छात्रों की अपनी विशेष समस्याएं हैं। प्रतिवेदन में सुझाई गई सुविधाएं छात्रों को देने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहियें।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा की उपेक्षा की है। शिक्षा परिव्यय में पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर कटौती हो गई है। 1973-74 के बजट में 130 करोड़ रु० की व्यवस्था थी परन्तु संशोधित अनुमानों में यह घटकर 116 करोड़ रुपये रह गई 1974-75 के लिये यह व्यवस्था 113 करोड़ रु० मात्र है।

सरकार को प्रो० एस० एन० बोस जैसे विख्यात वैज्ञानिकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिये उनके सम्मान के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। उनके नाम पर मौलिक विज्ञान का एक संस्थान स्थापित किया जाये। उनके मकान को सुरक्षित बनाने के लिये भी कार्यवाही की जाये। प्रो० बोस हेलियम गैस संबंधी परियोजना पर कार्य कर रहे थे। यह गैस अणु शक्ति और अन्तरिक्ष अनुसन्धान के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के विकास के लिये इस परियोजना को अपने हाथ में लेना चाहिए। इसके समुचित विकास से हमें इसके आयात की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और साथ ही निर्यात भी किया जा सकेगा।

हीलियम उत्पादन परियोजना, जिसका प्रो० बोस विकास कर रहे थे, उसको शीघ्रता से प्रारम्भ किया जाना चाहिए। उनकी मृत्यु के कुछ महीनों के बाद एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी और सारा संगठन समाप्त होने की स्थिति में था। आशा है कि अन्य मन्त्रालयों के साथ विचार विमर्श करके इस परियोजना को आगे बढ़ाया जायेगा।

विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के लिए बढ़े हुए वेतनमानों की घोषणा कर दी गई है। सारे अध्यापक समुदाय के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाता तो कहीं अधिक अच्छा होता विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों की संख्या सारे देश में 1,39,000 है, प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की संख्या 17,22,000 है और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की संख्या 5,76,000 है। इस प्रकार स्कूलों के अध्यापकों की कुल संख्या लगभग 23,07,000 हो जाती है और अगर अन्य कर्मचारियों को भी इसमें जोड़ लिया जाये, तो यह संख्या लगभग 25,00,000 हो जाती है। कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को लाभ दे देने से केवल 5·5% अध्यापक समुदाय को ही लाभ मिल सका है। विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों को लाभ देने से पहले प्राइमरी और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए थी। इस समय अध्यापकों को चपरासी के वेतन से भी कम वेतन मिलता है। मन्त्री महोदय यह कह कर ही छुटकारा नहीं पा सकते कि इस बारे में राज्य सरकारें कार्यवाही करेंगी मन्त्री महोदय को राज्य सरकारों के शिक्षा मन्त्रियों की बैठक आयोजित करके इस बारे में समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा लाखों अध्यापकों को संघर्ष करना पड़ेगा।

शिक्षा के मामले में एक समन्वित नीति होनी चाहिए। अब पांचवीं योजना में स्कूली शिक्षा की नयी पद्धति प्रारम्भ की जा रही है। उसके अनुसार 2+2 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होगी और फिर तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम होगा। कुछ राज्यों में जूनियर कालेजों की स्थापना की जा रही है, जो एक खतरनाक बात है। स्कूल और कालेज में छात्र के मनोविज्ञान में अन्तर होता है। स्कूली छात्र में अनुशासन की भावना सरलता से भरी जा सकती है।

हिन्दी का मैं विरोधी नहीं हूं। हिन्दी राष्ट्र भाषा है, परन्तु अन्य राष्ट्रीय भाषायें भी हैं। गैर-हिन्दी भाषी राज्यों ने त्रिभाषा फार्मुला को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। हिन्दी विश्वकोष, हिन्दी प्रचार प्रसार और स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों के लिए जिस धन राशि की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में मुझे कोई ईर्षा नहीं है, परन्तु त्रिभाषा सूत्र की विचारधारा का विकास करने के लिए भी धन की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा भावात्मक एकता स्थापित नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में तमिल, पंजाब में तेलगू या अन्य किसी राज्य में मलयालम पढ़ाने के लिए धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि उर्दू के विकास के लिए 8.32 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

गान्धी जी के आदर्शों और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 9.75 करोड़ रुपय व्यय किए गए हैं, परन्तु नेताजी के लिए सिर्फ 3 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। अभी हाल में पटियाला में स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई है। इसके लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पर्याप्त नहीं है। इस राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

दिल्ली के पैंतीस सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों ने जब प्रदर्शन किया, तो इन्हें सेलैक्शन ग्रेड देने का आश्वासन दिया गया था, परन्तु उसे पूरा नहीं किया गया है।

श्री डी० पी० यादव : मैं सदन को पहले ही आश्वासन दे चुका हूं।

श्री समर गुह : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में किसी तम्बाकू कम्पनी के एक व्यक्ति को 1,800 रु० प्रति माह के वेतन पर व्यक्तिगत सलाहकार नियक्त किया गया है। कलकत्ता क्लब में छात्रों की एक मीटिंग आयोजित की गई, उस में निदेशक ने स्वयं छात्रों को मद्य-युक्त पेय पिलाया। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् अच्छा काम कर रही है। इसमें एक दर्जन प्रोफैसर और लगभग 100 प्राध्यापक हैं। अभी हाल में एक अच्छे आदमी को निदेशक नियुक्त किया गया है। आदर्श पुस्तकों का निर्माण करने के लिए उन स्कूली अध्यापकों का भी सहयोग लेना चाहिए, जिन्हें अध्यापन का दस पन्द्रह वर्ष का अनुभव है और जो छात्रों की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित हैं।

श्री वनमाली पटनायक : (पुरी) : हमारी शिक्षा प्रणाली सामाजिक परिवर्तन में सहायक होनी चाहिए। अनेक आयोग नियुक्त किए गए हैं और उन्होंने अपनी सिफारिशें भी की हैं, परन्तु उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में हम असफल रहे हैं।

हायर सैकेन्डरी पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में कोई भी निर्णय नहीं किया गया है। पहले हाई स्कूल प्रणाली थी, फिर प्रि-यूनीवर्सिटी प्रणाली आई और अब बारह वर्षीय पाठ्य-क्रम प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया है। उड़ीसा में तीन विश्वविद्यालय हैं और तीनों में अलग-अलग शिक्षा प्रणाली है। सभी राज्यों और सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का समान स्तर होना चाहिए, जिससे एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में छात्रों को कोई भी कठिनाई न हो। जब तक शिक्षा के स्तर में समानता नहीं लाई जाएगी, तब तक देश में एकता स्थापित नहीं हो सकती। अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड को शिक्षा के स्तर में समानता लाने का प्रयास करना चाहिए।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन तो होना ही चाहिए, परन्तु साथ ही साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जानी चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य राज्यों के छात्रों के लिए स्थान सुरक्षित किए जाने चाहिए।

अभी हाल में मन्त्री महोदय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए नये वेतन मानों की घोषणा की। परन्तु इनका क्रियान्वयन कहां होता है? कुछ राज्यों ने तो पिछले वेतनमानों को भी अभी तक तैयार नहीं किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने अभी हाल में उत्कल विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को लिखा था कि उड़ीसा में विश्वविद्यालय शिक्षा सबसे कम है। अखिल भारतीय अनुपात 7.5 है, जबकि उड़ीसा में विश्वविद्यालय शिक्षा का अनुपात 2.5 ही है। राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए बहुत कम धनराशि का प्रावधान किया है। इतनी धनराशि से बिश्वविद्यालय के अध्यापकों को भी अधिक वेतन नहीं

दिया जा सकता, अन्य कालेज अध्यापकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस क्षेत्रीय असन्तुलन को किस प्रकार समाप्त करने का विचार है? राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने की वजह से वे अच्छे वेतनमानों को लागू नहीं कर पाते। स्नातकोत्तर कालेजों में सभी अध्यापकों की एक अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में अध्यापकों का स्थानान्तरण होना चाहिए। इससे सभी को बढ़े हुए वेतनमान मिल सकेंगे और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा।

योजना आयोग में शिक्षा के प्रभारी भूतपूर्व सदस्य डा० नागचौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 50 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और कृषक समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं। कृषि को माध्यमिक शिक्षा के एक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कृषि की वैज्ञानिक शिक्षा दी जा सके।

आदिवासियों की शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। जिन अध्यापकों को अध्यापन के लिए तैनात किया गया जाए, उन्हें आदिवासी बोली की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे सभी शिक्षकों को विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें विशेष भत्ता भी मिलना चाहिए।

जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं का नितान्त ,अभाव है तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए छात्रों का मिलना कठिन है। केन्द्रीय सरकार को एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ताकि जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का बढावा मिल सके। जनजाति क्षेत्रों में स्कूल वृक्षों की छाया में लगते हैं। अध्यापकों के लिए मकान नहीं है। स्कूलों के लिए भवन नहीं हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन हमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

मैं जगन्नाथ मन्दिर को प्राचीन स्मारक घोषित करने एवं उसे राष्ट्रीय महत्व स्थान बनाने के लिए बधाई देता हूं। यदि उस मन्दिर की मरम्मत के लिए उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वह प्राचीन मन्दिर नष्ट हो जाएगा।

उदयगिरि विश्वविद्यालय जहां खुदाई हो रही है, का उल्लेख किया गया है परन्तु खुदाई रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। पूर्वी सर्किल में अधिकांश प्राचीन स्मारक उड़ीसा में हैं। अतएव, उड़ीसा के लिए एक अलग सर्किल बनाया जाना चाहिए। तब तक ऐसा नहीं किया जाना अधिकांश प्राचीन स्मारकों की दशा बहुत खराब हो जाएगी और सम्पत्ति की चोरी हो जाएगी।

कोणाक संग्रहालय के अधीक्षक के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। ऐसी शिकायत हैं कि उसकी सांठ-गांठ के साथ पर्यटक बहुत मूर्तियां उठा ले गए हैं। इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि प्राचीन मूर्तियों की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जब तक पुरातत्वीय विभाग सुदृढ़ नहीं किया जाता और अधिक रखवाले नियुक्त नहीं किए जाते उनकी सुरक्षा करनी बहुत कठिन है। यह कार्य राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाए।

कुछ प्राचीन मन्दिर हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के पुरातत्वीय विभाग के बीच अधिक समन्वय होना चाहिए ताकि सभी प्राचीन स्मारकों की ठीक प्रकार से सुरक्षा की जा सके।

उड़ीसा में क्षेत्रीय खेल-कूद केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है । इसे कटक में बाराबत्ती स्टुडियम में बनाया जाए। यदि यह केन्द्र वहां बनाया जाता है तो वहां पर सब सुविधाएं उपलब्ध की जा सकतीं हैं। खेलों पर समूचित ध्यान न दिए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम ख्याति प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

सभापति महोदय : कम समय होने के कारण सदस्य 5-6 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती रोजा देशपाण्डे (बंबई-मध्य) : सी० आई० ए० द्वारा युवकों तथा छात्रों पर प्रभाव डाले जाने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। कुछ समय पूर्व 'न्यू यार्क टाइम्स' ने एक लेख-माला प्रकाशित की थी जिस में बताया गया था कि सी० आई० ए० एशिया संस्थान, भारतीय युवकों तथा छात्रों के माध्यम से अपनी गतिविधियां चला रही है। विश्व युवक सभा भी भारतीय युवक सभा के माध्यम से यहां कार्य कर रहा है और यह हमारे नवयुवकों तथा छात्रों पर अपना प्रभाव डाल रहा है। सरकार को उनकी गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए।

फोर्ड फाउंडेशन नामक संस्था भी यहां कार्य कर रही है। हमें ऐसी संस्थाओं को कार्य नहीं करने देना चाहिए तथा अपनी शिक्षा प्रणाली अपने ही आधारों पर आधारित करनी चाहिए।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपनी गतिविधियां चला रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

राष्ट्रीय अकादमियों की जांच के लिए खोसला समिति नियुक्त की गई थी। उस का क्या हुआ ?

क्या यह सच है कि इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी जिसे अब इन्डियन तम्बाकू कपनी कहा जाता है, के प्रबन्ध निदेशक श्री ए० ए० ड्रकसर को खड़गपुर आई० आई० टी० के निदेशक मंडल का गवर्नर बनाया गया है। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिए। कहा गया है कि संसद द्वारा जो दिल्ली विद्यालय विधेयक पारित किया है उस से पब्लिक स्कूलों की गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। हम जानना चाहते हैं कि अब तक इस में क्या प्रगति हुई है ?

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली में जल्दी-जल्दी परिवर्तन न किए जाएं।

Shri Ram Surat Prasad (Bansagaon) : I am glad that both the hon. Minister and hon. Deputy Minister in the Ministry of Education are thinking in terms of changing the educational pattern in view of the changed circumstances. Primary education, which is the basis of education is not receiving proper attention. I suggest that education be taken over by the centre. This is necessary so that there could be uniform system of education through out the country.

There should be proper arrangements for the training of the primary teachers. They should be given better pay-scales so that they may make useful contribution to society.

Private educational institutions exploited the higher secondary teachers and do not give them prescribed pay-scales. Government should, there, see that they are paid adequate salaries.

More attention should be paid towards science and technology in the university education.

Gorakhpur University is doing useful research work which might prove valuable from the point of view of the defence of the country. The University Grant Commission should be asked to give more aid to that University.

श्री वी० मायावन (चिदाम्बरम) : शिक्षा राज्यों का विषय होते हुए भी केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को समान शिक्षा की सुविधाएं देने के बहाने ही सब राज्यों में केन्द्रीय विद्यालय खोले हैं। 1963 में केवल 16 केन्द्रीय विद्यालय थे जबकि आज कम से कम 169 केन्द्रीय विद्यालय हैं जिन पर कम व्यय के लिए 8.23 करोड़ रुपए की मांग रखी गई है।

इन सभी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम या तो हिन्दी है या अंग्रेजी है। यदि कोई छात्र अपनी मातृभाषा का अध्ययन करना चाहे तो ऐच्छिक भाषा के रूप में पढ़ सकता है। तमिल नाडु में पढ़ने वाले बच्चों की यही परेशानी है।

दिल्ली शिक्षा नियमों के अनुसार, जो 1 जनवरी 1974 से लागू हुए हैं, इस तिथि के बाद खुलने वाले स्कूलों को दिल्ली प्रशासन मान्यता तथा सहायता तभी देगा जब शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा अथवा हिन्दी होगी, इसमें यह कहा गया है कि इंगलिश शिक्षा का माध्यम नहीं होना जाहिए। हमारे नेता श्री सेफियान ने एक संकल्प में यह सुझाव दिया है कि दिल्ली शिक्षा नियमों में संशोधन किया जाये ताकि नए स्कूलों अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना सकें। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

देश में व्यापक विद्यार्थी असंतोष के बारे में कहना निरर्थक है, विद्यार्थियों की शिकायतों को दूर करने तथा इस संबंध में ठोस उपाय करने के लिए एक समिति मार्च 1973 में गठित की गई थी परन्तु इसने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, इसी प्रकार देश में महिलाओं की स्थिति की जांच करने के लिए तीन वर्ष पूर्व एक समिति गठित की गई थी जिसने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। मंत्री महोदय को इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डा० सिद्धार्थ शंकर राय ने इस सदन में यह घोषणा की थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय बाल नीति निर्धारित की जाएगी परन्तु उनके जाने के बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, यदि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में यह कार्य नहीं हुआ तो संदेह है कि केन्द्रीय सरकार फिर कसी भी इस कार्य को कर सकेगी।

1973-74 के बजट में शिक्षित बरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था उसे घटा कर 24 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 22 फरवरी 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर में वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि 1973-74 के दौरान रोजगार योजनाओं में बचत के फलस्वरूप 34 करोड़ रुपये की बचत की जाएगी यदि केन्द्रीय सरकार नेशिक्षित बैरोजगारों के प्रति यही नीती अपनाई तो शीघ्र ही विद्यार्थियों में असंतोष फैल जाएगा। 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना भी खटाई में पड़ रही है।

Shri Ram Medaoo (Ramtek) : Any independent country regards its education important for character and nation building. She understands its vital note in becoming self-reliance and instilling patriotism in the minds of citizens. But we are still following in the footsteps of Lord Macanlay.

Our education policy is tuning out only educated unemployed persons. The condition of secondary education in the country is very pitiable due to private institutions. Whatever grants are given to private instituion are never properly utilized in giving remuneration to teachers. The black marketeers and Mammon worshippers have intruded into educational institutions. They never give full salary to their teachers. They get signatures on receipts for Rs. 300 and pay them Rs. 100 as salary. The poor teachers in primary and secondary schools are unable to take up jobs in other fields though highly qualified, and are thus being exploited. This practice should be stopped. If you want to provide better education to students, You will have to think over it seriously. Why private institutions are not taken over by the Government. This will result in better education and proper utilization of grants.

So far as the Primary teachers are concerned, they have no status in villages. The influential persons and Headmaster of villages treat them very shaffily. If he does not follow their dictates, he is transferred. This condition has to be changed. So I request that primary and secondary education should be nationalized.

Besides this the curriculam upto eight class in the whole country should be uniform and education should be imported in regional languages. Hindi should be taught compulsorily. After passing eighth class, the student should be given technical education of his choice. This will result in lessening the heavy rush in colleges and he will be able to find job after completing his technical education.

To attract brilliant people in education line, an All India Educational Service should be constituted. Free lunch should be provided to poor students. Maharastra Government have opened many country liquor shops in front of schools. It is my submission that such shops should not be located near schools. The funds of religious trusts should be utilized for education. Even it needs amendment of constitution, it should be done.

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : The present Education Minister has revolutionary ideas regarding eduaction. If we are not able to bring changes in education policy now, when it will be done? We all should help the Minister in his efforts to reorganize educational structured.

As education is a state subject, the centre cannot interfere in this field. If we want to make education utilitarian, it must be brought in the Concurrent List so that the centre may be able to guide states in this regard.

Emphasis should be laid on adult education. Merely by saying that it is a state subject, Government cannot put off this responsibility. Effective steps should be taken to undertake works which are of national importance. A little work has been done in the field of adult education. We have not been able to make any headway in making education compulsory and universal.

Mahatma Gandhi advocated basic education. But we have failed in this respect. I would have been happy if another experiment was carried out to bring education and activity together. Our present education policy is depended on the British system and we could not bring changes here.

For the last twenty six years, several commission submitted their reports but none has been implemented. Our education has no purpose and that is why unemployment is mounting.

Our Universities lack academic atmosphere. They have become hotleeds of politics and dubious foreign elements. They are taking undue advantage of students' unrest. Communal elements are also playing mischief among students. We are unaware of all these things. Every one condemns the education system but nothing has been done to rectify the defects. We should resolve the problems of students. The condition of primary schools is very pitiable. We should compare our primary schools with primary schools of foreign countries. Only then will we find the defects in our primary education. We should try to remove them.

The communal virus has intered history which is taught to the students. It is the work of Britishers. Through history we tell our students how a particular community had parpetrated atrocities on another Community. Thus, we create bad blood among them. I am pleased that something is being done in this respect. We should bring revolution in this country through education.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैंने मंत्री महोदय से प्रश्न किया था कि क्या सरकार का जनजाति के लोगों की लिपियों, संथाली और सवारा का विकास करने का कोई प्रस्ताव है, जिसका उन्होंने उत्तर दिया था कि उन्हें संथाली भाषा की 'ओ एलं लिपि के बारे में मालूम और उन्हें सवारा लिपि के बारे में कुछ मालूम नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 29(1) में किसी भी समुदाय की किसी भी भाषा तथा लिपि के विकास की व्यवस्था है, मैं सवारा लिपि के विकास के लिए मंत्री महोदय को सवारा लिपि यह एक पुस्तक विचारार्थ दे सकता हूं।

उड़ीसा में लगभग 62 विभिन्न जन जातियां हैं जिनकी विभिन्न बोलियां तथा भाषाएं हैं, वे एक दूसरे की बोलियां तथा भाषाएं नहीं समझ सकते हैं तथा हम उनमें शिक्षा का विकास कैसे कर सकत हैं।

मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति जिलों में आने वाले कालेजों को सरकार अपने नियंत्रण में ले ले, इसी प्रकार राज्य सरकार को प्राथमिक स्कूलों तथा माध्यमिक स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए, जनजाति लोगों के संस्कृतिक विकास के लिये राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना की जानी चाहिये। इसी प्रकार भाषा का विकास तथा जनजाति विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक ग्रामीण संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। जनजाति के लोगों ने अपनी शिकायतें सामने रखने के लिए हमें यहां भेजा है परन्तु हमें यहां बोलने के लिए समय ही नहीं दिया जाता है। सरकार को जनजाति के लोगों की भाषा तथा शिक्षा का विकास करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

श्री पी० एम० महता (भावनगर) : गुजरात सरकार ने भावनगर में भावनगर आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय किया था तथा मेरे विचार में इस संबंध में विधेयक भी पारित कर दिया गया है। परन्तु वह इसको क्रियान्वित न कर सकी, चूंकि गुजरात में राष्ट्रपति शासन है इस लिए वहां दूसरे शब्दों मे केन्द्र का शासन है। इसलिए सरकार को अविलम्ब इस निर्माण को क्रियान्वित करना चाहिए।

Shri N.P. Yadav (Sitamarhi): I want to draw your attention towards Primary schools. The condition of these schools, especially in villages is very pitiable.Building have not been constructed to house them. Due to increase in the prices of building materials, the grant should also be enhanced. Sanction for the grant of Rs. 2 lakhs to every districts for the development of sports grants should be given. New Central Schools should be opened. Provision should be made to give admission to the children of Political sufferers without regard to their divisions, marks etc. in five I.I.Ts. Similarly they should be given preference in Medical Colleges and other colleges. School of Business Management should be opened in Patna. Immediate steps should be taken to open Nehru Yuvak Kendra in Sitamarhi.

श्री नुरुल हुडा (कछार) : अभी हाल ही में आसाम सरकार ने एक पाठयक्रम लागू किया है जिसके अनुसार राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी आसमिया भाषा का पढ़ना अनिवार्य होगा। यदि इसको सभी स्कलों में अनिवार्य रुप से लागू किया गया तो इससे

विद्यार्थियों में अनिश्चय की भावना, वैमनस्य तथा दुर्भावना पैदा हो जाएगी। राज्य सरकार को कहा जाना चाहिए कि वह आसमिया भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने के बजाय इसको वैकल्पिक विषय बनाएं। शिक्षा मंत्री को राज्य सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि राज्य सरकार इस भेदभावपूर्ण नीति का परित्याग करे।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने देश में शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति के विकास के प्रति रुचि दिखाई है। मैं उनके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखूंगा।

गत वर्ष मेरे मंत्रालय के लिए अपेक्षाकृत कठिन था। हमारा विचार यह था कि 1973-74 के वर्ष का उपयोग पूर्ण कार्यवाहियों के लिए उपयोग में लाया जाए ताकि पांचवीं योजना अवधि के आरम्भ से ही योजना का क्रियान्वयन आरम्भ किया जा सके, परन्तु मितव्यायिता अभियान के कारण राशि में कटौति की गई जिसके कारण योजना की पूर्व कार्यवाही प्रभावित हुई है। हमारी कोशिश यही रही कि यह कम से कम प्रभावित हो। आबंटित धनराशि में कटौति किए जाने के फलस्वरूप अनेक योजनाओं को छोड़ना पड़ा तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना पड़ा। मुझे आशा है कि हम अपने अत्यावश्यक कार्यक्रमों के लिए धनराशि मंजूर कराने में सफल होंगे। यह स्थिति हमारे लिए चुनौति लिए हुए है। यदि धनराशि अपर्याप्त है तो हमें नए रास्ते खोजना पड़ेंगे। हम नयी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

अब तक हमारी योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसका कार्यान्वियन आरम्भ हो चुका है। हमने भी अनेक कार्यक्रमों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी है जैसे तीसरा शिक्षा सर्वेक्षण, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन, समान शिक्षा पद्धति लागू करना आदि।

हम प्राथमिक शिक्षा के महत्व का समर्थन करते हैं। मैं मानता हूं कि हमें प्राथमिक शिक्षा के लिए आशानुकूल राशि आवंटित नहीं की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए 1,100 करोड़ दिए थे जिसे बाद में कम करके 743 करोड़ कर दिया गया है। फिर भी यह चौथी योजना तुलना में तीन गुणा है।

विशेषकर समाज के निर्बल वर्गों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। जब तक इस समस्या को हल नहीं किया जाता तब तक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने सिंगल प्वाइंट एन्ट्री को संशोधित करके मल्टीपल एन्ट्री की व्यवस्था लाने का निश्चय किया है। अर्थात् 6-7 वर्ष के आयु समूह के साथ-साथ 9 से 11 और 12 से 14 वर्ष के आयु समूह वाले विद्यार्थियों को भी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा आदि, हम निर्बल वर्ग के लोगों के बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वे स्कूल की शिक्षा से लाभान्वित हो सकें।

पांचवीं योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्यों से बहुत अधिक हैं। यद्यपि हम संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्धारित निदेश को पूरा नहीं कर सके हैं फिर भी आशा है कि छठी योजनावधि में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। जब

हमने यह देखा कि चौथी योजनावधि में वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य सरकारें पर्याप्त संख्या में अध्यापक रखने में असमर्थ हैं तो हमने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 76,000 अतिरिक्त अध्यापकों की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 97,000 अध्यापकों को रखा गया। निश्चय ही प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने में इससे काफी मदद मिली है।

हम साथ ही साथ शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के कार्यक्रमों को भी अपना रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् अन्य राज्यों की शिक्षा संस्थानों तथा कार्यान्यिों के सहयोग से शिक्षा के स्तर को सुधारने के विभिन्न कार्यक्रमों को कर रहा है। उसने नया पाठ्यक्रम तैयार किया है जो विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। जैसे कि श्री समर गुह ने कहा है हम अपने कार्यक्रमों में स्कूल के अध्यापकों का भी सहयोग लेंगे।

बनियादी शिक्षा के मार्ग में कुछ कठिनाइयां उपस्थित हुई थीं । हम इनको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके लिए हमने कुछ चुने हुए मिडिल स्कूलों में कार्य का अनुभव देने के लिए 1,000 अध्यापकों की मंजूरी दी है । इस कार्यक्रम का राज्य सरकारों द्वारा पांचवीं योजनावधि में विस्तार किया जाएगा।

माननीय सदस्यों ने कागज़ की कमी की चर्चा की है, हम कुछ मित्र देशों की सरकारों से कागज का आयात कर रहे हैं जिन्हें स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किया जा रहा है। कागज के मूल्यों को कम करने और लिखने के काम आने वाले कागज के निर्माण में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । हम राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक बोर्डों तथा मुद्रकों पुस्तक विक्रेताओं के संघों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं ताकि पुस्तकों की कमी को दूर किया जा सके ।

जहां तक स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के महत्व का प्रश्न है, इस संबन्ध में माननीय सदस्यों को याद होगा कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री प्रो० वी० के० आर० वी० राव ने स्कूल के पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया था । अब तक 3,000 पुस्तकों का मूल्यांकन किया गया है और 15 राज्यों तथा संघ राज्य दोनों में पुस्तकों के बारे में अंतिम प्रतिवेदन संबंधित पार्टियों को भेज दी गई है। राज्य सरकारों ने हमारे अनेक सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक राज्यों में विज्ञान की शिक्षा का प्रश्न है, मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हमने स्कूल विज्ञान कार्यक्रम को आरम्भ किया हुआ है जिसके अन्तर्गत विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। एक ऐसी योजना भी है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में चल विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाएगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संबंधी विषय गत वर्ष गृह मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं । मेरे विचार में गृह मंत्रालय ने छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि कर दी है । इसी प्रकार समाज के निर्बल वर्गों को शिक्षा देने के लिए उपयोजनाएं बनाई गई हैं।

सभापति महोदय: अब विदेश मंत्री वक्तव्य देंगे ।

बंगलादेश–भारत–पाकिस्तान समझौते के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE.BANGLADESH-INDIA-PAKISTAN AGREEMENT

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं 9 अप्रैल, 1974 को नई दिल्ली में हुए बंगलादेश-भारत-पाकिस्तान समझौते का पाठ सभा पटल पर रखता हूं । यह समझौता 1971 के युद्ध के बाद से 1971 के युद्ध के कारण उठ खड़े हुए अनिवार्य मामलों का आपसी और शांति-पूर्ण ढ़ंग से हल निकालने के लिए किए गए प्रयत्नों का फल है । महाद्वीप के तीनों देश एक समझौते पर पहुंचे हैं। जैसा कि सदन को मालूम है भारत ने कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए बंगलादेश लोक गणराज्य के परामर्श से लगातार पहल की और अब भारत और बंगलादेश संतोषपूर्वक कह सकते हैं कि उनके प्रयत्न फल लाए हैं । यह तीनों देशों के प्रधान मंत्रियों के प्रबुद्ध राजनितिज्ञता और आपस में एक दूसरे की बात सहन करने की प्रवृत्ति तथा जनता के बड़े हित में समझौता करने के लिए परिणामस्वरूप सम्भव हो सका है। इस संदर्भ में उपमहाद्वीप के तीन देशों के बीच पारस्परिक हित तथा बाहरी बराबरी पर आधारित मेलजोल तथा शान्तिपूर्ण सम्बन्ध की स्थापना पर जोर देने के लिए भारत के सुविदित दृष्टि-कोण को काफी समर्थन मिला है ।

अप्रैल 1973 में बंगलादेश और भारत ने संयुक्त घोषणा जारी करने में पहल की जिसमें राजनितिक प्रश्नों को मानवीय मामलों के संकल्प से अलग किया गया । यह उस गति-रोध को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम था जो बंगलादेश को मान्यता न मिलने के कारण विद्यमान था। इस घोषणा के बाद भारत ने बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ बात-चीत करने में पुन: पहल की जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 1973 में दिल्ली समझौता सम्पन्न हुआ। दिल्ली समझौते के द्वारा पहले ही 300,000 लोगों को अपने घर वापिस भेजना संभव हो गया था। लगभग पाकिस्तान में रह रहें सभी बंगाली जो बंगलादेश आना चाहतें थें वापिस आ गए हैं। 84,000 पाकिस्तानी युद्ध बन्दी और नागरिक भारत से पाकिस्तान तथा 90,000 पाकिस्तानी नागरिक बंगलादेश से पाकिस्तान वापिस चले गए हैं । इस त्रिपक्षी समझौते के अनुसार पाकिस्तान बंगलादेश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागारको को स्वीकार करेगा तथा अस्वीकृत मामलों पर पाकिस्तान और बंगलादेश सरकारों द्वारा जांच की जाएगी । इस समझौते के द्वारा 1971 के युद्ध के कारण उठ खड़ी हुई मानवीय समस्याओं का अन्तिम दौर पर और आपसी तरीकें से फैसला हो जाएगा ।

195 युद्ध बंदियों का मामला बंगलादेश और पाकिस्तान की सरकारों के आपसी संतोष से हल हो गया है तथा हम इसका स्वागत करते हैं । यह निर्णय तीनों देशों के 70 करोड़ लोगों के हित में है और उप महाद्वीप में संबंधों को सामान्य बनाने तथा स्थायी शान्ति की स्थापना करने की दिशा में उनके सरकारों के कार्य को संकल्प को दर्शाता है ।

मैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पूर्व के नजरबन्द जवानों को वापिस भेजने सम्बन्धी समझौते का पाठ तथा संयुक्त विज्ञप्ति भी सभा पटल पर रखता हूं। युद्ध पूर्व के नजरबन्द लोगों को छोड़ने सम्बन्धी समझौते से उन सैकड़ों भारतीय नागरिकों को वर्षों से लगातार चलीं आ रही रजरबन्दी से छुटकारा मिलेगा जिनमें से कुछ 1966 से पाकिस्तानी जेलों में पड़े थे। इस समझौते के अन्तर्गत सभी भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक 14 अगस्त, 1974 से पहले छोड़ दिए जाएंगे और अपने देशों को वापिस भेज दिए जाएंगे ।

शिमला समझौते के लागू करने सम्बन्धी प्रयत्नों की समीक्षा की गई। हमने पाकिस्तान को 25 फरवरी को जो पिछला नोट भेजा था, उसमें हमने यह सुझाव दिया था कि न केवल दोनों देशों के बीच सभी प्रकार संचार प्रारंभ करने पर अपितु दोनों देशों के लोगों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए यात्रा पुनः आरम्भ करने के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान डाक तथा टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने तथा तीर्थयात्रियों को यात्रा सुविधाएं देने के लिए चर्चा करने और समझौता करने के लिए प्रतिनिधि मण्डल भेजने को सहमत हो गया है।

1971 के युद्ध में खोए गए सैनिक और अर्द्धसैनिक कर्मचारियों का मामला भी हल कर लिया गया है। इस बात पर समझौता हो गया है। दोनों देश खोज करने वाली रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति को स्थानीय अधिकारियों की मदद से ऐसे मामलों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य **उठ कर खड़े हो गए**

सभापति महोदय : यह प्रणाली रही है कि मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने के पश्चात प्रश्न नहीं पूछे जाते।

Shri Madhu Limaye (Banka) : May I know whether questions relating to establishment to Ambassadorial relations, security, Foreign Policy, etc. were also discussed?

श्री स्वर्ण सिंह : अब तक एक दूसरे की राजधानी में राजदूत नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई करार नहीं हुआ है। दूतावास खोलने से पहले दो देशों के बीच थोड़े सम्बन्धों का होना बहुत आवश्यक है। यह समझौता इस दिशा में पहला कदम है और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगला कदम सम्बन्धों को स्थापति करना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : चीन के साथ सम्बन्धों को समान्य बनाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न वर्तमान प्रश्न से संबंधित नहीं है।

न्यू फ्रैन्ड्स को-ओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. NEW FRIENDS CO-OPERATIVE HOUSE BUILDING SOCIETY

सभापति महोदय : अब गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

Shri Madhu Limaye : Each day, a different Minister is coming with his statement. The matter should be debated first and only then hon. Minister should give a statement.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : कार्य सूची में इसका उल्लेख नहीं है अन्यथा हम बहस के लिए तैयार होकर आते।

श्री समर गुह (कन्टाई) : जिस माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया था, वह उपस्थित नहीं है। इसलिए अच्छा होगा यदि यह वक्तव्य अब छह बजे के बाद के बजाय कल दिया जाए।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने इसी समय यह वक्तव्य देने की स्वीकृति दे दी है।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : कल कुछ सदस्यों ने न्यू फ्रेंडस कापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी की चर्चा की थी । श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 मार्च, 1974 को इस विषय में गृह मंत्री को लिखा था । इस पत्र का मूल पाठ एक स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में भी प्रकाशित हुआ था । श्री वाजपेयी ने जो कहा था अधिकांश वे आरोप दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सोसाईटी तथा उसकी प्रबन्धक समिति के विरुद्ध श्री एम० एल० जग्गी तथा अन्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका में पहले दायर किए गए कुछ शपथपत्रों में दिये गये थे। शपथपत्रों के उत्तर में उप राज्यपाल तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा इन आरोपों का खण्डन किया गया था । क्योंकि उच्चतम न्यायालय के समक्ष सारा मामला विचाराधीन है और उसके आदेश प्रतीक्षित है अतः मैं अपने को केवल वास्तविक स्थिति तक ही सीमित रखूंगा ।

2. न्यू फ्रेंडस कापरेटिव हाउस बिल्डिग सोसाईटी का पंजीकरण 1955 में हुआ था । प्रबन्धक समिति के अनुसार इसकी सदस्यता 1000 से ऊपर है । आरम्भ में इस सोसाइटी को लगभग 177 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी । सोसाईटी को अब तक आवंटित की गई कुल भूमि 205.83 एकड़ है । परन्तु बहुत वर्षों तक भूमि के विकास तथा सदस्यों को इसके आवंटन के विषय में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई । प्रबन्धक समिति जिसका अध्यक्ष श्री आर० एल० जग्गी था के विरुद्ध सदस्यों में से कुछ को मनमाने ढ़ंग से बाकीदार करार कर वित्तीय रूप से हानि पहुंचाने और सदस्यता रजिस्टर तथा लेखे आदि का उचित रख-रखाव न करने के गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों की सांविधिक जांच की गई थी। प्रबन्धक समिति को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया और उससे पूछा गया कि क्यों न उसे अधिक्रमणित कर दिया जाए। हस्ताक्षेप के उल्लेख पर तत्कालीन उप-राज्यपाल श्री ए० एन० झा ने 6 जुलाई 1971 को अपना निर्णय दिया । 9 जुलाई 1971 को इस प्रबन्धक समिति के अधिक्रमण सम्बन्धी आदेश जारी किया गया तथा इसके स्थान पर नई समिति का गठन किया गया।

3. अधिक्रमणित समिति के कुछ सदस्यों द्वारा दिल्ली उच्चन्यायालय में याचिका दायर की गई जिस में पुरानी समिति के अधिक्रमण, नई समिति के गठन तथा उप राज्यपाल के निर्णय को चुनौती दी गई। लगभग इन्हीं आधारों पर ही उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1972 में 287 सदस्यों द्वारा एक याचिका दर्ज की गई । अभी तक यह याचिकायें अनिर्णीत पड़ी हुई हैं। 17-8-73 को प्रबन्धक समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके सभी ऐसे व्यक्तियों को बाकीदार करार कर दिया गया जिन्होंने उपयुक्त अवसरों के बावजूद भी पूरा भुगतान नहीं किया था और उनके नाम अनिर्णीत पड़ी याचिकाओं में नहीं थे। इसकी पूरक कार्यवाही के रूप में 161 सदस्यों को बाकीदार के नोटिस जारी किए गए। 21 सितम्बर 1973 को उच्चतम न्यायालय द्वारा उस प्रस्ताव के सन्दर्भ में, आगे की कार्यवाही रोक दी गई। 11 दिसम्बर 1973 को न्यायालय द्वारा विशेष आदेश उठा लिया गया परन्तु बाकीदार सदस्यों को अपनी धनराशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। इस अवधि के दौरान कई सदस्यों ने अपनी बकाया धनराशि जमा करवा दी। न्यायालय द्वारा 14 दिन का समय दिए जाने के बाद, 6 जनवरी 1974 को 25 दिन बाद प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर 30 सदस्यों को बाकीदार करार कर दिया गया ।

प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष ने 26 जनवरी, 1974 को उपराज्यपाल को लिखा जिसमें 60 नये सदस्य बनाने के लिये अनुमति मांगी क्योंकि अभी तक आंवटन के लिये लगभग 100 प्लाट उपलब्ध थे । कुछ सदस्य अपनी देय रकम का भुगतान न कर सके थे कुछ प्लाट के लिये अपनी पात्रता स्थापित करने हेतु आवश्यक शपथपत्र प्रस्तुत न कर सके थे तथा कुछ अन्य सदस्यों ने अपने भूखण्ड छोड़ दिये थे । प्रबन्धक समिति ने विशेषकर उन सदस्यों की जो भूखण्डों के लिए अपात्र हो गये थे, जमा राशियों का भुगतान करने के लिये अतिरिक्त सदस्य बनाने पर विचार किया था । उप राज्यपाल ने अनुमति दे दी थी । सोसाईटी ने जिन 60 नामों को सिफारिश की थी उनमें से केवल 50 व्यक्तियों के नाम 28 फरवरी, 1974 को लिये गये । बाकीदार घोषित किये गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन दिया जिसमें उसने अनुदेश मांगा कि उन्हें बाकीदार न समझा जाये । यह याचिका 25 फरवरी, 1974 को न्यायालय द्वारा रद्द की गई । भूखण्ड 5 मार्च, 1974 को नये सदस्यों को आवंटित कर दिये गये थे ।

4. जब सोसाईटी ने नए सदस्य बनाने शुरू किये तब 2 विविध याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गई जिसमें किसी व्यक्ति को बाकीदार घोषित करने तथा नए सदस्य बनाने से प्रबन्धक समिति को रोकने के लिए आदेश मांगे गये । कुछ शपथपत्र भी दाखिल किये गये थे और उप राज्यपाल, दिल्ली, पुलिस महानिरीक्षक दिल्ली तथा अन्यों द्वारा उत्तर शपथपत्र दाखिल किये गये । ये उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं ।

5. यह आरोप कि उप राज्यपाल ने 26 जनवरी, 1974 को नए सदस्य बनाने के लिये अनुमति देने में अनावश्यक शीघ्रता की थी, भी स्वर्गीय श्री आर० एल० जग्गी जो पुरानी प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष थे के पुत्र श्री एम० एल० जग्गी द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपने शपथपत्र में लगाया गया था, इसे अस्वीकार करते हुये राज्यपाल ने अपने जवाबी शपथपत्र में कहा कि सोसाईटी के बारे में संबंध तथ्यों, न्यायालय के आदेशों तथा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के पत्र की सामग्री को ध्यान में रखते हुये मैंने नए सदस्य बनाने के लिये अनुमति प्रदान करते हुये उचित आदेश पारित किये थे और अवकाश के दिनों में भी कार्य करना मेरे लिए आम बात है । उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन के लिये सदस्यों का चयन करना सोसाईटी के अधिकार क्षेत्र में है ।

6. श्री वाजपेयी का विचार था कि नया नामांकन सार्वजनिक विज्ञापन के बाद किया जाना चाहिये था । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, सदस्यों के नामांकन के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करना कोआपरेटिव सोसाईटी की पद्धति नहीं है ।

7. जहां तक हमारे लिये जानकारी प्राप्त करना संभव हुआ, बाद में नामांमकित किये गये 50 नए सदस्यों में से 34 सदस्य न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही वे सरकारी कर्मचारियों से निकट से संबंधित हैं ।

8. यह मुद्दा भी कि सोसायटी के पास 102 व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची है, न्यायालय के समक्ष है । दिल्ली प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय में निवेदन किया है कि सोसाईटी की ऐसी कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है जिसका अनुमोदन राज्यपाल द्वारा किया गया हो ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह बैठक वास्तव में हुई थी अथवा उपराज्यपाल के विशेष सहायक श्री जैने ने प्रबन्ध समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर करवाने के लिए भाग दौड़ की थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा : 26 जनवरी, 1974 को प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष ने उप-राज्यपाल से 60 नए सदस्य बनाने के लिए अनुमति देने को कहा था। नए सदस्य बनाने का मुख्य कारण यह था कि 100 प्लाट अभी आबंटन के लिए पड़े थे और कुछ सदस्यों ने अपनी बकाया राशि नहीं दी थी और न ही शपथ-पत्र दाखिल किए थे। साथ ही पुराने सदस्यों को उनकी जमा राशि लौटाने के उद्देश्य से भी नए सदस्य बनाए गए। 60 में से 50 सदस्यों के लिए अनुमति मिली और 5 मार्च, 1974 को उन्हें प्लाट दे दिए गए। इसी बीच दो याचिकाएं भी दायर की गई जिसमें प्रबन्ध समिति द्वारा किसी सदस्य को दोषी ठहराने तथा नए सदस्य बनाने से समिति को रोकने के लिए आदेश मांगे गए थे। उपराज्यपाल ने भी शपथ-पत्र दाखिल करवाए। ये सभी कागजात सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्णयाधीन हैं।

यह आरोप कि उपराज्यपाल ने 26 जनवरी, 1974 को नए सदस्य बनाने के लिए अनुमति देने में अनावश्यक शीघ्रता की थी, श्री एम० एल० जग्गी द्वारा लगाया गया था। इसे अस्वीकार करते हुए उपराज्यपाल ने अपने जबाबी शपथ-पत्र में कहा कि सोसाइटी के बारे में सम्बद्ध तथ्यों, न्यायालय के आदेशों तथा प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के पत्र की सामग्री को ध्यान में रखते हुए मैंने नए सदस्य बनाने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए उचित आदेश दिए थे। और अवकाश के दिनों में भी काम करना मेरे लिए आम बात है। श्री वाजपेयी का विचार था कि सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के बाद नए सदस्य बनाए जाने चाहिए थे। परन्तु सदस्यों के नामांकन के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करना सोसाइटी की पद्धति नहीं है। 50 नए सदस्यों में से 34 सदस्य न तो सरकारी कर्मचारी ही हैं और न ही किसी सरकारी कर्मचारी से सम्बन्धित हैं।

जहां तक 102 व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची का प्रश्न का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि ऐसी कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है जिसका अनुमोदन उपराज्यपाल द्वारा किया गया हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सोसाइटी ने नए सदस्य बनाने कब बन्द किए थे और कब से नए सदस्य बनाने शुरू किए गए? प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा 26 जनवरी को उपराज्यपाल को दिए पत्र पर उपराज्यपाल ने कब कार्यवाही की? क्या श्रीमती झावेरी को आबंटित किया गया प्लाट श्रीमती गिरी को दे दिया गया? क्या उपराज्यपाल ने अन्य कालोनियों में भी इसी प्रकार के कदाचार किए हैं? क्या यह सच है कि उनकी पत्नी को जागृति कोआपरेटिव कालोनी, शाहदरा में एक प्लाट मिला हुआ है? उपराज्यपाल तथा अपने पदों का दुरुपयोग करने वाले बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने के बाद प्रश्न नहीं पूछे जाते।

श्री समर गुह : इस विषय पर नियम संख्या 190 अथवा 184 के अन्तर्गत चर्चा की जानी चाहिए। कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आरोप लगाया गया है कि उपराज्यपाल ने अपने भतीजे की पत्नी को, जो पटना में रहती है, प्लाट दिया है। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। मंत्री महोदय कृपया इन सब प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देना बेकार सिद्ध हुआ है क्योंकि मंत्री महोदय ने लगाए गए आरोपों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मंत्री महोदय या तो इन आरोपों को स्वीकार करें अथवा इसका खंडन करें अन्यथा वक्तव्य देने का क्या लाभ है। **(व्यवधान) :**

श्री राम निवास मिर्धा : कल श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने यह मामला उठाया था और कहा था कि मामले के तथ्यों पर प्रकाश डाला जाए। चंकि यह मामला निर्णयाधीन है इसलिए मैंने केवल तथ्यों का उल्लेख किया है।

Shri Madhu Limaye : The question of telling the names of new Members is not *sub-judice*. The hon. Minister wants to evade facts.

Mr. Chairman : The hon. Member may get the information on some other occasion.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मेरे विचार में चर्चा कल तक के लिए स्थगित कर दी जाए।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 11 अप्रैल, 1974/21 चैत्र 1896 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, April 11, 1974/Chaitra 21, 1896 (Saka).

256 LSS/74—490—30-11-74—GIPF.